प्रश्न शाखा का प्रकाशन

मध्यप्रदेश विधान सभा

खण्ड-4

(फरवरी 2019 से मार्च-अप्रैल 2020 सत्र)

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

(जुलाई 2020 सत्र में पटल पर रखा गया)

मध्यप्रदेश विधान सभा

(पंचदश)

खण्ड-4

फरवरी 2019 से मार्च-अप्रैल 2020 सत्र

के

प्रश्नों के पूर्ण उत्तर

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय 2020

निर्देशन :	श्री ए.पी. सिंह	--	प्रमुख सचिव
संपादन :	श्री बीरेन्द्र कुमार	--	अपर सचिव
	श्रीमती मंजू गजभिये	--	विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (उप सचिव)
	श्री एस.एन. गौर	--	अवर सचिव
	श्री माधव दफ्तरी	--	शिष्टाचार अधिकारी
	श्री गोविन्द पण्डा	--	अनुभाग अधिकारी
संकलनकर्ता :	श्री संजीव सराठे	--	सहायक ग्रेड-1
	श्री रामगोपाल शुक्ला	--	उप सहायक मार्शल
	श्री मनीष बनोदे	--	सहायक ग्रेड-3

प्रस्तावना

इस संकलन में मध्यप्रदेश विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 51 की अपेक्षानुसार फरवरी 2019 से मार्च-अप्रैल 2020 सत्र में शासन द्वारा जिन प्रश्नों के अपूर्ण उत्तर दिये गये थे तथा प्रश्नोत्तर सूची मुद्रित होने के पश्चात् विभागों से प्राप्त जिन उत्तरों को सदन में पृथक से वितरित किया गया था, उन्हें भी सम्मिलित किया गया है.

प्रश्नों के संदर्भ में शासन द्वारा पूर्व में दी जानकारी को बड़े कोष्ठक में [.....] दर्शाया गया है.

भोपाल :
दिनांक : 14 जुलाई, 2020

ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

विषय-सूची

क्रमांक (1)	विषय (2)			पृष्ठ संख्या (3)
1.	फरवरी, 2019 सत्र	--	--	1-4
2.	जुलाई, 2019 सत्र	--	--	5-21
3.	दिसम्बर, 2019 सत्र	--	--	22-65
4.	मार्च-अप्रैल 2020 सत्र	--	--	66-121

फरवरी, 2019

दिनांक 21 फरवरी, 2019

वर्ष 2007-08 में बने जाति-प्रमाण पत्र वर्ष 1997 में नौकरी पाना
[जनजातीय कार्य]

1. परि.अता.प्र.सं. 30 (क्र. 289) श्री प्रदीप पटेल : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कार्यालय आयुक्त, जनजाति कार्य विभाग (राज्य स्तरीय अनुसूचित जनजाति छानबीन समिति) मध्यप्रदेश के पत्र क्रमांक/जा.प्र.समिति/1619/2015/2160 भोपाल दिनांक 24.01.2018 से कलेक्टर दमोह (म.प्र.) को शोभित पिता खूबचंद, तहसील जबेरा जिला दमोह के जाति प्रमाण पत्र की पुष्टि कराये जाने हेतु पत्र लिखा गया गया था? **(ख)** क्या उक्त पत्र में लिखा है कि श्री शोभित पिता श्री खूबचंद, तहसील जबेरा जिला दमोह के जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 19.01.2018 में लिये गये निर्णय अनुसार संबंधित को न्यायालय नायब तहसीलदार जबेरा जिला दमोह के पत्र क्रमांक/प्र.वा./ना.तह./08 जबेरा दिनांक 16.09.2008 में अंकित जाति प्रमाण पत्र क्रमांक/रा.प्र.क्र. 492 बी 121/07-08 में जारी किया गया है, प्रति संलग्न है? **(ग)** जब श्री शोभित का अनुसूचित जन जाति (हल्वा) का जाति प्रमाण पत्र 2007-2008 में जारी हुआ तो उक्त श्री शोभित 1997 में किस सक्षम कार्यालय के द्वारा जारी अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर औषधि निरीक्षक के पद पर नियुक्त हुआ? नायब तहसील/तह./एस.डी.एम./कलेक्टर के द्वारा 1997 या पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें? **(घ)** क्या छानबीन समिति ने तहसीलदार, तहसील जबेरा जिला दमोह म.प्र. का क्रमांक/164/12.10.2018 को सूचना के अधिकार के तहत का पत्र देखा? क्या छानबीन समिति ने देखा कि नौकरी 1997 में पाई? जाति प्रमाण पत्र 2007-08 में जारी हुआ? राज्य शासन उक्त छानबीन समिति के विरूद्ध कब तक एवं क्या कार्यवाही करेगी?

जनजातीय कार्य मंत्री : [(क) जी हाँ। **संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ख)** जी हाँ। **संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग)** लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **]** **(ग)** वर्ष 2007-2008 जाति प्रमाण-पत्र जारी नहीं हुआ है। अपितु जाति प्रमाण-पत्र जारी होने की पुष्टि की गई है। वर्ष 1997 के पूर्व इन्हें नायब तहसीलदार जबेरा जिला दमोह द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

छतरपुर जिले में स्थाई कर्मी को वेतन का भुगतान नहीं किया जाना
[जनजातीय कार्य]

2. परि.अता.प्र.सं. 62 (क्र. 536) श्री कुँवर विक्रम सिंह (नातीराजा) : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग अंतर्गत वर्ष 2016 से घोषित स्थाई कर्मियों

के वेतन का भुगतान दिनांक 30/12/2018 तक का किया गया है? **(ख)** क्या स्थाई कर्मियों का दिनांक 30/12/2018 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें? **(ग)** क्या दिनांक 29/09/2018 द्वारा आयुक्त कार्यालय भोपाल द्वारा 45 लाख रु. केवल स्थाई कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु आवंटित किया गया था, जिसका उपयोग जिला अधिकारी द्वारा अन्य मदों के व्यय पर कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इसके लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

जनजातीय कार्य मंत्री : [(क) जी हाँ। मांग संख्या 33-0495-12 एवं 33-1398-12 मद से कार्यरत स्थाई कर्मियों का वेतन भुगतान दिनांक 30/12/2018 तक किया जा चुका है। मांग संख्या 33-0494-12 मद से कार्यरत स्थाई कर्मियों का वेतन भुगतान नहीं किया गया है। **(ख)** केवल मांग संख्या 33-0494-12 मद से कार्यरत स्थाई कर्मियों का वेतन भुगतान आवंटन के अभाव में लंबित है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(ग)** आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास भोपाल के पत्र क्रमांक/एस.सी.डी./बजट/2018-19/न.क्र.8/7046, दिनांक 29.09.2018 द्वारा मांग संख्या 49 योजना क्रमांक 4717 योजनान्तर्गत मजदूरी हेतु 45.00 लाख का आवंटन प्राप्त हुआ था। उपरोक्त योजना में संचालित संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिक/स्वीपर को वेतन/मजदूरी का भुगतान निम्नानुसार किया गया है :-

देयक क्रमांक दिनांक	आहरित राशि	उददेशय
20001293916/29.09.2018	86537/-	स्थाई कर्मी वेतन जून 2018
20001293858/29.09.2018	844477/-	स्थाई कर्मी वेतन जुलाई 2018
20001294839/29.09.2018	844477/-	स्थाई कर्मी वेतन अगस्त 2018
20001293779/29.09.2018	844477/-	स्थाई कर्मी वेतन सितम्बर 2018
200012959/29.09.2018	76014/-	छात्रा. में कार्यरत कर्म. की वेतन जून 2018
20001307757/30.09.2018	11035/-	स्थाई कर्मी वेतन जुलाई 2018
2001307770/30.09.2018	11035/-	स्थाई कर्मी वेतन सितम्बर 2018
20001328059/03.10.2018	11035/-	स्थाई कर्मी वेतन अगस्त 2018
20001650388/09.11.2018	832805/-	स्थाई कर्मी वेतन अक्टुगर 2018
20001665017/13.11.2018	10000/-	कम्प्यू. ऑप की मजदूरी
20001345659/04.10.2018	17081/-	कम्प्यू. ऑप की मजदूरी
20001373432/06.10.2018	260921/-	छात्रा. में कार्यरत कर्म./स्वीपर की वेतन
20001428463/15.10.2018	155716/-	छात्रा. में कार्यरत कर्म./स्वीपर की वेतन
20001504327/27.10.2018	155458/-	छात्रा. में कार्यरत कर्म./स्वीपर की वेतन
20001519059/29.09.2018	337194/-	छात्रा में कार्यरत श्रमिको की मजदूरी का भुगतान
योग	**4498262/-**	

उपरोक्त आवंटन मजदूरी मद में प्राप्त हुआ था, जिसका व्यय मजदूरी मद में ही किया गया है, इसलिए कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

भारिया जनजाति को प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया जाना
[जनजातीय कार्य]

3. अता.प्र.सं. 94 (क्र. 669) श्री सुनील सराफ : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भारिया जनजाति को प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है? यदि हाँ, तो किन-किन जिलों में? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** क्या भारिया जनजाति को अन्य जिलों में भी विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा देने संबंधी कोई कार्यवाही शासन स्तर पर प्रचलित है? यदि हाँ, तो वस्तु स्थिति से अवगत करावें? यदि नहीं, तो शासन कब तक भारिया जनजाति को अन्य जिलों में विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किये जाने संबंधी कार्यवाही करेगा?

जनजातीय कार्य मंत्री : [(क) जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख)** प्रश्न के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि मध्यप्रदेश राज्य में विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अंतर्गत सहरिया, बैगा एवं भारिया जातियों को उनके निवास क्षेत्र में अधिसूचित किया गया है। यह जातियां अधिसूचित ग्रामों से बाहर रोजगार, शिक्षा के लिए निवास करने लगे हैं। अत: राज्य में निवासरत विशेष पिछड़ी इन जनजातियों का बेसलाईन सर्वे कराकर अचिन्हांकित क्षेत्रों में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों को चिन्हांकित क्षेत्र में निवासरत विशेष पिछड़ी जनजाति समूह परिवारों के समान योजना का लाभ संरक्षण सह-विकास योजना (सी.सी.डी. प्लान) अंतर्गत उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर निर्णय अपेक्षित है।

आदिवासी समाज की धर्म, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा के उत्थान के लिए कार्य योजना
[जनजातीय कार्य]

4. अता.प्र.सं. 104 (क्र. 688) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या जनजातीय कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, जिसमें पांचवी अनुसूची में 10 जिले हैं एवं अन्य जिलों में भी आदिवासियों की बाहुल्यता है, जिनकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, इनकी सांस्कृतिक उत्थान हेतु क्या कार्य किये गये हैं? **(ख)** क्या उनके धर्म, भाषा, सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिये शासन के पास विशेष कार्य योजना है? **(ग)** आदिवासियों के सांस्कृतिक उत्थान में क्या-क्या कार्य किये जा रहे हैं? क्या इन कार्य योजनाओं में आदिवासी सामाजिक संगठनों या उनसे जुड़े लोगों का सहयोग लिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? **(घ)** आदिवासी क्षेत्र मण्डला को विकसित करने के लिए मनेरी एवं

उदयपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है, जिसमें कितने उद्योग आदिवासियों के लिये हैं एवं कुल कार्यरत श्रमिकों में कितने प्रतिशत आदिवासी युवाओं के लिए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रत्येक वर्ष की कार्ययोजना अनरूप जनजातीयों का प्रोत्साहित करने हेतु जनजातीय साहित्य, संस्कृति, वाद-विवाद, संगीत, चित्रकला, हस्तशिल्प आदि से संबंधित संगोष्ठी/कार्यशाला/सेमिनार समय-समय पर आयोजित किये जाते हैं। प्रत्येक वर्ष ''आदिरंग'' कार्यक्रम प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाता है। ''आदिरंग'' कार्यक्रम अंतर्गत जनजातीय चित्रों की प्रर्दशनी ''आदिविव'' जनजातीय फिल्मों का प्रदर्शन ''आदिदर्पण'' एवं जनजातीय शिल्प ''आदिशिल्प'' के स्टोल लगाये जाते हैं। जनजातियों के सांस्कृतिक उत्थान के लिए उनके पारंपरिक गान, नृतत्वशस्त्री शोध कार्य एवं स्वास्थ्य से संबंधित कार्यशाला/सेमिनार/संगोष्ठी आयोजित किये जाते हैं, जिनमें जनजातियों की भागीदारी आवश्यक होती है। **(ख)** एवं **(ग)** आदिवासी बोली/भाषा से संबंधित पुस्तकें तैयार की गई हैं एवं आदिवासी भाषा में शिक्षा के लिए कार्य किया जा रहा है। 1. परम्परागत आदिवासी नृत्य-संगीत के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिनमें विभिन्न जिलों के आदिवासी कलाकारों द्वारा नृत्य-संगीत की प्रस्तुतियां दी जाती हैं। 2. पारंपरिक आदिवासी शिल्प कला के संरक्षण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन कर उन पर केन्द्रित पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। 3. विभिन्न जनजातियों की जीवनशैली और संस्कृति पर आधारित शोधपरक पुस्तकों का प्रकाशन एवं डाक्यूमेंट्री फिल्मों का निर्माण कर उनका प्रसारण कराया जाता है। 4. विभिन्न जिलों के जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 08 वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के माध्यम से जनजातीय गीत-संगीत, पर्व-उत्सवों की जानकारी एवं अन्य ज्ञानवर्धक जानकारियां प्रतिदिन प्रसारित की जाती है। **(घ)** हाँ मण्डला जिले में मनेरी एवं उदयपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 के अनुसार किया जाता है। कार्यरत श्रमिकों की जानकारी विभाग द्वारा संधारित नहीं की जाती।

जुलाई, 2019

दिनांक 8 जुलाई, 2019

डिफॉल्टर हुए किसानों के खाद-बीज हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. अता.प्र.सं. 18 (क्र. 160) श्री विश्वास सारंग : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या ऋण माफी योजना के कारण किसानों द्वारा राशि जमा न करना और राज्य सरकार द्वारा भी माफ किये कर्जों को बैंकों में जमा न करने से किसान बैंकों के डिफॉल्टर हो गये हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत ऐसे किसानों के लिए खरीफ की फसल के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चालू की जा रही है? **(ग)** प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत क्या ऐसे सभी किसानों को खाद-बीज उपलब्ध कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा माफ किए गए कर्जों की राशि सहकारी संस्थाओं में किसानों के खाते में समायोजित की गई है, जिससे किसान डिफॉल्टर नहीं हुए हैं। शेष किसान को उनकी मांग के अनुसार ऋण जमा करने पर तत्काल नवीन ऋण एवं खाद-बीज वस्तु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे उनकी ऋण माफी की पात्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। **(ख)** सहकारी संस्थाओं द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है तथा जय किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत जिन किसानों के प्रकरण स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनको भी उत्तरांश (क) में उल्लेख अनुसार नवीन ऋण एवं खाद-बीज हेतु वस्तु ऋण प्रदान किया जा रहा है। **(ग)** उत्तरांश (क) एवं (ख) अनुसार किसानों को खाद-बीज हेतु वस्तु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

दिनांक 10 जुलाई, 2019

पैरामेडिकल के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का प्रदाय
[चिकित्सा शिक्षा]

2. परि.अता.प्र.सं. 77 (क्र. 1114) श्री हरिशंकर खटीक : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** राज्य शासन ने प्रदेश में सरकारी एवं प्राइवेट (निजी) पैरामेडिकल कॉलेज खोले जाने हेतु क्या-क्या नियम बनाये हैं? ऐसे नियमों के आदेशों की छाया प्रतियां प्रदाय करें। **(ख)** प्रदेश में कहां-कहां, कब-कब से प्रश्न दिनांक तक सरकारी एवं प्राइवेट (निजी) पैरामेडिकल कॉलेज किस-किस विषयों के साथ सरकारी भवन एवं प्राइवेट निजी किस-किस के

भवनों में संचालित हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के आधार पर बतायें कि इन कॉलेजों में ऐसे कौन-कौन से कॉलेज हैं एवं इन कॉलेजों की कितने छात्र-छात्राओं को पांच वर्ष से प्रश्न दिनांक तक के मध्य, कॉलेज में अध्ययन करने के बावजूद भी पात्रता में होने के बावजूद भी प्रश्न दिनांक तक छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के आधार पर बतायें कि छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न दिये जाने पर कौन-कौन दोषी हैं? दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है? अगर नहीं तो कब तक कार्यवाही की जावेगी?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(ग)** प्रदेश के निजी क्षेत्र में संचालित सतना जिले के 01 कॉलेज में प्रश्नांश अवधि दर्शायी गई अवधि के मध्य 08 छात्र-छात्राओं को संस्था छोड़कर जाने के कारण छात्रवृत्ति प्रदान नहीं की गई है एवं छिन्दवाड़ा जिले में 05 कॉलेजों में 329 छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं किए जाने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान नहीं की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(घ)** उत्तरांश (ग) के प्रकाश में किसी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 12 जुलाई, 2019

विभागीय भूमि के संबंध में
[वन]

3. परि.अता.प्र.सं. 3 (क्र. 32) श्री आलोक चतुर्वेदी : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** छतरपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वन विभाग की कितनी भूमि है? वन खण्डों का नाम क्षेत्रफल सहित जानकारी प्रदाय करें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में उक्त भूमि की वर्तमान में क्या स्थिति है, क्या कोई अतिक्रमण या अवैध कब्जा है? यदि हाँ, तो कब से और किसका उक्त कब्जे को हटाने हेतु क्या प्रयास किये गए? **(ग)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में विगत 3 वर्षों में उक्त भूमि पर विभाग ने क्या-क्या कार्य किये? वर्षवार किये गये कार्य, व्यय राशि आदि का विवरण प्रदाय करें। **(घ)** विधानसभा क्षेत्र 51 अंतर्गत ऐसे कितने ग्राम/खसरें हैं,जिनके संबंध में वन एवं राजस्व विभाग के मध्य विवाद है?

वन मंत्री : [(क) प्रश्नाधीन विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत वन विभाग के आधिपत्य में 5,162.650 हेक्टेयर वनभूमि है। शेष प्रश्नांश की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश (क) में उल्लेखित भूमि में से 1198.320 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण है। शेष जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के**

प्रपत्र-दो अनुसार है। **(घ)** 42 ग्रामों के 705 खसरों पर वन एवं राजस्व विभाग के मध्य विवाद है। **] (ख)** उत्तरांश (क) में उल्लेखित भूमि में से 1192.147 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है।

माँ नर्मदा को जीवित इकाई माने जाने के बाद अवैध उत्खनन पर कार्यवाही
[खनिज साधन]

4. अता.प्र.सं. 103 (क्र. 1468) श्री कमल पटेल : क्या खनिज साधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पूर्व शासनकाल में नर्मदा नदी को जीवित इकाई के रूप में माना गया था? यदि हाँ, तो इस संबंध में जारी आदेश एवं गजट नोटिफिकेशन की छायाप्रतियां उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित मां नर्मदा नदी को जीवित इकाई के रूप में मान्यता दिये जाने के उपरांत से प्रश्न दिनांक तक मां नर्मदा नदी में अवैध रेत उत्खनन एवं प्रदूषण के चलते जिन व्यक्तियों एवं फर्मों के विरूद्ध विभाग द्वारा क्या वैधानिक कार्यवाही की गई? संपूर्ण जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** क्या विगत तीन वर्षों में म.प्र. के जिला हरदा में अवैध रूप से मां नर्मदा से अवैध रेत उत्खनन विभिन्न खनन माफियाओं द्वारा किया गया, जिससे कि मां नर्मदा नदी का ईको सिस्टम बिगड़ गया? क्या इस संबंध में खनिज साधन विभाग पर्यावरण विभाग के साथ संयुक्त टीम गठित कर मां नर्मदा नदी को प्रदूषित करने एवं अवैध उत्खनन के संबंध में उच्च स्तरीय जांच हेतु टीम गठित करेंगे? यदि हाँ, तो निश्चित समय अवधि बतावें। **(घ)** क्या म.प्र. की समस्त नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में तालाबों में हुए अवैध उत्खनन से हो रहे प्रदूषण एवं नदियों के ईको सिस्टम को सुधारने हेतु म.प्र. की नवीन रेत खनन नीति एवं अन्य खनन नीतियों में प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं नर्मदा नदी से 500 मीटर दूरी तक जे.सी.बी. मशीन एवं अन्य मशीनी उपकरणों से रेत एवं अन्य खनिज पत्थर उत्खनन पर रोक लगाएंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

खनिज साधन मंत्री : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि में अवैध रेत उत्खनन के प्रकरणों में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ** पर दर्शित है। **(ग)** जिला हरदा में विगत तीन वर्षों में अवैध रेत उत्खनन के प्रकरणों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब** पर दर्शित है। अवैध रेत उत्खनन के प्रकरणों पर विभाग द्वारा समुचित कार्यवाही की गई है। अत: पृथक से टीम गठित कर जांच कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) में दिये गये उत्तर के परिप्रेक्ष्य में 500 मीटर दूरी तक जे.सी.बी. मशीन एवं अन्य मशीनों, उपकरणों से रेत एवं अन्य खनिज पत्थर उत्खनन पर रोक लगाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **] (क)** जी नहीं। म.प्र. विधानसभा द्वारा इस संबंध में मात्र संकल्प पारित किया गया है, जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 15 जुलाई, 2019

पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऋण माफी की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. अता.प्र.सं. 18 (क्र. 899) श्री सुरेश धाकड़ : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत किसानों के ऋण वर्ष 2019 में ऋण माफ किये गये हैं? यदि हाँ, तो कुल कितने किसानों का कितना ऋण माफ किया गया? **(ख)** पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा दिसम्बर 2018 की स्थिति में कितने हितग्राहियों को कुल कितना ऋण दिया गया? **(ग)** पोहरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत प्रश्न दिनांक तक किन-किन को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) जी हाँ। 7465 कृषकों की कुल रूपये 2620.32 लाख की राशि माफ की गई। **(ख)** पोहरी विधान सभा में दिसंबर 2018 की स्थिति में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा 10145 कृषकों का राशि रूपये 3576.82 लाख का ऋण दिया गया। **(ग)** पोहरी विधान सभा में 7121 किसानों का ऋण मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशष्ट अनुसार** है।

समर्थन मूल्य पर खरीदी की बकाया राशि का भुगतान
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. अता.प्र.सं. 48 (क्र. 1630) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सागर जिले में जून 2019 की स्थिति में समर्थन मूल्य पर खरीद किए गए गेहूं, चना, मूंग, मसूर, उड़द आदि फसलों की भावान्तर योजना की कितनी राशि, कितने किसानों को कब से भुगतान हेतु बकाया है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? **(ख)** खुरई विकास खण्ड के किसानों को फसलवार बकाया राशि की जानकारी ग्रामवार, उपजवार दें? बकाया राशि का भुगतान कब तक किया जावेगा? **(ग)** क्या इस वर्ष पंजीकृत अनेक किसान अव्यवस्थाओं के कारण अपनी फसल की बिक्री नहीं कर पाये? यदि हाँ, तो ऐसे कितने किसान हैं?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** सागर जिले में वर्ष 2018-19 में गेहूं, चना, मसूर, उड़द आदि फसलों का भावांतर योजना के अन्तर्गत क्रय नहीं किया गया है। अत: जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में इस प्रकार की स्थिति सागर जिले में होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

कृषि कर्मण पुरस्कार के बाद भी किसानों की आय न बढ़ना
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

7. परि.अता.प्र.सं. 96 (क्र. 1928) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014-15 से 2018-19 फसल क्षेत्र में तथा कृषक आय में वृद्धि बतावें तथा उक्त अवधि में दोनों में हमारी वृद्धि राष्ट्र वृद्धि दर से कितनी कम अथवा ज्यादा हैं? **(ख)** वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक प्रदेश तथा राष्ट्रीय (औसत) प्रति कृषक वार्षिक आय कितनी है? **(ग)** रतलाम जिले में कृषकों द्वारा फसल बीमा पर दी गई प्रीमियम के दिसम्बर 2016 से दिसम्बर 2018 तक के आंकड़े वर्षवार बतायें? **(घ)** वर्ष 2016 से दिसम्बर 2018 तक प्याज खरीदी, भावांतर योजना में भुगतान पर अनुमानत: कितना व्यय हुआ तथा केन्द्र से कितना अनुदान प्राप्त हुआ?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। **] (क)** आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2014-15 से 2018-19 फसल क्षेत्र में वृद्धि तथा उक्त अवधि में म.प्र. की विकास दर राष्ट्रीय दर से कमी/आधिक्य की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** प्रदेश तथा राष्ट्रीय (औसत) प्रति कृषक वार्षिक आय गणना का कार्य विभाग द्वारा नहीं किया जाता है।

भावांतर योजना में अनियमितता
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

8. अता.प्र.सं. 98 (क्र. 1941) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** पिछले वर्ष 2014 से 2018 तक के वर्षवार निम्न आंकड़े देवें (1) कुल कृषि भूमि (2) कुल सिंचित भूमि (3) खाद्यान्न उत्पादन (4) दलहनी फसलों का उत्पादन (5) तिलहनी फसलों का उत्पादन (6) प्रमुख वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित फसलों में से किस फसल में वर्ष 2018-19 में उत्पादकता में वृद्धि या कमी हुई? यह कितने प्रतिशत है तथा खाद्यान्न, दलहन, तिलहन की फसलों की उत्पादकता प्रति हेक्टर पिछले 6 वर्षों की वर्षवार बतावें। **(ग)** पिछले पांच वित्तीय वर्ष में कृषि क्षेत्र के लिये केन्द्र सरकार से नियमानुसार विभिन्न योजनाओं के लिये कुल कितना-कितना केन्द्रांश/अनुदान प्राप्त हुआ तथा कितनी अतिरिक्त मांग वर्षवार की गई तथा उस मांग के तहत कितना अतिरिक्त अनुदान प्राप्त हुआ?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 की जानकारी एकत्रित की जा रही है, शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक पर** है। **(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो**

पर है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** बिन्दु क्रमांक 1 कुल कृषि भूमि :- वर्ष 2013-14 में 24150085 हे. वर्ष 2014-15 में 23913116 हे. वर्ष 2015-16 में 23817066 हे. वर्ष 2016-17 में 24317106 हे. वर्ष 2017-18 में 25114040 हे. एवं बिन्दु क्रमांक 2 कुल सिंचित भूमि :- वर्ष 2013-14 में 9919269 हे. वर्ष 2014-15 में 10300612 हे. वर्ष 2015-16 में 10028535 हे. वर्ष 2016-17 में 10670943 हे. वर्ष 2017-18 में 11394348 हे.। बिन्दु क्रमांक 3, 4, 5, 6 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक एवं दो अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है।

अनियमितता पर कार्यवाही
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

9. परि.अता.प्र.सं. 105 (क्र. 1993) श्री कुणाल चौधरी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2014-15 में कुल कृषि आय बतावें तथा प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि/कमी की जानकारी दें तथा उपरोक्त अवधि में प्रति कृषक वार्षिक आय कितनी हैं? **(ख)** क्या यह सही है कि वर्ष 2016-17 में कुल कृषि आय 2,22,174 करोड़ है तथा प्रदेश में इस वर्ष में अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या 5.8 करोड़ है (अनुमानित कुल जनसंख्या 8.2 करोड़ की 70 प्रतिशत) है। इस मान से प्रति कृषक वार्षिक आय 40 हजार से भी कम है जो देश के प्रति व्यक्ति आय की एक तिहाई है? यदि हाँ, तो बतावें की चार बार कृषि कर्मण पुरस्कार के बाद भी किसानों की आय में यथोचित वृद्धि नहीं है? **(ग)** पूर्व सरकार के पांच सालों में किसानों की आय दो गुनी करने का रोड मेप क्या है, बतायें?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय म.प्र. से प्राप्त जानकारी अनुसार 2014-15 में प्रदेश के फसल क्षेत्र का सकल वर्धित मूल्य (प्रचलित भावों पर) 130946 करोड़ रूपये है। फसल क्षेत्र के सकल वर्धित मूल्य (स्थिर 2011-12 भावों पर) में गत वर्ष की तुलना में 2014-15 में 129 प्रतिशत वर्ष 2015-16 में (-) 4.10 प्रतिशत वर्ष 2016-17 में 32.74 प्रतिशत वर्ष 2017-18 में 0.05 प्रतिशत एवं वर्ष 2018-19 से 4.85 प्रतिशत की वृद्धि/कमी रही है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय म.प्र. से प्राप्त जानकारी अनुसार 2016-17 में प्रदेश के फसल क्षेत्र का सकल वर्धित मूल्य (प्रचलित भावों पर) 190413 करोड़ अनुमानित रहा है। प्रदेश को पांच कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जिनका चयन भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है।] **(क)** प्रति कृषक वार्षिक आय से संबंधित आंकड़ों का संग्रहण विभाग द्वारा नहीं किया जाता है और न ही आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है।

दिनांक 19 जुलाई, 2019

सिहंस्थ 2016 के आयोजन में किये गए कार्य एवं खर्च राशि

[नगरीय विकास एवं आवास]

10. परि.अता.प्र.सं. 40 (क्र. 1576) श्री महेश परमार : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या उज्जैन सिंहस्थ महापर्व 2016 में लगभग 3500 करोड़ रूपये विभिन्न विभागों द्वारा खर्च किये गए? यदि हाँ, तो इतने बड़े पैमाने पर खर्च की गयी धनराशि के संबंध में व्यवस्थाओं और भ्रष्टाचार को लेकर कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं? उन शिकायतों पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** सिंहस्थ 2016 के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच के लिए कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और कितनी शिकायतों का निराकरण किया गया? **(ग)** सिंहस्थ 2016 से वर्तमान प्रश्नकाल तक विधानसभा में उठाए गए मामलों में भष्टाचार, अव्यवस्था, राशि के दुरुपयोग एवं उच्च स्तरीय जांच के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी? जांच उपरांत कितने शिकायती प्रकरणों को सही पाया गया?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) उज्जैन सिंहस्थ महापर्व 2016 के लिये रूपये 2790.37 करोड़ लागत के कार्य स्वीकृत हुये हैं, अंतिम आंकड़ों का संकलन किया जा रहा है एवं रूपये 2433.49 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित हुआ। विभागवार प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई जांच तथा जांच रिपोर्टों के अनुसार की गई कार्यवाही की जानकारी एकत्रित की जा रही हैं। **(ख)** फरवरी, 2019 में शहर (जिला) कांग्रेस कमेटी, उज्जैन द्वारा उज्जैन में आयोजित कुंभ मेले में किये गये कार्यों की जांच हेतु जांच आयोग के गठन की मांग की गई हैं, पत्र विचाराधीन हैं। महाकाल मंदिर में नंदी हाल, इंदौर उन्हेल उज्जैन मार्ग, कान्ह नदी कार्य के अधूरा रहने, वृक्षारोपण, पानी की टंकियों एवं अस्पताल में अव्यवस्थाओं आदि संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच ई.ओ.डब्ल्यू. से करवाये जाने के आदेश देने पर कार्यवाही विचाराधीन हैं। **(ग)** सिंहस्थ 2016 में विषय पर वर्तमान प्रश्नकाल तक कुल 16 तारांकित एवं 6 अतारांकित प्रश्न उठाये गये/प्रश्नों एवं उत्तरों का विवरण **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। उत्तरों के परिशिष्ट पुस्तकालय में पूर्व से ही पुस्तकालय में रखे हैं। **] (क)** उज्जैन सिंहस्थ महापर्व 2016 के लिये रू. 2790.37 करोड़ लागत के कार्य स्वीकृत हुये हैं एवं रू. 2433.49 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित हुआ है। विभागों में हुये व्यय की विभागों से उपलब्ध **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। विभागवार प्राप्त शिकायतों एवं उन पर की गई जांच रिपोर्टों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

[आदिमजाति कल्याण]

11. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 2335) श्री ग्यारसी लाल रावत : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2010 से 2018 तक कितने आदिवासी विद्यार्थियों को राज्य सरकार से उच्च अध्ययन के लिये विदेश भेजा गया? गड़बड़ी पाये जाने पर किन लोगों से कितनी-कितनी राशि वसूल की गई? **(ख)** क्या वर्ष 2010 से 2018 की अवधि में आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति में गड़बड़िया सामने आई थी? यदि हाँ, तो इन कुल कितनी राशि का घोटाला सामने आया क्या इसकी कोई जांच कराई गई? जांच रिपोर्ट में कौन लोग जबाबदार पाए गए और उनके खिलाफ क्या कारवाई की गई। **(ग)** बड़वानी जिले में 43 हा. सेकेण्ड्री स्कूलों में सामग्री क्रय में घोटाला सामने आया। जांच रिपोर्ट में कौन लोग जवाबदार पाए गए और उनके खिलाफ क्या कारवाई की गई?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [(क) वर्ष 2010 से 2018 तक 25 अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विदेश भेजा गया। केवल 01 छात्रा को त्रुटिवश शिक्षण शुल्क की राशि रूपये 7,35,251/- अधिक जारी हो गई थी। (न्यूजीलेण्ड डॉलर में गणना न कर यू. एस. डॉलर में गणना होने के कारण), जिसकी वसूली की जा रही है। अभी तक 2,20,000/- की वसूली की जा चुकी है। **(ख)** लोकायुक्त एवं ई.ओ.डब्ल्यू. से जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** वर्ष 2012-13 में बड़वानी जिले में 43 हायर सेकेण्डरी स्कूलों में सामग्री क्रय में घोटाले के संबंध में जवाबदारों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। कलेक्टर बड़वानी द्वारा जांच कर प्रतिवेदन पत्र क्रमांक 7560, दिनांक 03-10-2017 द्वारा आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर को, दोषी पाये गये संबंधित प्राचार्यो के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु भेजा गया है। वर्तमान में कार्यवाही प्रचलन में है। **] (ख)** जिला सीधी अंतर्गत अशासकीय संस्था सरस्वती महाविद्यालय ताला (मझोली) के संस्था प्रमुख एवं अन्य द्वारा छात्रवृत्ति की राशि रू. 30643940/- गबन की गई थी, जिनके विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज किया जाकर चालान प्रस्तुत किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्राचार्य श्री दादूलाल यादव एवं कर्मचारी श्री अविनाश शुक्ला, श्री महेन्द्र यादव, श्री राजेश पाण्डेय को दोषी पाया गया एवं जुर्माना व कठोर कारावास से दण्डित किया गया है। विभाग द्वारा छात्रवृत्ति वितरण में गड़बड़ी से संबंधित कोई पृथक जांच दल गठित नहीं किया गया है। अत: शेष जानकारी निरंक है।

एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना

[आदिमजाति कल्याण]

12. परि.अता.प्र.सं. 158 (क्र. 3047) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न विकास विभागों की राज्य योजना मद में कितनी-कितनी राशि केन्द्र एवं राज्य सरकार से किन कर्यों के लिये आवंटित हुई और कितनी खर्च हुई? वर्षवार, विभाग वार

जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** उपरोक्त अवधि में मध्यप्रदेश के एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को केन्द्र एवं राज्य सरकार से कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिये आवंटित की गई? परियोजनावार, विभागवार, वर्षवार आवंटित की गई राशि की जानकारी उपलब्ध करावें।

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [(क) आदिवासी उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न 42 विभागाध्यक्षों के बजट में राज्य एवं केन्द्र की प्रावधानित राशि के विरूद्ध आवंटन-व्यय एवं कार्यों/गतिविधियों पर व्यय राशि, संबंधी विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार** है। शेष 09 विभागाध्यक्षों की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** उपरोक्त अवधि में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं को विभागवार, वर्षवार आवंटित राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार** है। **] (क)** आदिवासी उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक विभिन्न 51 विभागाध्यक्षों के बजट में राज्य एवं केन्द्र की प्रावधानित राशि के विरूद्ध आवंटन व्यय एवं कार्यों/गतिविधियों पर व्यय राशि, संबंधी विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

दिनांक 23 जुलाई, 2019

विभिन्न विभागों में भर्ती नियम के संबंध में
[सामान्य प्रशासन]

13. अता.प्र.सं. 35 (क्र. 2821) श्री विष्णु खत्री : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन के कौन-कौन से विभागों में प्रश्न दिनांक तक भर्ती नियम लागू नहीं हैं? विभागवार सूची उपलब्ध करवाएं। **(ख)** भोपाल संभागांतर्गत किन-किन विभागों द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है एवं कितने विभागों में अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है? विस्तृत सूची उपलब्ध करवाएं। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में अनुंकपा नियुक्ति प्रदान न किए जाने से क्या-क्या कारण हैं? लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्राप्तकर्ताओं की 01 जनवरी, 2015 से प्रश्न दिनांक तक की जानकारी उपलब्ध कराएं। (घ) यदि सेवा भर्ती नियमों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने में कठिनाई है, तो ऐसे प्रकरणों में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु क्या आदेश/नियम प्रक्रिया है? उसका उल्लेख करते हुये प्रतियां उपलब्ध करावें। लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक हो जाएगा।

सामान्य प्रशासन मंत्री : [(क) से **(घ) जानकारी एकत्रित की जा रही** है। **] (क)** लोक सेवा प्रबंधन तथा नर्मदा घाटी विकास विभाग में भर्ती नियम लागू नहीं हैं। **(ख)** सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार सभी विभागों में अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा रही है। **(ग)** पद रिक्त होने एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता/अर्हता की पूर्ति किये जाने

पर ही अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाती है। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रश्नावधि में 116 प्रकरण लंबित हैं। **(घ)** नियम/निर्देशों के तहत अनुकम्पा नियुक्ति दिये जाने में कोई कठिनाई नहीं है। प्रकरणों के निराकरण की निश्चित समयावधि बताना संभव नहीं है। अनुकंपा नियुक्ति का निर्देश दिनांक 29.09.2014 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

आध्यात्म विभाग अंतर्गत बजट व्यय एवं कार्य योजना की जानकारी

[अध्यात्म]

14. अता.प्र.सं.94 (क्र. 3592) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** इन्दौर संभाग में आध्यात्म-विभाग के अंतर्गत सम्मिलित विभिन्न-विभागों में दिनांक 01/01/2015 से प्रश्न-दिनांक तक कुल कितना बजट विभिन्न-मदों में निर्धारित किया गया? उक्त बजट को किन-किन मदों में व्यय किया गया, संपूर्ण जानकारी वर्षवार जिलेवार उपलब्ध कराएं। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित आध्यात्म-विभाग एवं उसमें सम्मिलित समस्त-विभागों में 01/01/2015 से प्रश्न-दिनांक तक अनुसूचित-क्षेत्रों में व्यय बजट की वर्षवार जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ग)** मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के देवस्थानों, गढ़, किलों एवं उनके धार्मिक-महत्व के स्थानों पर 01/01/2015 से प्रश्न-दिनांक तक व्यय की गई पृथक-पृथक स्थानवार राशि एवं स्वीकृत अनुदान की जानकारी उपलब्ध कराएं एवं उक्त धार्मिक-स्थान तथा देवस्थानों पर जीर्णोद्धार हेतु व्यय की गई राशि की जानकारी भी उपलब्ध कराएं। वर्तमान सरकार द्वारा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के धार्मिक-स्थानों हेतु पृथक से निर्धारित बजट-राशि की जानकारी एवं तैयार की गई कार्ययोजना की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(घ)** क्या शासन जिला धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, रतलाम एवं अन्य अनुसूचित जनजाति के देवस्थानों को संरक्षित एवं उनके जीर्णोद्धार हेतु कोई योजना तैयार करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? क्या मनावर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न अनुसूचित-जनजाति वर्ग के देवस्थानों एवं पुरातत्व-महत्व के स्थानों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत एवं जीर्णोद्धार हेतु भौतिक रूप से जांच करने हेतु एवं कार्ययोजना बनाने हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों को आदेशित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं तो क्यों नहीं।

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** इन्दौर, धार, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर जिलो से संबंधित **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार** है। **(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य जिला इन्दौर, धार, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर में जानकारी निरंक है। **(ग)** इन्दौर, धार, बड़वानी, खण्डवा, बुरहानपुर, खरगोन, जिलो से प्राप्त जानकारी अनुसार उत्तरांश "ग" भाग की जानकारी निरंक है। कलेक्टर जिला अलीराजपुर एवं झाबुआ से प्राप्त जानकारी अनुसार धर्मस्व विभाग के मंदिरों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार** है। **(घ)** शासन द्वारा जिला धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, रतलाम एवं

अनुसूचित जनजाति के देवस्थानों को संरक्षित एवं उनके जीर्णोद्धार हेतु पृथक से योजना तैयार करने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

दिनांक 24 जुलाई, 2019

मेडिकल कॉलेजों में फर्जीवाड़े में पाये गये छात्रों पर कार्यवाही
[चिकित्सा शिक्षा]

15. अता.प्र.सं.39 (क्र. 3041) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासकीय एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में यूजी एवं पी.जी. में अध्यनरत किन छात्रों को जनवरी 2011 से जुलाई 2015 के बीच महाविद्यालय से निष्कासित किया गया उन छात्रों के नाम, पिता का नाम, निवास का पता, अध्यनरत प्रोफेशनल वर्ष, निष्कासन आदेश का दिनांक, महाविद्यालय का नाम निष्कासन के कारण सहित सूची देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) की सूची में से किन-किन छात्रों ने किस न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया, छात्र का नाम, न्यायलय का नाम, प्रकरण क्रमांक, आदेश दिनांक सहित जानकारी दे तथा बतावें कि उन छात्रों के प्रकरण में वर्तमान स्थिति क्या है? **(ग)** प्रश्नांश (क) की सूची में किन-किन छात्रों पर एस.टी.एफ. द्वारा यदि किसी आरोप में प्रकरण दर्ज किया गया हो तो उस छात्र का नाम प्रकरण दर्ज करने वाले थाने का नाम, प्रकरण क्रमांक, धाराएं सहित सूची देवें? **(घ)** प्रश्न क्रमांक 39 दिनांक 14 मार्च, 2016 के खण्ड (क) के उत्तर के संदर्भ में बतावें कि पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया गया, क्या इस पत्र का उत्तर भविष्य में कभी भी दिया जायेगा, यदि हाँ, तो उसका कारण बतावें? यदि दिया जायेगा तो कब तक दिया जायेगा? **(ड.)** वर्ष 2011 से 2016 तक MBBS की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का नाम, पिता का नाम, पता, महाविद्यालय का नाम तथा प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने का वर्ष सहित सूची देवें?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांश 'क' के संबंध में 06 शासकीय 06 निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से प्राप्त **जानकारी की छायाप्रतियॉ पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार**। **(ख)** प्रश्नांश की जानकारी 'क' में सम्मिलित है। **(ग)** समस्त स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा अवगत कराया है कि व्यापम प्रकरण से संबंधित सभी जांच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है। एस.टी.एफ. के द्वारा छात्रों पर किन धाराओं पर प्रकरण दर्ज किए गए है, यह जानकारी कार्यालय में नहीं है। **(घ)** विभाग के पत्र दिनांक 07/04/2016 द्वारा एस.टी.एफ. को उत्तर भेजा गया है। **(ड.)** प्रश्नांश की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

दिनांक 26 जुलाई, 2019

वन भूमि के पट्टों का वितरण
[आदिमजाति कल्याण]

16. परि.अता.प्र.सं. 4 (क्र. 387) श्री रामपाल सिंह : क्या आदिमजाति कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जून-19 की स्थिति में रायसेन जिले में कितने वन अधिकार (वन भूमि के पट्टा) व्यक्तिगत एवं सामुदायिक के आवेदन पत्र कब से किस स्तर पर क्यों लंबित है उनका कब तक निराकरण होगा? **(ख)** प्रश्नांश (क) से संबंधित किन किनके आवेदन पत्र ग्राम सभा एवं उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा कब-कब, क्यों निरस्त किये गये? संबंधितों को सूचना कब, किस माध्यम से दी गई **(ग)** सामुदायिक दावा किन-किन भूमियों एवं स्थानों पर किया जा सकता है इस संबंध में क्या-क्या निर्देश है? प्रति दें। **(घ)** रायसेन जिले में उक्त प्रकरणों के संबंध में 1 जनवरी 17 से जून 19 तक किन-किन सांसद-विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

आदिमजाति कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 2 **(घ)** में वर्णित वन भूमि पर एवं धारा 3 (1) में वर्णित प्रयोजनों हेतु सामुदायिक अधिकार दिये जा सकते है। **(घ) जानकारी परिशिष्ट**-एक पर संलग्न है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'एक' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'दो' अनुसार** है।

ग्राम पंचायत के वन एवं राजस्व भूमि पर अतिक्रमण
[वन]

17. परि.अता.प्र.सं. 45 (क्र. 2671) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले के सोहावल विकासखण्ड में ग्राम पंचायत बारीकला, बराज, नीमी, भरजुनाकला, बठियाखुर्द, नैना में रमना जंगल या अन्य वन भूमि की कितनी भूमि राजस्व रिकार्ड में एवं कितनी भूमि वन विभाग के अभिलेखों में दर्ज है? राजस्व विभाग एवं वन विभाग की पृथक-पृथक जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार राजस्व अभिलेखों एवं वन अभिलेखों में रमना जंगल एवं अन्य वन भूमि के रकबे में अंतर का क्या कारण है? **(ग)** क्या पूर्व में वन अपराध प्रकरण क्रमांक 82/20 के तहत लीज एरिया के अतिरिक्त सेफ जोन में जंगल के पेड़-पौधों को नष्ट करते हुये अवैध उत्खनन का कार्य किया गया एवं लगभग 4 हैक्टेयर वन भूमि से 120000 घन मीटर लाइम स्टोन का उत्खनन किया गया? यदि हाँ, तो ऐसा किनके-किनके द्वारा किया गया? वर्तमान में कितने भूमि पर अवैध रूप से उत्खनन का कार्य किया जा रहा है? इसके लिए दोषी कौन है? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख), (ग) अनुसार रमना जंगल एवं अन्य भूमि की प्राकृतिक संपदा का अवैधानिक रूप से दोहन करने,

जंगल को नुकसान करने के विरूद्ध दोषियों पर शासन द्वारा कब तक और क्या कार्यवाही करेगी? अवैध उत्खनन किये गये लाइम स्टोन की कुल कीमत एवं जंगल की राशि का आंकलन कर कब तक संबंधितों से किस प्रकार वसूल करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वन मंत्री : [**(क)** वन विभाग के अभिलेखों के अनुसार प्रश्नांश में उल्लेखित ग्राम पंचायतों में वनक्षेत्र से **संबंधित जानकारी परिशिष्ट-1 में संलग्न** है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार उल्लेखित ग्राम पंचायतों में वनक्षेत्र की **जानकारी परिशिष्ट-2 में संलग्न** है। **(ख)** वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार रकबे में मामूली अंतर है, जिसके संबंध में जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** जी नहीं। दिनांक 13.12.2011 को वन परिक्षेत्र सतना के कर्मचारियों द्वारा कक्ष क्रमांक 787 का निरीक्षण करने पर उनके द्वारा वन अपराध प्रकरण 82/20 दर्ज किया गया था। तत्पश्चात् की गई जांच में यह पाया गया है कि कलेक्टर, सतना एवं खनिज साधन विभाग की सहमति के आधार पर वर्ष 1956 में बिड़ला कार्पोरेशन को खनिज लीज स्वीकृत हुई थी। जिसमें 87.00 हेक्टेयर वन भूमि है। मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3-183/76/12/16 दिनांक 22.04.1977 द्वारा प्रथम नवकरण अवधि 19.10.1976 से 12.10.1996 के लिए लीज स्वीकृत हुई थी। बिड़ला कार्पोरेशन द्वारा 1996 के बाद वनक्षेत्र में कोई उत्खनन नहीं किया गया है। अतः यह सही नहीं है कि 120000 घन मीटर लाइम स्टोन का उत्खनन किया गया। वर्तमान में क्षेत्र में उत्खनन नहीं हो रहा है इसलिए शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जंगल को नुकसान पहुंचाने अथवा प्राकृतिक सम्पदा को अवैधानिक रूप से दोहन करने का कोई प्रकरण नहीं है। अतः नुकसानी होने अथवा अन्य कोई कार्यवाही करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।] **(ख)** वन विभाग तथा राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार रकबे की जानकारी में अंतर का कारण खसरे का कुछ भाग वन के रूप में दर्ज होने से है।

जानकारी उपलब्ध कराने एवं जिम्मेदारी पर कार्य करना

[वन]

18. अता.प्र.सं.41 (क्र. 2672) श्री सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सतना जिले के सोहावल विकासखंड की ग्राम पंचायत बारीकला, बराज, नीमी, भरजुनाकला, बठियाखुर्द, नैना के रमना जंगल में वृक्षारोपण, बाउन्ड्रीवॉल व तारबाडी के कार्य वर्ष 2002 से प्रश्नांश दिनॉक तक में पर्यावरण प्रबंधन एवं ग्रीन बेल्ट विभाग द्वारा कितनी-कितनी लागत से कब-कब, किन-किन वर्षों में कराये गये, का विवरण देवें साथ ही प्राप्त राशि का उपरोक्त वर्षों से विवरण पृथक से देवें एवं आय और व्यय का तुलनात्मक विवरण देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में भूमियॉ सीमेंट फैक्ट्री के लिये आवंटित की गई। आवंटित राजस्व एवं वन भूमि का खसरा नं. सहित विवरण देवें। आवंटित भूमियों में क्या फैक्ट्री द्वारा बाउन्ड़ीवॉल/तारबाड़ी लगाकर निर्माण किया गया है? उनमें में कितनी सीमा में फैक्ट्री द्वारा एवं कितने भाग में वन विभाग द्वारा बाउन्ड्रीवॉल/तारवाड़ी

लगाकर भूमि को सुरक्षित किया गया है? पृथक-पृथक जानकारी भूमि नं. एवं सीमा चिन्ह को दर्शाते हुए विवरण देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** की वन भूमियों में अवैध उत्खनन की कार्यवाही भी की जा रही है, उत्खनन फैक्ट्री अथवा ठेकेदारों व आमजनों द्वारा किया जा रहा है, का विवरण देते हुये बतावें कि वर्ष 2010 से प्रश्नांश दिनॉक तक में कितने प्रकरण, किन-किन के ऊपर तैयार कर प्रस्तुत किये गयें, इनके लिये उपयोग हुये वाहनों के नाम, वाहन क्र. व मालिक के नाम सहित विवरण देवें, इसमें प्राप्त राजस्व की जानकारी का विवरण वर्षवार देवें, यदि वसूली शेष है, तो पृथक से बतावें और क्यों? क्या अपराध क्रमांक 82/20 किन-किन के ऊपर पंजीबद्ध किये गये एवं कार्यवाही की स्थिति क्या है, की जानकारी अलग से देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार वृक्षारोपण एवं पर्यावरण प्रबंधन हेतु प्राप्त राशि का संबंधितों द्वारा दुरूपयोग किया गया? फैक्ट्री द्वारा जबरन प्रशासन से मिलीभगत कर खनिज का उत्खनन किया एवं कराया जा रहा है, जिस पर जिम्मेदारों द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी, जिम्मेदारों के पद एवं नाम की जानकारी देते हुये बतावें कि इनको दोषी मानकर इन पर क्या कार्यवाही प्रस्तावित करेंगे, साथ ही फैक्ट्री व अन्य अवैध उत्खननकर्ताओं पर आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराते हुये राजस्व की वसूली कब तक करावेगें? अगर नहीं तो क्यों? कारण सहित बतावें।

वन मंत्री : [**(क)** पर्यावरण प्रबंधन एवं ग्रीन बेल्ट नाम का कोई विभाग नहीं है। अत: आय-व्यय एवं अन्य विवरण दिये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री को दी गई वन भूमि की **जानकारी परिशिष्ट-1 अनुसार** है। इस फैक्ट्री को आवंटित राजस्व भूमि की जानकारी एकत्रित की जा रही है। इस फैक्ट्री को दी गई भूमि पर बाण्ड्रीवॉल/तारबाड़ी लगाने का कार्य वन विभाग अथवा फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा नहीं किया गया है। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं **(ख)** से संबंधित वन भूमियों में वर्ष 2010 से प्रश्नांश दिनांक तक 01 प्रकरण, जिसका वन अपराध प्रकरण क्रमांक 82/20 है, पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण जिन के विरूद्ध दर्ज किया गया है, उसकी **जानकारी परिशिष्ट-2 अनुसार** है। इस प्रकरण की जांच करने पर यह पाया गया कि कलेक्टर, सतना एवं खनिज साधन विभाग की सहमति के आधार पर वर्ष 1956 में बिड़ला कार्पोशन को खनिज लीज स्वीकृत हुई थी, जिसमें 87.00 हेक्टेयर वन भूमि है। मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3-183/76/12/16, दिनांक 22.04.1977 द्वारा प्रथम नवकरण अवधि 19.10.1976 से 12.10.1996 के लिये लीज स्वीकृत हुई थी। उत्खनन कार्य करने के कारण स्थल पर बड़ा गड्ढा निर्मित होने के कारण मौके का सीमांकन कार्य करना सम्भव नहीं है। इसी दौरान प्रकरण माननीय न्यायालय नेशनल ग्रीन ट्रिबुनल भोपाल (प्रकरण क्रमांक 35/2014) में प्रस्तुत होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 03.02.2016 को दिये निर्णय अनुसार बिड़ला सीमेन्ट सतना द्वारा बैकफिल एवं रिक्लेमेशन क्षेत्र की योजना तैयार की गई है और इस पर अमल किया जा रहा है। बैकफिल एवं रिक्लेमेशन कार्य पूर्ण होने पर वन क्षेत्र का वास्तविक सीमांकन होने पर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 82/20 दिनांक

13.12.2011 का निराकरण हो सकेगा। बिड़ला कार्पोरेशन द्वारा 1996 के बाद वनक्षेत्र में कोई उत्खनन नहीं किया गया है। **(घ)** प्रश्नांश (क) **(ख)** एवं **(ग)** अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्य हेतु किसी प्रकार की राशि प्राप्त नहीं की गई है। प्रकरण में वर्ष 1996 के उपरांत किसी प्रकार का उत्खनन नहीं हुआ है। अतः अवैध उत्खननकर्ताओं पर अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये जाकर राजस्व की वसूली किये जाने प्रश्न उपस्थित नहीं होता।] **(ख)** बिड़ला सीमेन्ट फैक्ट्री को दी गई वन भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। इस फैक्ट्री को आवंटित राजस्व भूमि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। इस फैक्ट्री को दी गई भूमि पर बाण्ड्रीवॉल/तारबाड़ी लगाने का कार्य वन विभाग द्वारा नहीं किया गया है।

सिहंस्थ 2016 से संबंधित कार्यों का विवरण
[नगरीय विकास एवं आवास]

19. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 3212) श्री कुणाल चौधरी : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिंहस्थ 2016 में कुल खर्च कितना हुआ है? यह सिंहस्थ 2004 से कितना ज्यादा है? सिंहस्थ 2016 में नि:शुल्क क्या-क्या सामग्री कितने संत को प्रदान की गई? सूची देवें तथा बतावें कि वैचारिक कुंभ किस दिनांक से किस दिनांक तक लगाया गया और उस पर कितना खर्च हुआ? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित वैचारिक कुंभ में शामिल प्रतिनिधियों के नाम पते, सहित सूची देवे तथा उस पर हुए सम्पूर्ण खर्च की आन्तरीय रिपोर्ट की प्रति देवें। **(ग)** सिंहस्थ 2016 में आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार की कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? कितनों की विवेचना पूर्ण हो गयी तथा कितनी शिकायतों की विवेचना चल रही है? लोकायुक्त एवं ई.ओ. डब्लू में कितनी शिकायतों पर प्रकरण दर्ज हुए या विवेचना में है? सभी की सूची, शिकायतकर्ता का नाम दिनांक विषय वस्तु सहित जानकारी दें। **(घ)** क्या शासन सिंहस्थ 2016 में हजारों करोड़ के घोटाले की जांच करवायेगा, यदि हाँ, तो क्या विधायको की भी जांच समिति बनाई जावेगी तथा उसमें प्रश्नकर्ता विधायक को भी शामिल किया जावेगा?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [**(क)** सिंहस्थ 2016 में अब तक राशि रू. 2433.49 करोड़ का व्यय प्रतिवेदित किया गया है। सिंहस्थ 2004 में सभी अन्य विभागों में हुए व्यय की जानकारी इस विभाग में संकलित की जा रही है। अत: इस कारण तुलनात्मक जानकारी देना संभव नहीं है। नगर निगम उज्जैन द्वारा सिंहस्थ 2016 में क्रय की गई सामग्री में से मोलडेड वाटर स्टोरेज टैंक 500 लीटर एवं 1000 लीटर का वितरण अखाड़ों/साधू संतो/ खालसों/पांडालों आदि को किया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। वैचारिक कुंभ के आयोजन के संबंध में एवं व्यय की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** संबंधित विभाग से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** सिंहस्थ 2016 में नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा कराये गये कार्यों में कुल 5 शिकायतें (01 लोकायुक्त में

एवं 04 ई.ओ.डब्ल्यू.में) प्राप्त हुई थी जिसमें से एक शिकायत पर कार्यवाही पूर्ण होकर जांच समाप्त हो गई है। शेष 04 शिकायतों पर ई.ओ.डब्ल्यू. में विवेचना जारी है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। अन्य विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** महाकाल मंदिर में नन्दी हॉल, इन्दौर उन्हैल, उज्जैन मार्ग, खान नदी कार्य के अधूरा, वृक्षारोपण, पानी की टंकियों एवं अस्पताल में अव्यवस्थाओं आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करवाये जाने के संबंध में कार्यवाही विचाराधीन है।] **(क)** सिंहस्थ 2016 में अब तक राशि रू. 2433.49 करोड का व्यय प्रतिवेदित किया गया है। सिंहस्थ 2004 में सभी अन्य विभागों में हुये व्यय की विभागों से उपलब्ध **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। नगर निगम उज्जैन द्वारा सिहंस्थ 2016 में क्रय की गई सामग्री में से मोलडेड वाटर स्टोरेज टैंक 500 लीटर एवं 1000 लीटर का वितरण अखाडो/साधू संतो/खालसो/पडांलो आदि को किया गया था। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। वैचारिक कुंभ के आयोजन के संबंध में विभागों से उपलब्ध **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** विभागों से उपलब्ध **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** सिंहस्थ 2016 में नगरपालिक निगम उज्जैन द्वारा कराये गये कार्यों में कुल 5 शिकायतें (01 लोकायुक्त में एवं 04 ई.ओ.डब्ल्यू में) प्राप्त हुई थी जिसमें से एक शिकायत पर कार्यवाही पूर्ण होकर जांच समाप्त हो गयी है। शेष 04 शिकायतो पर ई.ओ.डब्ल्यू. में विवेचना जारी है **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। अन्य विभागों की उपलब्ध **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-द अनुसार** है।

वन उत्पादन में निरंतर गिरावट

[वन]

20. अता.प्र.सं.117 (क्र. 3996) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रदेश में कुल वन क्षेत्र 85.89 लाख हेक्टेयर है जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 30 प्रतिशत है यदि हाँ, तो क्या क्या वर्ष 2011 से 2018 तक इमारती लकड़ी, जलाऊ चट्टे तथा बांस के उत्पादन में प्रतिवर्ष काफी कमी हुई, यदि हाँ, तो क्यों? **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्पादन की कमी से क्या यह प्रदर्शित होता है, कि पूर्व मैं शासन स्तर पर अवैध जंगल काटने को संरक्षण दिया गया आलोच्य अवधि में तीनों के उत्पादन का जिलेवार आंकड़ा देवें। **(ग)** वर्ष 2011 से 2018-19 तक प्राप्त सकल राजस्व की वर्षवार जानकारी दें बतावें कि लक्ष्य क्या था तथा उसकी कितने प्रतिशत प्राप्ति हुई? रतलाम में स्थापित विस्तार वृत द्वारा रोपनीयो में वर्षवार कितने पौधे तैयार कर कहां-कहां रोपे गये? उनमें से कितने जीवित हैं। **(घ)** 2017 में तात्कालिक मुख्यमंत्री की नर्मदा यात्रा के दौरान कुल कितने पौधे लगाये गये तथा उनपर कितनी राशि खर्च हुई। मई 2019 में कितने पौधे जीवित हैं।

वन मंत्री : [**(क)** जी नहीं। प्रदेश का कुल वनक्षेत्र 94.69 लाख हेक्टेयर है] जो प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72 प्रतिशत है। वर्ष 2011 से 2018 तक इमारती लकड़ी] जलाऊ चट्टे तथा बांस के उत्पादन की **जानकारी परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष वनक्षेत्रों में विदोहन की अनुमति दी जाती है। विदोहन योग्य कूपों के क्षेत्र एवं उनमें वनवर्धन के दृष्टिकोण से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या में भिन्नता होने से प्रतिवर्ष कूपों का क्षेत्रफल तथा उत्पादन भी घटता-बढ़ता रहता है। बांस क्षेत्रों में सामुहिक पुष्पन एवं बढ़ते जैविक दबाव के कारण कमी आई है। **(ख)** इमारती लकड़ी, जलाऊ चट्टे तथा बांस के उत्पादन में कमी का कारण विदोहन योग्य कूपों के क्षेत्र एवं उनमें वनवर्धन के दृष्टिकोण से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या में भिन्नता से प्रतिवर्ष उत्पादन घटना या बढ़ना है। इमारती लकड़ी] जलाऊ चट्टे एवं बांस के उत्पादन की जिलेवार जानकारी संकलित की जा रही है। प्रदेश में वर्षवार इनके उत्पादन की **जानकारी परिशिष्ट-1 अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त सकल राजस्व की वर्षवार **जानकारी परिशिष्ट-2 अनुसार** है। अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रतलाम के अन्तर्गत रोपणियों में वर्षवार तैयार किये गये एवं वितरित किये गये पौधों की **जानकारी परिशिष्ट**-3 अनुसार है। पौधे जीवित होने की जानकारी संकलित की जा रही है। **(घ)** 15 दिवस में जानकारी प्राप्त कर माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाएगा।] **(ख)** इमारती लकड़ी, जलाऊ चट्टे तथा बांस के उत्पादन में कमी का कारण विदोहन योग्य कूपों के क्षेत्र एवं उनमें वनवर्धन के दृष्टिकोण से काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या में भिन्नता से प्रतिवर्ष उत्पादन घटना या बढ़ना है। इमारती लकड़ी, जलाऊ चट्टे एवं बांस के उत्पादन की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। प्रदेश में वर्षवार इनके उत्पादन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त सकल राजस्व की वर्षवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त रतलाम के अन्तर्गत रोपणियों में वर्षवार तैयार किये गये पौधों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। विभागीय रूप से रोपे गये पौधें में से जीवित पौधों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार** है।

दिसम्बर, 2019

दिनांक 17 दिसम्बर, 2019

किसानों को कर्ज माफी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

1. परि.अता.प्र.सं. 26 (क्र. 275) श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या जय किसान ऋण माफी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के कृषकों को सहकारी बैंकों, समितियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों के दिनांक 31.03.2018 तक बकाया कृषि ऋण 02 लाख तक माफ किये जाने के आदेश दिये गये थे? **(ख)** प्रश्नांश (क) यदि हाँ, तो प्रश्न दिनांक तक प्रदेश के कितने किसानों को 02 लाख तक की राशि उनके खाते में जमा करा दी जा चुकी है तथा कितनी शेष है? **(ग)** क्या किसानों के खाते में 02 लाख जमा न किये जाकर 50 हजार रूपये जमा करने की कार्यवाही की गई है यदि हाँ, तो क्यों? **(घ)** क्या कृषकों को ऋण न मिलने की शिकायत प्रकाश में आई है तो इसका क्या निराकरण किया गया है?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** जी हाँ। मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा राज्य में स्थित राष्ट्रीकृत एवं सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में पात्रता अनुसार राशि रूपये 02 लाख तक की सीमा तक का ऋण माफ किये जाने के आदेश जारी किये गये। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जी नहीं, योजना के प्रथम चरण में एन.पी.ए. खातों पर राशि रूपये 2 लाख एवं पी.ए. खातों पर राशि रूपये 50000 तक के ऋण माफ किये गये है। **(घ)** ऐसी कोई शिकायत प्रतिवेदित नहीं है।] **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्रदेश के 2695381 किसानों के ऋण माफ करने की स्वीकृति की गई है। तथा 590848 किसानों की स्वीकृति शेष है।

जेल ब्रेक की घटनाओं में संलिप्त पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
[जेल]

2. अता.प्र.सं.35 (क्र. 294) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विगत पाँच वर्षों में उज्जैन संभाग में जेल ब्रेक (कैदियों के फरार) की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं तथा इसमें कौन-कौन पुलिसकर्मी समान रुप से दोषी पाये गये हैं? घटनावार दोषी पुलिसकर्मियों के नाम, पदनाम सहित जिलेवार जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम-18 सामान्य (कॉमन) कार्यवाही के तहत क्या संयुक्त

विभागीय जाँच आदेशित की गई है अथवा पृथक-पृथक आदेशित की गई है? आदेशित विभागीय जाँच की प्रति उपलब्ध कराई जावे। **(ग)** क्या समान रुप से दोषी पाये गये पुलिसकर्मियों के विरुद्ध सक्षम स्तर से संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. (प्रथम सूचना प्रतिवेदन) दर्ज कराई गई है? यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध कराई जावे तथा अद्यतन स्थिति से अवगत करावें। **(घ)** क्या प्रश्नांश (ख) में प्रचलित विभागीय जाँच मामलों में कब तक जाँच पूर्ण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा?

गृह मंत्री : [**(क)** विगत 05 वर्षों में उज्जैन संभाग की जेलों में **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** जेल ब्रेक की 04 घटनाएं घटित हुई हैं। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** विगत 05 वर्षों में उज्जैन संभाग की जेलों में **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** जेल ब्रेक की 04 घटनाएँ घटित हुई हैं। उक्त घटनाओं में कोई पुलिसकर्मी दोषी नहीं पाया गया है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** से **(घ)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जिला मुनगा पत्ती रोपण की जानकारी
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

3. परि.अता.प्र.सं. 29 (क्र. 298) श्री निलय डागा : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभाग की संचालित योजनाओं में मुनगा पत्ती मूल्य अनुबंध खेती भी किसानों के हितार्थ संचालित है? इसमें किसानों हेतु अनुदान-प्रावधान क्या-क्या निर्धारित किए गए हैं? प्रति उपलब्ध करावें। **(ख)** यदि नहीं, तो फिर जिला बैतूल में वर्ष 2018-19 में उक्त योजना किस प्रयोजन से किसानों हेतु लागू की गई तथा इसमें कितने किसानों का पंजीयन हुआ? किसानों के नाम, ग्राम, विकासखण्ड, लाभ का क्षेत्र, रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या व उनकी राशि की जानकारी दी जाए। **(ग)** प्रति किसान पंजीयन शुल्क कितना जमा करवाया गया? **(घ)** वर्ष 2018-19 से प्रश्न अवधि तक कुल कितने कृषकों द्वारा कृषक अंश की राशि जमा की गई? सूची दें तथा प्रति किसान को मुनगा पत्ती से कितना-कितना लाभ हुआ? **(ड.)** क्या कुछ किसानों के यहा निम्न गुणवत्ता के पौधे 10 रूपये प्रति पौधे की दर पर उपलब्ध करायें तथा कुछ किसानों को मुनगा पौधे उपलब्ध ही नहीं कराये गये? अधिकांश किसानों के यहां पौधे मृत हो जाने से उन्हें लाभ न होते हुए भारी नुकसान हुआ है। किसानों को हुए भारी नुकसान की भरपाई के लिए किस अधिकारी की जवाबदारी निर्धारित की जाकर जांच व दण्डात्मक कार्यवाही कब तक की जायेगी?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वर्ष 2018-19 में जिले में विभाग में अनुबंधित कंपनी एवं कृषकों के बीच अनुबंध किया गया है। विभाग में कृषकों का पंजीयन नहीं कराया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। अनुबंधित कंपनी द्वारा कृषकों से 500/- प्रति एकड़ शुल्क जमा कराया गया है। **(घ)** जी नहीं।

जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है। **(ड.)** वस्तुस्थिति अनुसार यथोचित कार्यवाही हेतु निर्णय लिया जाएगा।

प्रदेश अन्तर्गत संचालित डायल 100 FRV पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में
[गृह]

4. अता.प्र.सं.48 (क्र. 383) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में संचालित डायल 100 (FRV) अन्तर्गत होशंगाबाद जिले के अन्तर्गत पिपरिया विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुयी? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार प्राप्त शिकातयों पर कितनों की FIR दर्ज की गयी तथा कितनों की नहीं? **(ग)** जिन शिकायतों पर FIR दर्ज नहीं की गयी हैं, उन पर FIR दर्ज न किये जाने का क्या कारण रहा? **(घ)** प्राप्त शिकायतों में जिन पर FIR दर्ज हुयी हैं एवं जिन पर FIR दर्ज नहीं हुयी हैं, उनकी सूची प्रदान की जावे।

गृह मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में संचालित डायल 100 (F.R.V) अंतर्गत होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पिपरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2019-20 (01.04.2019 से 04.12.2019) तक) में कुल 5634 शिकायतें प्राप्त हुई है। **(ख)** कुल 5634 प्राप्त शिकायतों में से 140 प्रकरणों में FIR दर्ज की गई तथा 5494 शिकायतों में FIR दर्ज नहीं की गई है। **(ग)** FIR दर्ज न होने का कारण प्राय: दोनों पक्षों को समझाईश दिया जाना, कुछ पर असंज्ञेय अपराध की रिपोर्ट दर्ज करना एवं कुछ शिकायतों पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही किया जाना रहा। **(घ)** जिन 140 शिकायतों पर FIR दर्ज हुई, वे **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है तथा 5494 शिकायतों पर FIR दर्ज नहीं हुई वे **पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है।

मुख्यमंत्री जय किसान फसल ऋण माफी की जानकारी
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

5. अता.प्र.सं.60 (क्र. 508) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मुख्यमंत्री जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत मंदसौर जिले में कितने किसानो का कर्ज माफ हुआ है? किसानों की संख्या तथा ऋण माफी की राशि सहित विधानसभावार जानकारी देवें। **(ख)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के कितने किसान मुख्यमंत्री जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत ऋण माफी से वंचित हैं? किसानों का ऋण कब तक माफ हो जायेगा? **(ग)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत हुई ऋण माफी की ग्रामवार, किसानो के नाम एवं राशि सहित जानकारी देवें। **(घ)** क्या जिन पात्र किसानों के द्वारा 2 लाख रूपये से अधिक का ऋण ले रखा है उनका भी 2 लाख रूपये तक का ऋण जय किसान ऋण माफी योजना के तहत माफ किया जावेगा।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत मंदसौर जिले में 78050 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। विधान सभावार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 1 अनुसार** है। **(ख)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत के 28473 कृषक, जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत शेष हैं। इनमें से पात्र कृषकों की ऋण माफी सतत प्रक्रियाधीन है। **(ग)** सुवासरा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत तहसील सीतामउ एवं सुवासरा **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 2 अनुसार** है। के किसानों के नाम एवं राशि की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत पात्र किसानों का ऋण माफ किया जावेगा।] **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

किसानों द्वारा की गयी आत्महत्या
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

6. परि.अता.प्र.सं. 57 (क्र. 528) श्री विश्वास सारंग : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 सितम्बर, 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों ने आत्महत्या की है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत उक्त किसानों के ऊपर किस-किस बैंक का कितना-कितना कर्ज था? क्या किसानों ने आत्महत्या कर्ज माफ न होने के कारण की है? **(ग)** प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत उक्त किसानों का कर्ज प्रश्न दिनांक तक माफ क्यों नहीं हुआ था? कारण दें?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** 1 सितम्बर 2019 से प्रश्न दिनांक तक फसल ऋण माफी से किसानों की आत्महत्या की संख्या निरंक है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** किसी भी किसान द्वारा कर्ज माफ नहीं होने के कारण आत्महत्या नहीं की गई है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

जानकारी न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

7. परि.अता.प्र.सं. 78 (क्र. 673) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या अम्बाह विधानसभा अंतर्गत जनपद पंचायत पोरसा कार्यालय से मेरे कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक/जा.प्र./सा./2019/क्यू 10, दिनांक 22.10.2019, पत्र क्रमांक क्यू 15 दिनांक 31.11.2019, पत्र क्रमांक क्यू 17 दिनांक 01.11.2019, पत्र क्रमांक क्यू 23 दिनांक 01.11.2019, पत्र क्रमांक क्यू 91 दिनांक 13.11.2019 के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्तानुसार पत्रों की जानकारी दी गई है अथवा नही? यदि हाँ, तो विधायक कार्यालय की पावती दी जावे, यदि नहीं तो क्यों? जानकारी न देने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? बिन्दुवार एवं स्पष्ट जानकारी कब तक प्रदाय करा दी जावेगी? **(ख)** क्या विधायक कार्यालय अम्बाह द्वारा जनपद पंचायत पोरसा के लिये प्रश्न

क्रमांक (क) में वर्णित पत्रों की जानकारी समय-सीमा में उपलब्ध न कराने हेतु पुन: स्मरण क्रमांक क्यू 90 दिनांक 13.11.2019 जारी किया गया था? यदि हाँ, तो तद्नुसार जानकारी दी गई अथवा नहीं? जानकारी दी गई हो तो पॉवती से अवगत करावें यदि नहीं तो स्मरण पत्र देने के बाबजूद भी जानकारी न देने वाले अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? बिन्दुवार तथा स्पष्ट जानकारी कब तक प्रदाय करा दी जावेगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** जी हाँ। जी हाँ। पावती परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है। शेष जानकारी 07 दिवस में उपलब्ध करा दी जावेगी। **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। प्रश्नांश "क" के परिशिष्ट "ब" अनुसार है। शेष जानकारी 07 दिवस में उपलब्ध करा दी जावेगी।] **(क)** एवं **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। पावती **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

जानकारी न देने वाले अधिकारी के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

8. अता.प्र.सं.90 (क्र. 675) श्री कमलेश जाटव : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधायक कार्यालय अम्बाह द्वारा पत्र क्रमांक/जा02प्र0/सा0/2019 क्यू 11 दिनांक 22.10.2019 के माध्यम से वांछित जानकारी जनपद पंचायत अम्बाह से चाही गई थी? यदि हाँ, तो क्या बिन्दुवार व स्पष्ट जानकारी प्रदाय करा दी गई है? यदि हाँ, तो पावती प्रदाय कराई जावे। यदि नहीं तो क्यों नहीं? **(ख)** क्या विधायक कार्यालय अम्बाह के पत्र क्रमांक/ जा02प्र0/सा0/2019 क्यू 55 दिनांक 03.11.2019 के माध्यम से पुन: स्मरण पत्र भेजकर बिन्दुवार व स्पष्ट जानकारी प्रदाय कराने हेतु सी.ई.ओ. अम्बाह को पत्र जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्या उपरोक्तानुसार चाही गई जानकारी प्रदाय करा दी गई है? यदि हाँ, तो पावती दी जावे। यदि नहीं तो क्यों नही? जानकारी न देने वाले अधिकारी के विरूद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा? बिन्दुवार व स्पष्ट जानकारी कब तक प्रदाय करा दी जावेगी?

पंचायत मंत्री : [**(क)** जी हाँ। जी हाँ। पावती परिशिष्ट पर संलग्न है। शेष जानकारी 07 दिवस में उपलब्ध करा दी जावेगी। **(ख)** जी नहीं। विधायक कार्यालय के पत्र क्र. क्यू 53 दि. 03.11.19 द्वारा जानकारी चाही गई थी। जी हाँ। प्रश्नांश "क" के परिशिष्ट अनुसार है। शेष जानकारी 07 दिवस में उपलब्ध करा दी जावेगी।] **(क)** एवं **(ख)** जी हाँ। जी हाँ। पावती **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भोपाल स्थित वाल्मी संस्थान को आवंटित भूमि
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

9. परि.अता.प्र.सं. 86 (क्र. 711) श्री रामेश्वर शर्मा : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल स्थित मध्यप्रदेश जल एवं भूमि संस्थान, भोपाल (वाल्मी) के पास कुल कितनी भूमि आवंटित है? कृपया नक्शे एवं खसरा सहित बताएं। 5 करोड़ की लागत से

राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा नवनिर्मित कलियासोत नदी पर बने पुल की एप्रोच सड़क हेतु रास्ता वाल्मी द्वारा किन कारणों से नहीं दिया जा रहा है?

पंचायत मंत्री : [जानकारी एकत्रित की जा रही है।] जल संसाधन विभाग के कलियासोत शीर्ष कार्य संभाग, भोपाल द्वारा ग्राम दामखेड़ा एवं चन्दनपुरा में रकबा 9.22 एकड़,9.33 एकड़ भूमि का अवार्ड क्रमश: 29/अ-82/87-88, 30/अ-82/87-88 में कुल रकबा 102.55 एकड़ तथा इसके अतिरिक्त कलियासोत जलाशय परियोजना स्पित चैनल हेतु रकबा 230.20 एकड़ का अवार्ड 3/ए-82/90-91 कलेक्टर भोपाल द्वारा पारित किये गये। इस प्रकार उपरोक्त अवार्ड में अर्जित कुल 332.75 एकड़ भूमि में से कुल 208.08 एकड़ (102.55+105.53) भूमि का अधिग्रहण म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान वाल्मी हेतु विभाग द्वारा किया गया। तत्समय से भूमि वाल्मी के आधिपत्य में है। तदनुसार खसरों एवं नक्शों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ एवं 'ब' अनुसार** है। वाल्मी के द्वारा संस्थान के जलग्रहण क्षेत्र विकास तकनीक, जल उपयोग क्षमता बढ़ाने की तकनीक, आजीविका, पर्यावरण प्रबंधन तकनीक का प्रदर्शन एवं प्रेक्टिकल्स हेतु उपयोग किये जाने, क्षेत्र को ईकोलॉजिकल ऑक्सीजन पार्क के रूप में उपयोग होने एवं वन्य प्राणी विचरण क्षेत्र होने के कारण ईकोलॉजिकल पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु प्रश्नाधीन एप्रोच सड़क हेतु रास्ता दिया जाना संभव नहीं है।

माइक्रो ड्रिप इरीगेशन/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत लाभांवित कृषक
[उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण]

10. अता.प्र.सं.110 (क्र. 764) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरगोन, बड़वानी जिले के वर्ष 2010 से 2017 तक में माइक्रो ड्रिप इरीगेशन/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों के द्वारा जमा कृषक अंश राशि की जानकारी देवे। **(ख)** खरगोन, बड़वानी जिले के वर्ष 2010 से 2017 तक में माइक्रो ड्रिप इरीगेशन/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों को ड्रिप सामग्री प्रदायकर्ता कंपनियों/डीलरों द्वारा विभाग को दिये गये एकाउण्ट स्टेटमेंट की प्रतिलिपि देवे। **(ग)** खरगोन, बड़वानी जिले के वर्ष 2010 से 2017 तक में माइक्रो ड्रिप इरीगेशन/प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत लाभान्वित कृषकों के प्रपत्र-7 एवं प्रपत्र-8 की प्रतिलिपि देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) के दस्तावेजों में दर्ज राशि का मिलान प्रश्नांश (ख) के बैंक स्टेटमेंट से करने संबंधी विभागीय नीति/निर्देश/प्रक्रिया की प्रतिलिपि देवें। इस नीति/निर्देश के पालन में की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि वर्षवार देवें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क) से (घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 02 के प्रपत्र "अ एवं ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 03 के प्रपत्र "अ एवं ब" अनुसार** है। **(घ)** कृषक अंश राशि का मिलान बैंक स्टेटमेंट से करने

संबंधी विभागीय नीतिनिर्देश/प्रक्रिया जारी नहीं किये गये हैं। शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

किसान कर्ज माफी

[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

11. परि.अता.प्र.सं. 122 (क्र. 862) श्री अजय विश्नोई : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में अक्टूबर माह तक कितने ऋणी किसानों का 50 हजार से 2 लाख तक का कर्जमाफ किया गया है तथा इस कर्जमाफी में कुल कितनी राशि व्यय हुयी है? **(ख)** अनुपूरक बजट में प्रावधानित 5000 करोड़ रू. एवं मुख्य बजट में प्रावधानित 8000 करोड़ रू. से कुल कितने किसानों के कर्ज माफ किये गये है? कितनी राशि व्यय हो गयी है और कितनी शेष है? **(ग)** कितने किसानों ने सरकार के वचन पर भरोसा करके कर्ज नहीं चुकाया और वे डिफॉल्टर हो गये तथा दण्ड ब्याज के भागीदार हो गये? क्या शासन इन किसानों को लगे दण्ड ब्याज का भुगतान करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं? **(घ)** क्या डिफॉल्टर हो जाने के कारण अधिकांश किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं हो पाया? यदि हाँ, तो उसके दोषी कौन-कौन है?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** प्रदेश में अक्टूबर माह तक 2022731 किसानों के राशि रूपये 7154.36 करोड़ के ऋण माफी की स्वीकृति दी जा चुकी है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित राशि रूपये 8000 करोड़ के विरूद्ध विमुक्त राशि 6400 करोड़ में से राशि रूपये 2821.12 करोड़ का व्यय किया जा चुका है एवं राशि रूपये 3578.47 करोड़ शेष है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रावधानित राशि रूपये 8000 करोड़ के विरूद्ध विमुक्त राशि रूपये 6400 करोड़ में से राशि रूपये 3928.98 करोड़ का व्यय किया गया है। **(ग)** विभाग द्वारा इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की जाती। **(घ)** डिफॉल्टर हो जाने पर प्रधान मंत्री फसल बीमा में किसान अपनी फसल का बीमा नकद प्रीमियम राशि जमा करा सकता है।

नव निर्मित पुलिस आवास गृह थाना मकरोनिया के लोकार्पण कार्यक्रम के संबंध में

[गृह]

12. परि.अता.प्र.सं. 142 (क्र. 1015) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नव निर्मित पुलिस आवास गृह थाना मकरोनिया जिला सागर का लोकार्पण कार्यक्रम कब और किसके मुख्य आतिथ्य एवं विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया? **(ख)** क्या लोकार्पण कार्यक्रम के आमंत्रण पत्र भी विभाग द्वारा वितरित किये गये थे? आमंत्रण पत्र सहित जानकारी देवें? **(ग)** क्या उपरोक्त आमंत्रण पत्र में शासन की प्रोटोकॉल/नियमों के तहत प्रारूप तैयार किया गया था? किस अधिकारी द्वारा आमंत्रण पत्र तैयार किया गया था एवं आमंत्रण पत्र में जानबूझकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की

गई? **(घ)** क्या लोकार्पण हेतु शिलालेख/पत्थर पर भी विभाग द्वारा प्रोटोकाल/नियमों का पालन नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो शिलालेख/पत्थर पर क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों के नाम सुधारकर पुन:विभाग द्वारा स्थापित कराया जावेगा?

गृह मंत्री : [**(क)** नवनिर्मित पुलिस आवास गृह थाना मकरोनिया जिला सागर का लोकार्पण कार्यक्रम दिनांक 16.11.2019 को सम्पन्न हुआ इस कार्यक्रम में माननीय श्री बालाबच्चन मंत्री (गृह, जेल, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग) मुख्य अतिथि एवं माननीय श्री हर्ष यादव मंत्री (कुटीर एवं ग्राम उद्योग, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा विभाग), माननीय श्री गोविन्द सिंह राजपूत मंत्री (परिवहन एवं राजस्व विभाग), श्री सुरेन्द्र चौधरी (पूर्व मंत्री मध्यप्रदेश शासन), श्री प्रदीप लारिया (विधायक नरियावली क्षेत्र सागर) एवं श्रीमती सुशीला रोहित (अध्यक्ष नगर पालिका मकरोनिया) विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे। **(ख)** जी हाँ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है। **(ग)** एवं **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(ग)** जी हाँ। आमंत्रण पत्र जिला पुलिस बल एवं म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम के स्थानीय इकाई द्वारा तैयार किये गये थे। जी नहीं। **(घ)** लोकार्पण हेतु शिलालेख पर प्रोटोकॉल/नियमों का पालन किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसान ऋण माफी एवं फसल बीमा योजना के संबंध में
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

13. परि.अता.प्र.सं. 159 (क्र. 1060) श्री मनोहर ऊंटवाल : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** किसान ऋण माफी योजनान्तर्गत जिला आगर-मालवा के कुल कितने किसानों का कितनी-कितनी राशि का कर्ज माफ कर उनके खाते में राशि डाली गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार जिन लोगों का कर्जा माफ नहीं किया गया व जो किसान कर्ज माफी की प्रत्याशा में बैंक/सोसायटी का कर्ज नहीं भर पाये है क्या उक्त किसानों को वर्ष 2019-20 का फसल बीमा योजना का लाभ मिलेगा? यदि हाँ, तो जानकारी दे यदि नहीं तो क्या उक्त किसान फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित होंगे?

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जिला आगर मालवा में 54751 किसानों का राशि रूपये 40576.12 लाख का कर्ज माफ कर राशि उनके खातों में डाली/समायोजित की गयी। **(ख)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसान अपनी फसल का बीमा नकद प्रीमियम राशि जमा करा सकता है।

किसानों को फसल बीमा की राशि का मुआवजा
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

14. अता.प्र.सं.178 (क्र. 1116) श्री गोपाल भार्गव : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में विगत वर्षाकाल में प्रदेश में खरीफ की कुल कितने एकड़ फसल की क्षति हुई है? क्या प्रत्येक जिले में क्षति का सर्वे पूर्ण हो चुका है, तो क्षति की जिलेवार जानकारी

दें। **(ख)** इस हेतु प्रश्न दिनॉक तक फसल बीमा की राशि का कुल कितने किसानों को कुल कितने हेक्टेयर जमीन का बीमा मुआवजा भुगतान कर दिया गया है? ब्यौरा देने का कष्ट करें। **(ग)** प्रदेश में कितने किसानों को फसल बीमा की कितनी मुआवजा राशि का वितरण अभी शेष है? विलंब के क्या कारण है? यह कब तक वितरण कर दिया जाएगा? जिलेवार ब्यौरा दें।

किसान कल्याण मंत्री : [**(क)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2019 में प्रश्न दिनांक तक दावा राशि का भुगतान प्रक्रियाधीन है। **(ग)** योजानांतर्गत अंतिम दावों का आंकलन फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त औसत उपज के आधार पर किया जाता है। खरीफ 2019 अंतर्गत फसल कटाई प्रयोगों के आंकडो के संकलन का कार्य प्रक्रियाधीन है।] **(क)** प्रदेश में विगत वर्षाकाल में प्रदेश में खरीफ की कुल 65,82810.38 हेक्टर में कृषक क्षति हुई है। सर्वे पूर्ण हो चुका है क्षति की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

शासन संधारित मंदिरों में नियुक्त पुजारियों को मानदेय भुगतान
[अध्यात्म]

15. अता.प्र.सं.3 (क्र. 42) श्री गोपालसिंह चौहान : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शासन के आदेश क्र. फ 7-13/2018/छ दिनांक 04/10/2018 शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को रूपये 3000 प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाना था लेकिन क्या पिछले 1 वर्ष से तहसील ईसागढ़ जिला अशोकनगर के पुजारियों को मानदेय भुगतान नहीं किया गया है एवं 2 वर्ष से पुरानी राशि का भी भुगतान नहीं हुआ है? **(ख)** शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों के बच्चों को प्राईवेट स्कूलों में नि:शुल्क शिक्षा एवं उनके परिवार का बीमा संवधी सुविधाये कब प्राप्त होगीं एवं इनका आदेश कब तक कर दिया जावेगा? **(ग)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा क्षेत्र में शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को मुख्यमंत्री तीथदर्शन योजना का लाभ नहीं मिला है, इनको यह लाभ कब तक प्रदान कर दिया जावेगा?

मुख्यमंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** बिल क्रमांक 98 दिनांक 22/07/2019 से 10 पुजारियों को नेमनूक राशि का भुगतान पात्रता अनुसार किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष पुजारियों का बजट के अभाव में भुगतान नहीं हुआ है। **(ख)** ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। **(ग)** पात्र व्यक्तियों के आवेदन प्राप्त होने पर तीर्थ दर्शन योजना का लाभ नियमानुसार प्रदाय किया जाता है। पुजारियों हेतु पृथक से मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना नहीं है।

कर्मचारियों की लंबित मांग
[सामान्य प्रशासन]

16. परि.अता.प्र.सं. 23 (क्र. 240) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों की कौन-कौन सी

मांगे विभाग के पास लंबित है, जिनको सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने पर कोई भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कर्मचारियों की लंबित मांगों को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा? **(ग)** प्रश्नांश (क) अन्तर्गत मध्यप्रदेश के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों की किन-किन मांगों पर सरकार सहमत नहीं है? कारण सहित बतावें।

सामान्य प्रशासन मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** मध्यप्रदेश के शासकीय अधिकारी/कर्मचारियों की सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, खनिज साधन विभाग, पशु पालन विभाग, परिवहन विभाग, महिला बाल विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग, के पास लंबित मांगें **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष विभागों की जानकारी 'निरंक' हैं। **(ख)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं हैं। **(ग)** प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विपणन समितियों द्वारा कृषकों के नाम पर फर्जी ऋण जारी किया जाना
[सहकारिता]

17. परि.अता.प्र.सं. 25 (क्र. 253) श्री प्रदीप पटेल : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** म.प्र. शासन के द्वारा कृषकों के लोन माफी की घोषणा के पश्चात् सतना एवं रीवा जिलों में किन-किन पंचायतों के द्वारा लोन लेने वाले कृषकों की सूची पंचायत भवनों में चस्पा एवं जारी की? दिनांक 01.01.2019 से प्रश्नतिथि तक दोनों जिलों में क्या फर्जी लोन जारी करने के प्रकरण सामने आये? माहवार/प्रकरणवार/जिलेवार जानकारी दें। **(ख)** क्या सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत बैंको/सोसायटियों द्वारा कृषकों की जानकारी (सहमती) के विरूद्ध उनके नाम से फर्जी ऋण लिया जाना दिनांक 01.01.2019 से प्रश्नतिथि तक सतना एवं रीवा जिले में पाया गया? क्या उक्त फर्जी ऋण लेने की जांच सहकारिता विभाग एवं संबंधित स्थानों के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा प्रश्नतिथि तक की गई? अगर हां, तो प्रकरणवार हुई सभी जांच रिपोर्ट की एक-एक प्रति निष्कर्षों सहित उपलब्ध करायें। **(ग)** किन-किन सहकारी समितियों ने कुल कितने किसानों के नाम पर कितनी राशि का फर्जी ऋण निकाल रखा था? जिलेवार/अनुविभागवार जानकारी दें। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारियों के द्वारा प्रश्नांश (क)/(ख) एवं (ग) में उल्लेखित के विरूद्ध प्रश्नतिथि तक संबंधित थाना क्षेत्रों से प्रकरणवार एफ.आई.आर. दर्ज करवाते हुये क्या कार्यवाही की? प्रकरणवार/जिलेवार जानकारी दें।

सामान्य प्रशासन मंत्री : [**(क)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना की घोषणा के पश्चात रीवा एवं सतना जिले की समस्त पंचायत भवनों पर कृषकों का दिनांक 31.03.2018 पर शेष ऋण की सूची जारी कर चस्पा की गई थी। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना की

घोषणा के पश्चात रीवा एवं सतना जिले की पंचायत भवनों पर कृषकों का दिनांक 31.3.2018 पर शेष ऋण की सूची जारी कर चस्पा की गयी थी। रीवा एवं सतना के पंचायतों की **सूची क्रमश: पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01** एवं **02 अनुसार** है। दिनांक 01.01.2019 से प्रश्न तिथि तक दोनों जिलों में ऋण वितरण में अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों का माहवार, प्रकरणवार एवं जिलेवार क्रमशः रीवा एवं सतना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-03 एवं 04 अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**-03 एवं प्रपत्र-04 की शिकायतों की जांच राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अधिकारियों द्वारा की गई। रीवा जिले की 53 शिकायतों तथा सतना जिले की 76 शिकायतों में से रीवा जिले की 53 एवं सतना जिले की 63 की जांच पूर्ण हो चुकी है, जिनके जांच प्रतिवेदन निष्कर्षों सहित **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 एवं 06 अनुसार है** तथा सतना जिले में 13 शिकायतों की जांच प्रक्रियाधीन है। **(ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-05 एवं 06** पर प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों में फर्जी ऋण प्रतिवेदित नहीं हुआ है। केवल ऋण वितरण के लेखांकन में विभिन्न त्रुटियां पाई गई है, जांच प्रतिवेदन के अनुसार लेखांकन में संबंधित सुधार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों द्वारा कराया गया है। इसलिये प्रकरणों में कोई एफ.आई.आर. दर्ज कराने की कार्यवाही कराने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

सिविल हॉस्पिटल नागदा-खाचरौद में डॉक्टरों की पदस्थापना
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

18. परि.अता.प्र.सं. 33 (क्र. 351) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सिविल हॉस्पिटल नागदा/खाचरौद में डॉक्टरों के कितने पद कब से रिक्त हैं? पदवार पृथक-पृथक विवरण दें। **(ख)** प्रश्नकर्ता द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से 1 जनवरी 2014 से 16 नवंबर 2019 तक क्षेत्र में डॉक्टरों की नियुक्ति/स्थानातंरण हेतु कितने पत्र दिए? दिए गए पत्रों पर कार्यवाही करते हुए कितने डॉक्टरों की नियुक्ति की गयी है? **(ग)** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चांपाखेड़ा एवं मडावदा में डॉक्टर/कर्मचारियों के कितने पद रिक्त हैं और उन पदों की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा 1 जनवरी 2014 से 16 नवंबर 2019 तक कितने डॉक्टरों/कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? नाम सहित विवरण दें। **(घ)** नागदा शासकीय चिकित्सालय में दान की गई 2 डायलिसिस मशीन हेतु 2 ऑपरेटरों व विशेषज्ञों की नियुक्ति करने एवं डायलिसिस किट शासन के माध्यम से प्रदान करने की प्रश्नकर्ता द्वारा मांग करने पर स्वास्थ्य मंत्री व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उज्जैन ने अपने पत्र क्रं. 18789 दिनांक 27/08/2019 द्वारा स्वास्थ्य आयुक्त को प्रेषित किया गया था? स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा क्या स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हाँ तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार**। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार**। **(घ)** जी हाँ। जी नहीं, चिकित्सालय में उपलब्ध 02 डायलिसिस मशीन के संचालन हेतु एक डायलिसिस टेक्नीशियन पर्याप्त है। डायलिसिस हेतु पृथक से चिकित्सक उपलब्ध कराने का प्रावधान नहीं है, चिकित्सालय में उपलब्ध चिकित्सकों में से एक चिकित्सक नामांकित कर डायलिसिस में प्रशिक्षित कर कार्य संपादन कराने के निर्देश है।] **(ख)** जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रेषित पत्रों में सामान्यतः जनप्रतिनिधियों द्वारा स्वास्थ्य संस्थाओं में विशेषज्ञ/चिकित्सकों की पदस्थापना संबंधी लेख किया जाता है। पत्रों में मांग अनुसार काउंसलिंग हेतु प्रदर्शित की जाने वाली रिक्तियों में इन्हें सम्मिलित किया जाता है एवं स्थानांतरण/पदस्थापना कार्यवाही में भी रिक्तियों को सम्मिलित किया जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यालय से इस कार्यालय में वर्ष 2019 में 04 पत्र पाप्त हुए हैं। प्रदेश में विशेषज्ञों की अत्याधिक कमी के कारण सिविल अस्पताल, खाचरौद में विशेषज्ञ के स्वीकृत 04 पद रिक्त हैं। इसी प्रकार सिविल अस्पताल, नागदा में 05 पदों के विरुद्ध विशेषज्ञों के 04 पद रिक्त हैं। खाचरोद में चिकित्सा अधिकारियों के 03 पदों के विरूद्ध 03 चिकित्सक एवं सिविल अस्पताल नागदा में चिकित्सा अधिकारियों के 06 पदों के विरुद्ध 06 चिकित्सक कार्यरत हैं। वर्ष 2015 से 2019 की अवधि में 08 चिकित्सकों की पदस्थापना की गई।

त्याग पत्र की स्वीकृति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

19. परि.अता.प्र.सं. 49 (क्र. 582) श्री संजय उइके : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या डॉ. पुष्पा धुर्वे प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ जिला चिकित्सालय बालाघाट के अभियोजन स्वीकृति, विभागीय जांच एवं त्याग-पत्र स्वीकृति का प्रकरण विभाग के पास लंबित है? **(ख)** यदि हाँ, तो त्याग-पत्र किन कारणों से अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया? विभाग में स्वीकृति हेतु त्याग-पत्र देने के बाद किन-किन अधिकारी/कर्मचारी द्वारा कब-कब प्रकरण नियमानुसार त्याग-पत्र स्वीकृति हेतु बढ़ाया गया? **(ग)** क्या अनुपस्थिति के कारण प्रश्नांश (क) डॉक्टर पर विभागीय जांच संस्थित कि गयी? यदि हाँ, तो विभागीय जांच आदेश की प्रति देवें। **(घ)** डॉ. पुष्पा धुर्वे प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ का त्याग-पत्र कब तक स्वीकृत कर लिया जावेगा?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नही। **(ख)** दिनांक 12.03.2020 को दिनांक 07.10.2017 से स्वीकृत किया जा चुका है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** विभागीय जांच प्रतिवेदन की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर** है। **(घ)** उत्तरांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उच्च स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय जांच

[अध्यात्म]

20. परि.अता.प्र.सं. 61 (क्र. 767) श्री महेश परमार : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माधव सेवा न्यास, उज्जैन द्वारा महाकाल मंदिर के समीप आरएसएस की शाखा लगाने एवं समाज कल्याण के कार्यों के लिए दान में प्राप्त निजी जमीन का बहुमंज़िला होटल भवन का निर्माण कर व्यावसायिक प्रयोजन से उपयोग किया जा रहा है? यदि हाँ, व्यावसायिक उपयोग किए जाने के लिए अनुमति कब और किससे प्राप्त की गयी? यदि अनुमति नहीं ली गयी तो, शासन इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगा? दानपत्र की रजिस्ट्री, अनुबंध पत्र एवं न्यास द्वारा उद्देश्य परिवर्तन के लिए की गयी कार्यवाही का रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित कानूनी दस्तावेज़ सहित विस्तृत जानकारी देवें। **(ख)** क्या माधव सेवा न्यास उज्जैन को महाकालेश्वर मंदिर में भस्मार्ती के लिए वीआईपी प्रोटोकाल प्राप्त है? यदि हाँ, तो इसका मुख्य कानूनी आधार क्या है? न्यास में कार्यरत पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची नाम पते सहित देवें। **(ग)** क्या न्यास द्वारा वीआईपी प्रोटोकाल का व्यावसायिक लाभ लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो किस नियम के अंतर्गत न्यास को यह अधिकार प्राप्त हुए है? तथा वीआईपी प्रोटोकाल न्यास को कब, कहाँ और किसके द्वारा दिया गया और क्यों दिया गया? विस्तृत एवं पूर्ण मय दस्तावेज़ जानकारी उपलब्ध कराएं।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है।] **(क)** कस्बा उज्जैन में माधव सेवा न्यास के नाम से भूमि सर्वे क्र. 2119/2 रकबा 0.031, 2122 रकबा 0.084, 2123 रकबा 0.564, 2124 रकबा 0.073, 2125 रकबा 0.115, 2257/2 रकबा 0.031, 2258/मिन 1 रकबा 0.351, 2258/मिन2 रकबा 0.004, 2259/मिन 1 रकबा 0.619, 2260/मिन 1 रकबा 0.482, 2257 मिन 2 रकबा 0.145, 2260/मिन 2 रकबा 0.103 हे. कुल रकबा 2.602 हे. राजस्व अभिलेख में दर्ज है। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन प्र.क्र. 115/अ-2/2006-07 आ.दि. 10/3/2008 से आवंटित भूमि रकबा 2.602 हे. अर्थात 26020 वर्गमीटर में से क्षैत्रफल 1497.94 वर्गमीटर का व्यवसायिक पुर्ननिर्धारण एवं रकबा 1035 वर्गमीटर पर आवासीय पुर्ननिर्धारण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 10/3/2008 की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "क" अनुसार** है। **(ख)** माधव सेवा न्यास उज्जैन को महाकालेश्वर मंदिर में भस्मार्ती के लिये वी.आई.पी. प्रोटोकाल प्राप्त नहीं है एवं न्यास में कार्यरत पदाधिकारियों एवं सदस्यों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ख" अनुसार** है। **(ग)** प्रश्न ख के उत्तर अनुसार जानकारी निरंक है।

आशा कार्यकर्ताओं के भुगतान में भ्रष्टाचार की जांच एवं की कार्यवाही की जानकारी

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

21. परि.अता.प्र.सं. 63 (क्र. 816) श्री सुरेश धाकड़ : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिवपुरी जिले में आशा कार्यकर्ताओं को वर्ष 2014-15

से 2018-19 प्रश्न दिनांक तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है यदि हाँ, तो उक्त अवधि में कितनी आशा कार्यकर्ता को कितना-कितना भुगतान वर्षवार किया गया? सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रवार जानकारी दें। **(ख)** उक्त भुगतान कहॉ-कहॉ के कौन-कौन बी.सी.एस., लेखापाल एवं बी.एम.ओ. द्वारा किया गया? इनके विरूद्ध कौन-कौन सी शिकायतें प्राप्त हुई शिकायतों की जानकारी सहित विवरण दें। **(ग)** क्या शिवपुरी जिले में आशा कार्यकर्ताओं को अत्यधिक कार्य से अधिक प्रोत्साहन राशि भुगतान किये जाने की शिकायतें वर्ष 2017-19 के बीच प्राप्त हुईं? यदि हाँ, तो शिकायतों की प्रति एवं जॉच प्रतिवेदन की प्रति सहित जानकारी दें कि विभाग द्वारा क्या-क्या कार्यवाही किन-किन के विरूद्ध कब-कब की गई? यदि कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों? **(घ)** शिवपुरी जिले में वर्तमान में ऐसी कौन-कौन सी आशा कार्यकर्ता है जो दो-दो स्थानों पर कार्यरत है और उन्हें दोनों स्थानों पर प्रोत्साहन राशि भुगतान की जा रही है क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रश्नाधीन वर्णित जानकारी अपने पत्र क्रमांक 397 दिनांक 01/10/2019 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 433 दिनांक 18/10/2019 से चाही गई थी? यदि हाँ, तो उक्त जानकारी क्यों नहीं दी गई तथा कब तक दे दी जायेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री : [**(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (अ) अनुसार**। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (ब) एवं (स) अनुसार**। **(ग)** जी हाँ। **परिशिष्ट 'स'** में समाहित है। प्रक्रिया प्रचलन में है। **(घ)** श्रीमति मीना राजपूत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछोर के मझरा धकुरई ग्राम पंचायत चंदावनी में दिनांक 15/08/2017 से आशा के पद पर चयनित होकर 31 जुलाई 2018 तक कार्य किया गया। इसके बाद वह अपने मायके के ग्राम सजयाल जागीर, विकासखंड बदरवास चली गई एवं दिनांक 19/9/2018 से विकासखंड बदरवास के ग्राम सजयाल जागीर में कार्यरत है। उक्त आशा का माह जुलाई 2018 तक का भुगतान लंबित रहने के कारण विकासखंड पिछोर से किया गया। शेष आगामी माहों का भुगतान विकासखंड बदरवास से किया गया है। पत्र क्र 397 दिनांक 01/10/2019 में वर्णित जानकारी वृहद होने के कारण संकलित की जा रही है जो जिले द्वारा शीघ्र प्रेषित कर दी जावेगी।] **(घ)** श्रीमती मीना राजपूत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिछोर के मझरा धकुरई ग्राम पंचायत चंदावनी में दिनांक 15/08/2017 से आशा के पद पर चयनित होकर 31 जुलाई 2018 तक कार्य किया गया। इसके बाद वह अपने मायके के ग्राम सजयाल जागीर, विकासखंड बदरवास चली गई एवं दिनांक 19/9/2018 से विकासखंड बदरवास के ग्राम सजयाल जागीर में कार्यरत है। उक्त आशा का माह जुलाई 2018 तक का भुगतान लंबित रहने के कारण विकासखंड पिछोर से किया गया। शेष भुगतान विकासखंड बदरवास से किया गया है। जी हाँ जानकारी वृहद प्रकार की होने के कारण, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिवपुरी द्वारा पत्र कमांक/आशा/2020/2002 दिनांक 13/02/2020 **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र (द)** के माध्यम से माननीय विधायक महोदय विधानसभा क्षेत्र-24 पोहरी को प्रेषित की जा चुकी है।

सी.एम.एच.ओ. कार्यालय शिवपुरी द्वारा भुगतान में अनियमितता
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

22. अता.प्र.सं.72 (क्र. 822) श्री सुरेश धाकड़ : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शिवपुरी जिले में जनवरी, 2016 नवम्बर, 2019 तक शासकीय भवन मरम्मत प्रचार प्रसार, कम्प्यूटर सप्लाई, प्रशिक्षण में भोजन नास्ता हेतु राशि भुगतान की गई है। यदि हाँ, तो किस किस पर कितनी कितनी राशि व्यय की गई? **(ख)** यदि हाँ, तो कितनी- कितनी राशि किस किस फर्म को किस किस कार्य हेतु कब कब भुगतान की गई? भुगतान हेतु प्रस्तुत किये गये बिल एवं भुगतान बाउचर का विवरण एवं उक्त अवधि की ऑडिट की प्रतिलिपि तथा संस्थाओं/फर्मों के पेनकार्ड और पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें। **(ग)** क्या जिला चिकित्सालय शिवपुरी में भोजन/नास्ता प्रदाय किया जा रहा है यदि हाँ, तो वर्ष 2014-15 से 2019-20 प्रश्न दिनांक तक कितना- कितना भुगतान कब कब भोजन प्रदायकर्ता संस्था को किया गया? भुगतान किये गये बाउचरों एवं बिलों का विवरण एवं फर्म के पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें? **(घ)** क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 397, 398, 399, 400, 402, दिनांक 01/10/2019 एवं स्मरण पत्र क्रमांक 433 दिनांक 18/10/2019 से प्रश्न में वर्णित जानकारी चाही गई यदि हाँ, तो उक्त जानकारी प्रश्नकर्ता को क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई? उक्त जानकारी कब तक उपलब्ध करा दी जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार**। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार**। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार**। **(घ)** जी हाँ, जानकारी अति विस्तृत है संबंधित शाखाओं से जानकारी तैयार करवाई जा रही है। समस्त जानकारी एकत्र होने पर उपलब्ध करा दी जावेगी।] **(क)** पूर्व में जानकारी प्रेषित की जा चुकी है। **(ख)** पूर्व में जानकारी प्रेषित की जा चुकी है। **(ग)** पूर्व में जानकारी प्रेषित की जा चुकी है। **(घ)** जी हाँ। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शिवपुरी द्वारा माननीय विधायक जी को जानकारी उपलब्ध करा दी गयी है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण के कर्मचारियों की पदोन्नति
[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

23. परि.अता.प्र.सं. 78 (क्र. 983) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण पोष्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग उत्तीर्ण विभागीय कर्मचारियों द्वारा 2008 से 2016 तक पदोन्नति प्रदान करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका पर डबल बैंच द्वारा उक्त प्रकरण को खारिज कर दिया गया था? यदि हाँ, तो संपूर्ण

जानकारी देवे। **(ख)** प्रश्नांश (क) के संबंध में संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें द्वारा सचिव भारतीय उपचर्या परिषद (INC) नई दिल्ली से पदोन्नति/मान्यता के संबंध में किए गये पत्राचारों की जानकारी देवे। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) के संबंध में प्रकरण खारिज होने के उपरांत भी वर्तमान में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्राओं को पदोन्नति का लाभ दिए जाने के संबंध में कार्यवाही की जा रही है? यदि हाँ, तो जानकारी देवे? यदि नियम विरूद्ध तरीके से पदोन्नति का लाभ दिए जाने की कार्यवाही की जा रही है तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल से उत्तीर्ण पोष्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग/एम.एस.सी. नर्सिंग के छात्र-छात्राओं को विभागीय पदोन्नति प्रदान करने के संबंध में आदेश क्र. म.प्र.न.रजि.कौ./2019/1181 दिनांक 26.09.2019 जारी किया गया है। क्या रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल को उक्त आदेश निकालने के अधिकार हैं? यदि हाँ, तो शासन निर्देशों की जानकारी देवें। यदि नहीं तो संबंधित रजिस्ट्रार के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"अनुसार। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग)** जी हाँ, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार**। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(घ)** जी नहीं, आदेश नहीं परिपत्र जारी किया गया है। रजिस्ट्रार मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल को आदेश निकालने का अधिकार नहीं हैं परन्तु संचालक, चिकित्सा शिक्षा से अनुमोदन प्राप्त कर परिपत्र जारी किया जा सकता है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

3 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ लोकसेवकों के स्थानान्तरण
[सामान्य प्रशासन]

24. अता.प्र.सं.104 (क्र. 1146) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 4 जून 2019 की कंडिका के अनुसार एक ही स्थान पर 3 वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थ लोकसेवकों को स्थानान्तरित करने का प्रावधान है? विवरण दें। **(ख)** सतना जिले में शिक्षा,राजस्व,पंचायत एवं ऊर्जा विभागों में कौन कौन से लोक सेवक एक ही मुख्यालय में 3 वर्ष से अधिक समय से पदस्थ/प्रतिनियुक्ति पर हैं? विभागवार पदवार विस्तृत जानकारी पृथक-पृथक देवें। **(ग)** क्या शासन के स्थानान्तरण नीति के अनुसार निष्पक्ष न्यायपूर्वक उपरोक्त नियम के तहत कार्यवाही की जावेगी? अगर हाँ तो कब तक? शासन के उक्त निर्देश का पालन नहीं करने वाले लोकसेवक अधिकारियों पर क्या और कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** कब तक 3 साल से अधिक समय से पदस्थ कर्मचारियों/अधिकारियों का स्थानान्तरण आदेश जारी कर सूचित

किया जावेगा? यदि नहीं तो कारण स्पस्ट करें? प्रश्नांश (ख) अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों की कब तक प्रतिनियुक्तियॉ समाप्त की जावेंगी? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें?

सामान्य प्रशासन मंत्री : [**(क)** स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 की कंडिका 11.4 में प्रावधान अनुसार जिलों में पदस्थ प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के कार्यपालक अधिकारियों के एक ही स्थान पर तीन वर्ष की पदस्थापना पूर्ण कर लेने पर जिले से अन्यत्र प्राथमिकता पर स्थानांतरण किया जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी एक ही स्थान पर सामान्यत: 3 वर्ष या उससे अधिक पदस्थापना की अवधि पूर्ण कर लेने के कारण स्थानांतरण किया जा सकेगा। इसका आशय यह है कि जिन आधारों पर स्थानान्तरण किया जा सकता है उनमें एक आधार यह भी है। यह अनिवार्य नहीं है कि 3 वर्ष पूर्ण होने पर स्थानान्तरण किया ही जावे। प्रश्नांश **(ख)** से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। प्रतिनियुक्ति से संबंधित कार्यवाही दिशा-निर्देशों के नियमानुसार संपादित की जाती है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासन संधारित धार्मिक स्थलों के संबंध में

[अध्यात्म]

25. अता.प्र.सं.118 (क्र. 1179) श्री राजेश कुमार शुक्ला : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र बिजावर अंतर्गत शासन संधारित कितने धार्मिक स्थान कहाँ पर स्थित? कितनी भूमि हैं? कितने वर्ष पुराने है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में प्रत्येक धार्मिक स्थल के सेवादारों को कितना वेतन शासन द्वारा दिया जाता है? क्या प्रश्न दिनांक तक सम्पूर्ण वेतन का भुगतान किया जा चुका है. यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जिला छतरपुर तहसील बिजावर अंतर्गत 65 मंदिर शासन संधारित है, जिनकी सूची पूर्ण **जानकारी सहित पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "एक" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में 45 सेवादारों/पुजारियों को शासन के निर्देशानुसार माह फरवरी 2019 तक का मानदेय भुगतान किया गया है। माह मार्च 2019 से बजट के अभाव में भुगतान हेतु देयक लंबित है, भुगतान की गई पुजारियों के मानदेय की सूची पृथक से **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "दो" अनुसार** है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों की जानकारी विषयक

[लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण]

26. अता.प्र.सं.145 (क्र. 1326) श्री अजय विश्नोई : क्या लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला जबलपुर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्वीकृत

कितने पद भरे/रिक्त हैं कौन-कौन कब से पदस्थ हैं? किस-किस का कब-कब कहां-कहां स्थानान्तरण किया गया? स्थानान्तरण के पूर्व कब से जबलपुर में पदस्थ हैं? कितनों का पुन: जबलपुर स्थानान्तरण किया गया है एवं क्यों? आदेश की छायाप्रति देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में पदस्थ किस खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कब निलम्बित किया गया एवं क्यों? इन्हें कब कहॉ से पुन: जबलपुर स्थानान्तरित किया गया हे एवं क्यों? **(ग)** मान.मंत्री सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म.प्र.शासन द्वारा माह जुलाई 2019 में मान.मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र.शासन को लिखी गई नोट-शीट के संदर्भ में शासन द्वारा कब-कब किस-किस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? भ्रष्टाचार में लिप्त व मिलावटखोंरों को संरक्षण देने वालों का अभी तक अन्यत्र स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है?

लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** एवं **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** माननीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण म. प्र. शासन द्वारा माह जुलाई 2019 में माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण म.प्र. शासन को लिखी गई नोटशीट विभाग में दिनांक 30/12/2019 को प्राप्त हुई। उक्त के संबंध स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-20 में स्थानांतरण पर प्रतिबंध होने के कारण नहीं किया जा सका। शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2019

पेट्रोल पंप संचालन में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

27. परि.अता.प्र.सं. 67 (क्र. 1051) श्री भूपेन्द्र मरावी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** देवास जिले के कन्नौद नगर में संचालित भारत पेट्रोल एवं डीजल पम्प आर.सी. कुण्डल एण्ड सन्स कन्नौद का संचालन कब से किन के द्वारा किया जा रहा है? उक्त पेट्रोल पम्प की लीज रिन्यूअल कब होना था? यदि लीज रिन्यूअल हो गई है, तो अब किसके द्वारा संचालन किया जा रहा है? **(ख)** क्या प्रश्नांकित पम्प कन्नौद बस स्टैण्ड के निकट स्थापित है? साथ ही पम्प की पूर्व दिशा में सेंट जोरेंस स्कूल, आदर्श शिशु मंदिर हायर सेकेण्डरी स्कूल, 03 बैंक संचालित हो रहे हैं? पेट्रोल पम्प पर यातायात का दबाव व आकस्मिक आग लगने की घटना पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने से व्यापक जनहानि होने की संभावना है? **(ग)** पेट्रोल पम्प के संचालन में भी कई कमियाँ, जैसे पेट्रोल-डीजल भाव सूची का सूचना पटल बोर्ड न होना, कर्मचारियों को ड्रेसकोड नहीं होना, फिल्टर पेपर उपभोक्ताओं को उपलब्ध न कराया जाना, पेयजल हेतु आर.ओ. मशीन बंद होना, महिला पुरूषों के लिये पृथक-पृथक स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था न होना, आदि कमियों की ओर विभाग की ओर ध्यान नहीं दिये जाने से उपभोक्ताओं में नाराजगी है? **(घ)** क्या शासन

उपरोक्त कमियाँ पर पेट्रोल पम्प संचालक के विरूद्ध कोई कार्यवाही करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो कारण बतायें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रश्नांकित जिले के प्रश्नांकित नगर में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के डीलर आर.सी. कुण्डल एण्ड संस, कन्नौद का संचालन वर्ष 1980 से 2013 तक श्री रामचंद्र कुण्डल एवं श्री श्यामसुंदर मालपानी द्वारा एवं वर्ष 2014 से श्री श्यामसुंदर मालपानी एवं श्रीमती दुर्गा मालपानी द्वारा किया जा रहा है। उक्त पेट्रोल पंप की लीज रिन्यूअल वर्ष 2005-06 के बाद नहीं हुआ है। उक्त पंप बिना लीज रिन्यूअल के संचालित था। अंतिम बार अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कन्नौद के प्रकरण क्रमांक 71/बी-112/2004-05 द्वारा कार्यवाही की जाकर स्थायी लीज की राशि रूपये 402739/- चालान क्रमांक 19 दिनांक 16-03-2006 द्वारा जमा कराई गई है। वर्ष 2005-06 में 01 वर्ष के नवीनीकरण होने के पश्चात प्रश्नांकित पंप की अस्थायी लीज का नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा आवेदन न देने के कारण पुन: नवीनीकरण नहीं हुआ एवं न ही लीज गृहिता द्वारा लीज का भू-भाटक जमा कराया गया। लीज का नवीनीकरण नहीं होने के कारण नजूल अधिकारी देवास के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर, देवास द्वारा प्रकरण क्रमांक 001/अ-20 (2)/2019-20 दिनांक 13.12.2019 पंजीबद्ध कर पंप संचालक को लीज निरस्त करने के संबंध में 'कारण बताओ सूचना' जारी किया गया एवं दिनांक 16.01.2020 को अस्थायी लीज समाप्त की गई एवं प्रीमियम राशि, प्रीमियम राशि का 7.5 प्रतिशत की राशि का प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत साधारण ब्याज व कुल बकाया राशि पर 10 प्रतिशत शास्ति अनुसार 97,58,150/- रूपये की राशि शासकीय कोष में जमा करने के निर्देश पंप संचालक को दिए गये। इसी आधार पर दिनांक 20.01.2020 को अनुज्ञापन अधिकारी, देवास द्वारा उक्त पंप के संचालन हेतु जारी की गई अनुज्ञप्ति निरस्त की गई। पंप संचालक द्वारा लीज निरस्ती आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्रमांक 3217/2020 दायर किया गया है जिसमें 15 दिवस के भीतर वर्ष 2005-06 से वर्तमान तक से वर्तमान तक की बकाया राशि को 9 प्रतिशत ब्याज सहित जमा करने की शर्त पर स्थगन आदेश दिनांक 07.02.2020 को पारित किया है। उक्त आदेश के पालन में पंप संचालक द्वारा 5,12,200/- रूपये की राशि दिनांक 22.02.2020 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में उक्त पेट्रोल पंप चलाने की अनुमति दी गई है। **(ख)** जी हाँ। उक्त पंप के पास स्कूल तथा बैंक संचालित हैं। उक्त पंप पर विस्फोटक नियंत्रक के मापदंड अनुसार आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था हेतु पर्याप्त अग्निशमन यंत्र एवं फायर बकेट्स की व्यवस्था है। **(ग)** उक्त पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल भावसूची का पटल प्रदर्शित है। कर्मचारी ड्रेसकोड अनुसार ड्रेस पहनते हैं। फिल्टर पेपर तथा स्वच्छ पेयजल हेतु आर.ओ. की व्यवस्था तथा महिला एवं पुरूषों हेतु पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था उक्त पंप पर की गई है। **(घ)** प्रश्नांश **(ख)** एवं **(ग)** के उत्तर अनुसार।

बालाघाट जिले में धान खरीदी के संबंध में जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

28. अता.प्र.सं.64 (क्र. 1112) श्री रामकिशोर कावरे : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 25-01-2019 तक धान खरीदी की आखिरी तिथि थी? यदि हाँ, तो क्या बालाघाट जिले में अंतिम तिथि के बाद भी सेवा सहकारी समिति द्वारा खरीदी की गयी है? यदि हाँ, तो किसके आदेश पर जानकारी देवें। **(ख)** क्या बालाघाट कलेक्टर ने भुगतान करने के लिए केन्द्रीय बैंक को आदेश किया है? यदि हाँ, तो क्या भुगतान किया गया यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** जिला केन्द्रीय बैंक बालाघाट के किन-किन बैंक शाखा से 1400/- प्रति क्विंटल से किसान को धान का भुगतान किया गया है? **(घ)** क्या कार्यालय सेवा सहकारी मर्यादित बहेला के पत्र क्रमांक 621 द्वारा शाखा साडरा में हिरादास ग्राम बहेला, 110 प्रति 1400 - 61600 2. प्रमोद पिता दयाराम ग्राम ठेमा 9.60 x 1400/- = 13440/- ऐसे सैकड़ों किसान है जिन्हें 350/- प्रति क्विंटल भुगतान करना है? यदि हाँ, तो इस हेतु दौषी कौन है? जानकारी देवें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की अंतिम तिथि 15.01.2019 निर्धारित की गई थी। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत एवं समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु इच्छुक समस्त किसानों से धान का उपार्जन किया जा सके, इस हेतु उपार्जन की अवधि दिनांक 25.01.2019 तक बढ़ाई गई थी। उपार्जन के अंतिम दिवस में अपनी उपज विक्रय करने के लिए आने वाले किसानों को उपार्जन केन्द्र से ऑनलाईन टोकन जारी किए गए थे। जिन किसानों को दिनांक 23.01.2019 से 25.01.2019 तक ऑनलाईन टोकन जारी किए गए थे किन्तु उनकी उपज की तौल नहीं की जा सकी थी उन किसानों से दिनांक 25.01.2019 के पश्चात एफएक्यू गुणवत्ता की धान का उपार्जन किया गया है। कलेक्टर, बालाघाट के प्रस्ताव के आधार पर विभाग द्वारा उक्त किसानों से धान उपार्जन की अनुमति दी गई है। **(ख)** खरीफ विपणन मौसम 2018-19 में एफएक्यू गुणवत्ता की ऑनलाईन उपार्जित धान का जस्ट इन टाईम व्यवस्था अंतर्गत उपार्जन समिति के प्रभारी के डिजिटल हस्ताक्षर/विपणन संघ के माध्यम से सहकारी समितियों द्वारा ऑफलाईन समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है। कलेक्टर, बालाघाट द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को शेष धान समितियों को अपने स्तर पर निराकरण कर भुगतान करने के निर्देश दिए गए थे। **(ग)** बालाघाट जिले में समर्थन मूल्य पर एफएक्यू गुणवत्ता की ऑनलाईन उपार्जित धान का समर्थन मूल्य राशि रू. 1750/- प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया गया है। बालाघाट, लामता, किरनापुर, भानेगांव, लांजी, साडरा, डोंगरमाली, रामपायली, खैरलांजी, कटंगी, तिरोड़ी, खमरिया, बैहर, परसवाड़ा शाखाओं की समितियों द्वारा अपने स्तर से निराकृत धान का भुगतान रू. 1400/- प्रति क्विंटल के मान से किया गया है। **(घ)** कार्यालय सेवा सहकारी समिति बहेला शाखा साडरा में श्री हिरादास ग्राम बहेला, श्री प्रमोद पिता दयाराम ग्राम ठेमा एवं अन्य 46 किसानों द्वारा विक्रय हेतु लाई गई

नॉन-एफएक्यू धान का निराकरण समिति स्तर से किया गया। समिति को धान विक्रय से प्राप्त राशि रू. 1400 प्रति क्विंटल की दर से किसानों को भुगतान किया गया। राशि रू. 350 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाना शेष नहीं है, इसमें कोई भी उपार्जन केन्द्र प्रभारी दोषी नहीं है क्योंकि 1400 क्विंटल में जो धान विक्रय की गई थी वह नॉन-एएफक्यू की थी और उसे धान उपार्जन की अंतिम तिथि दिनांक 25.01.2019 के पश्चात विक्रय हेतु केन्द्र पर लाया गया था।

बैतूल जिले के निस्तार पत्रक में दर्ज जमीन

[राजस्व]

29. अता.प्र.सं.72 (क्र. 1193) श्री निलय डागा : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बैतूल जिले के 1303 राजस्व ग्रामों के निस्तार पत्रक में दर्ज जमीनों में से वन विभाग ने 680 ग्रामों की भूमि संरक्षित वन सर्वे एवं 1299 ग्रामों की भूमि नारगी भूमि सर्वे में शामिल कर वर्किंग प्लान में शामिल कर ली है? **(ख)** यदि हाँ, तो कितनी भूमि सरंक्षित वन सर्वे एवं नारंगी भूमि सर्वे में शामिल की गई, कितनी भूमि वर्किंग प्लान में शामिल कर वन विभाग के कब्जा कर लिया? यह भूमि निस्तार पत्रक में किन-किन प्रयोजन के लिए एवं खसरा पंजी में किन-किन मदों में दर्ज हैं? **(ग)** निस्तार पत्रक में दर्ज भूमियों के संबंध में भू-राजस्व संहिता 1959, संविधान की 11वीं अनुसूची वन अधिकार कानून 2006, पैसा कानून 1996 में क्या प्रावधान दिया है? सर्वोच्च अदालत ने या.क्र.202/95 में 12 दिसम्बर 1996 एवं आई.ए.क्रमांक 791-792 में दिनांक 01 अगस्त 2003 को क्या आदेश दिया है? **(घ)** निस्तार पत्रक की भूमि सर्वे एवं वर्किंग प्लान में शामिल करने पर राज्य शासन क्या कार्यवाही कर रहा है या कब तक करेगा?

राजस्व मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) (ख)** एवं **(घ)** राज्य शासन द्वारा वन एवं राजस्व विभागों के मध्य नारंगी क्षेत्रों के निराकरण हेतु सिद्धांत तथा प्रक्रिया के संबंध में अनुशंसा प्रस्तुत करने हेतु टास्क फोर्स का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. एफ 19-44/2019/1/4 दिनांक 29 मई 2019 द्वारा किया गया था, जिसमें वन, आदिम जाति कल्याण तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अशासकीय सदस्य भी शामिल थे। उक्त टास्क फोर्स, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव वन थे, द्वारा नारंगी क्षेत्र के अलावा वन राजस्व भूमि के संबंध में अन्य विषयों पर भी अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को माह फरवरी, 2020 में प्रस्तुत कर दी गई है। टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के संबंध में राज्य शासन स्तर से निर्णय लिये जाने पर प्रश्न से संबंधित भूमियों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। **(ग)** निस्तार पत्रक के संबंध में म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 से 237 में प्रावधान है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आई.ए. में केन्द्र सरकार से अनुमति लिये जाने का आदेश दिया है।

जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

30. परि.अता.प्र.सं. 89 (क्र. 1290) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 3549 दिनांक 24/07/2019 को उत्तर दिया गया था कि प्रकरण के संबंध में मूल दस्तावेज एवं नस्ती का परीक्षण करने हेतु कलेक्टर को लिखा गया है? तो कब किसके द्वारा कलेक्टर को लिखा गया था? क्या कलेक्टर द्वारा उक्त प्रकरण के मूल दस्तावेज एवं नस्ती का परीक्षण कर कार्यवाही को पूर्ण कर लिया गया है? यदि हाँ, तो उक्त प्रकरण से संबंधित सम्पूर्ण नस्ती की प्रति उपलब्ध करायें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। **(ख)** क्या श्री प्रेम गुप्ता द्वारा प्रश्न क्रमांक 3549 दिनांक 24/07/2019 के संबंध में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय भोपाल को सूचना का अधिकार आवेदन रजिस्टर्ड डॉक द्वारा भेजा गया था? **(ग)** प्रश्नांश (ग) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या उक्त व्यक्ति को उक्त विभाग द्वारा जानकारी प्रदाय कर दी गयी है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें।

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्र क्रमांक एफ 8-85 (1-8)/2019/29-1 दिनांक 16/07/2019 द्वारा कलेक्टर छतरपुर को लिखा गया है। जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी हाँ। दिनांक 02/03/2020 को। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

उचित मूल्य की दुकानों में POS मशीन लगाने का उद्देश्य

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

31. परि.अता.प्र.सं. 97 (क्र. 1350) श्री कुणाल चौधरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4001 दिनांक 24 जुलाई 2019 के खण्ड (ख) का उत्तर दिलाया जाए तथा बतावें कि सिंहस्थ 2016 में विभाग द्वारा किस किस मद से कितना कितना व्यय किया गया तथा क्या वह बजट 2016 में अनुमोदित था? **(ख)** प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों पर POS मशीन किस वर्ष में किस मद से लगाई गई है तथा अक्टूबर 2019 तक कुल कितने किराया दिया जा चुका है तथा POS मशीन लगाने के बाद से प्रदेश में किसी भी दुकान पर राशन वितरण में कोई भी अनियमितता नहीं पाई गई तथा POS मशीन लगाने के पीछे क्या उद्देश्य है? **(ग)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 4001 दिनांक 24 जुलाई, 2019 के खण्ड (ग) के उत्तर के संदर्भ में बताएं को राशन वितरण में अनियमितता पर FIR दर्ज करने के संदर्भ में क्या दिशा निर्देश हैं तथा कौन सक्षम अधिकारी FIR दर्ज करने का निर्णय लेता है, उसका पद बतावें तथा बतावें की वर्ष 2014 से वर्ष 2018 तक प्रदेश की कितनी राशन दुकानों पर अनियमितता के कुल कितने प्रकरण पाये गये तथा कितने प्रकरण में FIR दर्ज की गई? **(घ)** रतलाम में काल्पनिक परिवारों को राशन वितरण में मात्र 8 दुकानों में 10 करोड़ का

घोटाला पाये जाने के बाद शेष 55 दुकानों पर उसी तर्ज पर उस अवधि का हितग्राहियों की संख्या की जांच क्यों नहीं की गई जबकि 8 दुकानों की जांच रेंडम पद्धति से की गई थी, जिसका यह अर्थ होता हैं, कि रेंडम जांच में अनियमितता पाई जावे तो शेष सभी दुकानों की जांच की जावेगी। शेष दुकानों की जांच नहीं करने के वाले अधिकारियों के नाम बताएं।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्न क्रमांक 4001 के प्रश्नांश (ख) की प्रेषित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। सिंहस्थ 2016 में आटा वितरण में राशि रूपये 3,40,84,842/-, चावल वितरण में राशि रूपये 2,50,99,091/-, शक्कर वितरण एवं क्षतिग्रस्त शक्कर निराकरण में राशि रूपये 1,63,44,014/-, शेष स्कंध वापसी हेतु परिवहन व्यय राशि रूपये 1,27,644/-, प्रचार प्रसार आदि में व्यय राशि रूपये 50,99,361/- का व्यय किया गया। सिंहस्थ मद अंतर्गत नगरीय प्रशासन विभाग में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित कार्यों के लिए राशि रूपये 7 करोड़ का बजट प्रावधानित था। **(ख)** POS मशीनों समस्त जिलों की उचित मूल्य दुकानों पर माह फरवरी 2016 से स्थापित की गई हैं। उक्त मशीनों के किराये का भुगतान मद संख्या 1299- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत परिवहन, कमीशन की प्रतिपूर्ति के अंतर्गत किया जाता है। भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। जी नहीं। POS मशीन लगाने का मुख्य उद्देश्य वास्तविक हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित कर क्रय-विक्रय संव्यवहार को डिजीटलीकृत करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 12 (2) (ख) के अंतर्गत सभी स्तरों पर संव्यवहारों के पारदर्शी अभिलेखन को सुनिश्चित करने के लिए एण्ड-टू-एण्ड कम्प्यूटराईजेशन परियोजना के अंतर्गत POS का संस्थापन किया गया है। **(ग)** मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश, 2015 के संबंधित प्रावधान की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है। **(घ)** तत्कालीन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग रतलाम शहर के माध्यम से उचित मूल्य दुकानों की जांच कराई गई थी जिसमें अनुविभागीय अधिकारी रतलाम शहर के प्रतिवेदन अनुसार 08 उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध एफ.आई.आर. 13 जनवरी 2018 को दर्ज कराई गई थी, तदुपंरात मार्च 2018 में रतलाम शहर अंतर्गत 06 माह से राशन न लेने वाले 21202 संदिग्ध परिवारों को पोर्टल से विलोपित करने की कार्यवाही की गई। सीमित मानव संसाधन की उपलब्धता, जांच दल के कर्मचारियों के अन्य तहसीलों में तबादलें तथा काल्पनिक परिवारों को पोर्टल से विलोपित कर देने के दृष्टिगत उस अवधि के हितग्राही की उसी तर्ज पर इतनी विस्तृत जांच किया जाना संभव नहीं था।

विभिन्न यात्राओं में हुए व्यय की जानकारी

[संस्कृति]

32. अता.प्र.सं.91 (क्र. 1354) श्री कुणाल चौधरी : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2016 से 2018 के मध्य आयोजित नर्मदा यात्रा, सेवा यात्रा, एकात्म

यात्रा पर हुए कुल व्यय की जानकारी दें तथा बतावें कि यह खर्च वित्त के किस शीर्ष में किया गया तथा इसका प्रावधान किस मुख्य बजट या अनुपूरक बजट में किया गया था? **(ख)** वर्ष 2016 में आयोजित सिंहस्थ में किस-किस विभाग द्वारा वित्त के किस शीर्ष मद से कुल कितनी राशि खर्च की गई तथा संपूर्ण सिंहस्थ पर कुल कितना खर्च हुआ? **(ग)** सिंहस्थ में आर्थिक अनियमितता एवं घोटाले से संबंधित किस-किस विभाग में किस प्रकार की जांच प्रचलन में है तथा कितने प्रकरण लोकायुक्त, ई.ओ.डब्ल्यू. तथा पुलिस में दर्ज हुए हैं? **(घ)** सिंहस्थ के दौरान किराये से क्या-क्या वस्तु कितनी मात्रा में किस दर से किस फर्म से ली गई तथा सभी विभागों द्वारा किराये के मद में कुल मिलाकर कितना भुगतान किया गया तथा जो वस्तु खरीदी गई, उन वस्तुओं की अद्यतन स्थिति से अवगत करायें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) नर्मदा सेवा यात्रा में राशि रूपये 1,55,73,196/- तथा एकात्म यात्रा पर राशि रूपये 8,90,14,868/- क्रमश: संस्कृति संचालनालय के समारोह मद लेखा शीर्ष मांग संख्या-26, संस्कृति विभाग से संबंधित 102-कला और संस्कृति का संवर्धन 5753-समारोह के आयोजन हेतु अनुदान 51-अन्य प्रभार-9999-आयोजनेत्तर से तथा वेदान्त पीठ की स्थापना के पुनर्नियोजन तथा अनुपूरक से किया गया है. **(ख)** म.प्र. संस्कृति परिषद् एवं अनुषंगो द्वारा सिंहस्थ- 2016 में कुल व्यय रूपये 81,18,41,033/- है. अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त की जा रही है. **(ग)** संस्कृति विभाग से संबंधित जानकारी निरंक है. अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त की जा रही है. **(घ)** संस्कृति विभाग द्वारा किराये पर ली गई समाग्री का विस्तृत चार्ट **संलग्न परिशिष्ट 'क' पर** है. अन्य विभागों से जानकारी प्राप्त की जा रही है. **] (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार. (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार**.

हरदा जिले में दूध पावडर की उपलब्धता
[महिला एवं बाल विकास]

33. परि.अता.प्र.सं. 102 (क्र. 1392) श्री कमल पटेल : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश के हरदा जिले सहित किस-किस जिले में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश में आंगनवाड़ी एवं स्कूलों में दूध वितरण हेतु 01 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने-कितने दूध पावडर की मांग विभाग द्वारा दुग्ध संघ/शासन से की गई थी? जिलेवार, माहवार जानकारी दें। **(ख)** म.प्र. के सभी जिलों में विभाग द्वारा दुग्ध संघ/शासन से की गई दूध पावडर की डिमाण्ड के बदले जिलों को कितना दूध पावडर प्राप्त हुआ? जिलेवार, माहवार जानकारी दें। **(ग)** म.प्र. के सभी जिलों के विभाग से प्राप्त डिमाण्ड पत्र की प्रति एवं जिलों को प्राप्त दूध पावडर की पावती की प्रति उपलब्ध कराएं। जिलेवार जानकारी दें। **(घ)** क्या म.प्र. के सभी जिलों को डिमाण्ड अनुसार दूध पावडर प्राप्त हुआ है? यदि नहीं तो क्यों?

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [(क) प्रदेश के समस्त जिलों में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में सप्ताह में 03 दिन दूध वितरण के लिए दूध पावडर का प्रदाय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा किया जाता है। मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ भोपाल द्वारा संबंधित जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की मांग के आधार पर आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये दूध पावडर का प्रदाय किया जाता है। विभाग द्वारा दुग्ध महासंघ से सीधे दूध पावडर की मांग एवं दूध पावडर प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की जाती है। जानकारी विस्तृत स्वरुप की होने के कारण एकत्रित की जा रही है। **(ख)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रदेश में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में दूध का प्रदाय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा सीधे किया जाता है। मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ भोपाल द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की मांग के आधार पर आंगनवाड़ी एवं स्कूलों हेतु दूध पावडर का प्रदाय किया जाता है। विभाग द्वारा सीधे दुग्ध महासंघ से दूध पावडर प्राप्त करने व मांग नहीं की जाती है। मध्यान्ह भोजन परिषद द्वारा दुग्ध संघ से मांग की गई दूध पावडर की जिलेवार, माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"स" एवं "द" अनुसार** है। **(घ) जी हाँ। जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ई" अनुसार** है।

परिवहन चेक पोस्ट पर अवैध वसूली

[परिवहन]

34. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 1469) श्री अनिरुध्द मारू : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या सितम्बर 2015 में तहसीलदार जावद, जिला-नीमच ने परिवहन चेक पोस्ट पर अवैध वसूली के सम्बन्ध में नयागांव के कर्मचारियों/अधिकारियों के खिलाफ थाना जावद में एफ.आई.आर दर्ज करायी गयी थी? यदि हाँ, तो उक्त एफ.आई.आर. तथा उससे सम्बंधित समस्त दस्तावेजों की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत करें। **(ख)** उक्त एफ.आई.आर के दर्ज होने के दिनांक से लेकर प्रश्न दिनांक तक इस प्रकरण में किस-किस स्तर पर कब-कब और क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? **(ग)** यदि इस प्रकरण में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, तो कारण बताये और नाम, पदनाम और पदस्थापना की जानकारी सहित उन अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची प्रदान करें, जो कार्यवाही नहीं करने के लिये प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार है। **(घ)** नयागाँव आकस्मिक निरीक्षण के पश्चात तात्कालिक कलेक्टर के द्वारा आयुक्त मध्यप्रदेश परिवहन विभाग को शिकायत क्रमांक 73/शिकायत/15 दिनांक 28/08/2015 को नयागाँव जिला नीमच स्थित बैरियर पर वसूली विषयक कार्यवाही हेतु भेजा गया, इस सम्बन्ध में आयुक्त मध्यप्रदेश परिवहन विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? कार्यवाही में विलम्ब के लिए कौन जवाबदार है?

राजस्व मंत्री : [(क) जी हाँ। दिनांक 09-09-2015 को तहसीलदार जावद द्वारा एफ.आई.आर दर्ज कराई गई थी। जिसकी प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है। **(ख)** से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (ख)** प्रकरण में पुलिस थाना जावद जिला नीमच में दिनांक 09.09.2015 को प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई, (FIR) दर्ज कराये जाने के उपरान्त दिनांक 09.09.2015 से दिनांक 22.01.2017 तक निरंतर अनुसंधान किया गया है। उपरोक्त घटनाक्रम घटित होने के पश्चात् एवं अन्य शिकायतों व समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों के आधार पर विभाग स्तर पर भी सम्पूर्ण तथ्यों/बिन्दुओं पर विभाग द्वारा जांच कराई गयी जांच **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ग)** यह कहना गलत है कि प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई प्रश्नांश (क) अनुसार पूर्ण कार्यवाही की गयी है जांच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' एवं 'ब' अनुसार** है। उपरोक्ता अनुसार शिकायत प्रकरण में किसी भी अधिकारी/कर्मचारियों को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदारी नहीं ठहराया जा सकता है। **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रश्नांश (क) एवं (ख) अनुसार** है। **(घ)** प्रकरण में आकस्मिक निरीक्षण पश्चात तत्कालीन कलेक्टर जिला नीमच का पत्र दिनांक 28-08-2015 प्रेषित किया गया था, विभाग द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम पर प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान लिया गया था, प्रकरण में किसी प्रकार का विलम्ब होने के कारण जवाबदेही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

संचालित आगंनवाड़ी केन्द्रों की जानकारी
[महिला एवं बाल विकास]

35. अता.प्र.सं.125 (क्र. 1532) श्री उमाकांत शर्मा : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विदिशा जिले में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र, मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? कितने केन्द्रों के भवन निर्मित हैं? संख्यात्मक जानकारी दें। विदिशा जिले में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवनों में संचालित हैं? विकासखण्डवार सूची दें। कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित हैं? भवन मालिक का नाम, पता मासिक किराया सहित सूची दें। **(ख)** सिंरोज विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से आंगनवाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं? उनके भवन निर्माण की क्या योजना है? किन-किन आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण का कार्य कब से चल रहा है? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होंगे? किन-किन आंगनवाड़ी भवनों के पास हैण्डपंप हैं तथा किन भवन के पास हैण्डपंप नहीं हैं? सूची उपलब्ध करावें। **(ग)** आंगनवाड़ी केन्द्रों का साप्ताहिक मेन्यू क्या-क्या है? सिरोंज विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक किन-किन आंगनवाड़ी केन्द्रों, मिनी आगनवाड़ी केन्द्रों का कब-कब निरीक्षण किया गया है? उनमें क्या-क्या कमियां पाई गई हैं? केन्द्रवार जानकारी देवें। **(घ)** वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक विदिशा जिले में क्या-क्या सामग्री कहां-कहां से क्रय की गई है तथा उसका उपयोग कहां हुआ है? विकासखंड जानकारी देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [**(क)** विदिशा जिला अन्तर्गत 1930 आंगनवाड़ी एवं 441 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। जिनमें से 591 आंगनवाड़ी केन्द्रों के भवन निर्मित है। जिलें में 1320 आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवनों में संचालित है। विकासखण्डवार सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। किराये से संचालित आंगनवाड़ी केन्द्र से संबंधित भवन मालिक का नाम, पता मासिक किराया की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ख)** सिरोंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत भवनविहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। भवन विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ होने की अवधि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत होने से निर्माण कार्य को समय-सीमा में पूर्ण करने का दायित्व निर्माण एजेंसी का है। अतः आंगनवाड़ी भवन पूर्ण किये जाने की समय-सीमा विभाग द्वारा बताया जाना संभव नहीं है। आंगनवाड़ी भवनों के पास हैण्डपंप होने एवं नहीं होने की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है। **(ग)** आंगनवाड़ी केन्द्रों के साप्ताहिक मेन्यू की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार** है। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जनवरी 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक आंगनवाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण एवं उनमें पाई गई कमियों संबंधी जानकारी विस्तृत होने से एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ग)** आंगनवाड़ी केन्द्रों के साप्ताहिक मेन्यू की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6 अनुसार** है। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत जनवरी 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक आंगनवाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण एवं उनमें पाई गई कमियों संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार** है। **(घ)** वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनांक तक विदिशा जिले में क्रय की गई सामग्री एवं उपयोग की जानकारी विकासखण्डवार **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार** है।

शिक्षा मंत्री के पत्रों पर कार्यवाही

[राजस्व]

36. अता.प्र.सं.143 (क्र. 1614) श्री प्रवीण पाठक : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या माननीय प्रभुराम जी चौधरी स्कूल शिक्षा मंत्री ने कलेक्टर रायसेन को पत्र क्रमांक 7970 दिनांक 08/08/2019 एवं पत्र क्रमांक 960 दिनांक 06/09/19 लिखकर रायसेन जिले के वनग्रामों के संबंध में श्री फजल निवासी दीवानगंज सांची ब्लॉक रायसेन के पत्र संलग्न कर दिए गए निर्देशों का प्रश्नांकित दिनांक तक भी पालन नहीं किया जा सका है। **(ख)** रायसेन जिले के 1980 तक अंतरित किस वनग्राम एवं वर्तमान में शेष किस वनग्राम के जिला अभिलेखागार एवं तहसील अभिलेखागार में 194 के पहले और 1947 के बाद के किस किस वर्ष में बनाए हकूक रजिस्ट्रर खसरा पंजी पटवारी मानचित्र एवं संशोधन पंजी उपलब्ध है। उनमें कितनी खाते एवं गैर खाते की भूमियों के ब्यौरा दर्ज है? **(ग)** माननीय

मंत्री जी द्वारा लिखे गये किस दिनांक के पत्र में दिए किस निर्देश का पालन किए जाने के संबंध में रायसेन जिले में किस दिनांक को क्या क्या कार्यवाही किस-किस के द्वारा की गई कब तक जिले के वनग्रामों से संबंधित अभिलेखागार में उपलब्ध अभिलेखी की जानकारी संकलित करवा ली जावेगी समय-सीमा सहित बतायें?

राजस्व मंत्री : [(क) कार्यवाही प्रचलित है। **(ख)** रायसेन जिले में 1980 तक अंतरित वन ग्राम जो राजस्व विभाग को हस्तांतरित किये गये है। उन ग्रामों में से केवल 13 ग्रामों के वर्ष 1947 के पूर्व के हुकुक रजिस्टर उर्दू भाषा में संधारित है जो अभिलेखागार में उपलब्ध है। वर्ष 1947 के पूर्व खसरा पंजी, पटवारी मानचित्र एवं संशोधन पंजी उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1947 के बाद वर्ष 1965 से वन विभाग द्वारा हस्तांतरित वनग्रामों का ग्राम खसरा, पंजी पटवारी नक्शा, संशोधन पंजी जिला अभिलेखागार में उपलब्ध है। शेष प्रश्नांश विस्तृत की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** माननीय मंत्री जी द्वारा लिखे गये पत्र दिनांक 08/08/19 एवं 06/09/19 के पत्रो पर रिकार्ड परीक्षण करने हेतु अधीक्षक भू अभिलेख को क्रमश: दिनांक 13/8/19 एवं दिनांक 11/09/19 को निर्देशित किया गया है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **] (ख)** शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट अनुसार** है।

मध्यप्रदेश में अनैतिक तरीक से ड्रग ट्रायल किया जाना
[चिकित्सा शिक्षा]

37. परि.अता.प्र.सं. 152 (क्र. 1634) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में 2004 से 2012 के मध्य किये गये ड्रग ट्रायल्स की विस्तृत रिपोर्ट दें तथा बतावें कि किस-किस डॉक्टर ने कितने-कितने मरीजों पर ड्रग ट्रायल किये तथा उन्हें किस तरह दण्डित किया गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित डॉक्टर अभी कहा पदस्थ हैं तथा क्या 2012 के बाद भी उनके द्वारा या अन्य डॉक्टरों द्वारा ड्रग ट्रायल करने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आये हैं, यदि हाँ, तो जानकारी दें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में 2365 मरीजों पर ड्रग ट्रायल किये गये जिनमें से 100 से अधिक मृत हो गये तथा शेष गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए जिनमें से अभी तक 1000 से ज्यादा मर चुके हैं? यदि हाँ, तो इसके लिये जिम्मेदार शासकीय चिकित्सकों को सेवा से बर्खास्त क्यों नहीं किया गया तथा उन पर फौजदारी प्रकरण क्यों नहीं दर्ज किया गया। **(घ)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में मनोरोगियों, बच्चों, भोपाल गैस पीड़ितों, किशोर बालिकाओं पर अनैतिक ड्रग ट्रायल किया गया? यदि हाँ, तो बतावें कि उन्हें कितना मुआवजा दिया गया या दिया जावेगा? **(ड.)** क्या शासन अनैतिक ड्रग ट्रायल से पीड़ित व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिये कोई कमेटी गठित करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रदेश में वर्ष 2004 से वर्ष 2010 तक किए गए मरीजों पर ड्रग ट्रायल की विस्तृत रिपोर्ट की **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। प्रदेश के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में से केवल एम.जी.एम.मेडिकल कॉलेज इंदौर एवं नेताजी सुभाषचंद्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर से संबंधित कैंसर चिकित्सालय जबलपुर में वर्ष 2004 से 2010 के मध्य चिकित्सकों ने ड्रग ट्रायल किये। ड्रग ट्रायल करने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित चिकित्सक वर्तमान में कहां पदस्थ है, इसकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-तीन अनुसार** है। वर्ष 2012 के उपरांत किसी भी चिकित्सक द्वारा ड्रग ट्रायल किए जाने के प्रकरण संज्ञान में नहीं आए है। **(ग)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर एवं जबलपुर में कुल 2987 मरीजों पर ड्रग ट्रायल किए गए। किसी भी मरीज की मृत्यु एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के प्रकरण संज्ञान में नहीं आए है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर के चिकित्सकों द्वारा वर्ष 2004 से 2012 तक किए गए ड्रग ट्रायल में मनोरोगियों, बच्चों एवं रोगियों पर ड्रग ट्रायल किया गया। प्रश्नाधीन अवधि में किसी भी मरीज की मृत्यु की सूचना प्राप्त नहीं हुई, इसलिए मुआवजे का भुगतान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ड.)** ड्रग ट्रायल से किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के प्रकरण संज्ञान में नहीं है। ऐसी स्थिति में ड्रग ट्रायल से पीड़ित व्यक्तियों की वर्तमान स्थिति की जानकारी के लिये कमेटी गठित करने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

एन.आर.आई. कोटे डीमेट तथा स्टेट कोटे में फर्जीवार्डों की जांच करना
[चिकित्सा शिक्षा]

38. अता.प्र.सं.147 (क्र. 1636) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 3041 दिनांक 24 जुलाई 2019 का उत्तर दिलाया जाय तथा प्रश्न क्र. 961 दिनांक 17 जुलाई 2019 के संदर्भ में बतावें कि उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित 06 प्रकरण में अंतिम सुनवाई कब हुई थी शीघ्र सुनवाई हेतु आवेदन किस दिनांक को लगाया गया तथा क्या निजी चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती विद्यार्थियों की पात्रता की जांच क्या सिर्फ न्यायालय के निर्देश पर ही की जाती है अन्यथा नहीं की जाती है। **(ख)** क्या वर्ष 2008 से लेकर 2019 तक निजी चिकित्सा महाविद्यालय में एन.आर.आई. कोटे में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा एवं भ्रष्टाचार हुआ हैं? क्या सरकार उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएगी? **(ग)** वर्ष 2008 से 2015 तक निजी चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटे व डी-मेट कोटे की भर्ती में हुए फर्जीवाड़ों में क्या सरकार एस.आई.टी. गठित कर इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएगी। **(घ)** निजी चिकित्सा महाविद्यालय में यूजी परीक्षा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण होकर एम.बी.बी.एस. की डिग्री प्राप्त करने वाले 2013 से 2019 के विद्यार्थियों की सूची उनके नाम, पिता का नाम, प्रवेश वर्ष सहित उपलब्ध करावें। **(ड.)** निजी चिकित्सा महाविद्यालय 2008 से 2018 तक एन.आई.आर. कोटे में चयनित विद्यार्थियों के

नाम तथा पिता के नाम, निवास का पता, संबंधित परीक्षा के प्राप्तांक तथा रैंक, 12वीं की परीक्षा के प्राप्तांक सहित सूची उपलब्ध करायें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 3041 का उत्तर विधानसभा सचिवालय को दिनांक 07.03.2020 को भेज दिया गया है, उच्च न्यायालय जबलपुर में लंबित 06 प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक 07.08.2019 को हुई एवं आगामी सुनवाई दिनांक 04.02.2020 संभावित है। प्रकरण न्यायालीन है अत: कोई टिप्पणी नहीं। **(ख)** वर्तमान में स्नातक/स्नातकोत्तर संबंधी प्रकरण सी.बी.आई./एस.टी.एफ. के मध्य विवेचनाधीन है, उच्च स्तर से निर्देश प्राप्त होने पर निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** उत्तरांश (ख) अनुसार। **(घ)** निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से प्राप्त जानकारी की छायाप्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 01 अनुसार**। **(ड.)** निजी चिकित्सा महाविद्यालयों से वर्ष 2008 से 2018 तक एन.आर.आई. कोटे में चयनित विद्यार्थियों के नाम तथा पिता के नाम, निवास का पता, संबंधित परीक्षा के प्राप्तांक तथा रैंक, 12वीं की परीक्षा के प्राप्तांक की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार**।

रजिस्ट्रार पैरामेडिकल काउंसिल की नियुक्ति के संबंध में
[चिकित्सा शिक्षा]

39. परि.अता.प्र.सं. 164 (क्र. 1659) श्री अर्जुन सिंह : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्तमान में रजिस्ट्रार पैरामेडिकल काउंसिल डॉ.पूजा शुक्ला की नियुक्ति शासन के नियमानुसार की गयी थी? यदि हाँ, तो नियम क्या थे एवं डॉ.पूजा शुक्ला ने उन नियमों के मापदण्ड किस प्रकार पूर्ण किया? **(ख)** डॉ.पूजा शुक्ला की शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पटल पर रखें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में वर्णित पद पर नियुक्ति हेतु डॉ.पूजा शुक्ला को खास रियायतें दी जाकर नियुक्ति की गयी? **(घ)** नियुक्ति दिनांक से डॉ.पूजा शुक्ला के चल अचल संपत्ति के वार्षिक विवरण पत्रकों की प्रतियां उपलब्ध करायें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा डॉ. पूजा शुक्ला, उप पंजीयक को पंजीयक मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद, भोपाल के पद पर नियुक्ति नहीं की गई है, अपितु पंजीयक का अतिरिक्त प्रभार अपने पद के कर्तव्यों के साथ-साथ सौंपा गया है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। **(ग)** जानकारी उत्तरांश (क) अनुसार है। **(घ)** पूर्व वर्षों की जानकारी निरंक है। वर्तमान वर्ष की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है।

खरगोन एवं बड़वानी जिले में कितनी नियुक्तियां
[महिला एवं बाल विकास]

40. अता.प्र.सं.158 (क्र. 1665) श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सन 2008 से सन 2018 तक महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत खरगोन एवं बड़वानी जिले में कितनी नियुक्तियां की गई नियुक्तिवार नाम, पता, नियुक्ति स्थान,पदस्थापना,वर्तमान पदस्थापना सहित सूची देवे। **(ख)** यदि कोई प्रकरण अभी भी विवाद की स्थिति में लंबित है तो कारण सहित सूची नाम,पता,स्थान,आवेदन की छायाप्रति संलग्न दस्तावेजों सहित देवें। नियुक्तियों के विभागीय नियम नीति निर्देश की छायाप्रति देवें। क्या यह सभी नियुक्तियां शासन के नियमानुसार हुई है। **(ग)** नियुक्तियां यदि मेरिट के आधार पर की गई तो प्रत्येक नियुक्ति के टॉप 3 आवेदकों के आवेदनों की छायाप्रति संलग्न दस्तावेजों सहित देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [(क) से **(ग)** तक प्रश्न विस्तृत स्वरुप का होने के कारण जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** जी नही। नियुक्तियों के संबंध में विभागीय नियम नीति निर्देशों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। जी हाँ। **(ग)** आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्तियां परियोजना स्तर पर वरीयता के आधार पर की जाती है। उपरोक्तानुसार की गई नियुक्तियों में वरीयता सूची के प्रथम तीन आवेदकों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

दिनांक 20 दिसम्बर, 2019

खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सिवनी से संबंधित जानकारी
[खेल और युवा कल्याण]

41. अता.प्र.सं.70 (क्र. 950) श्री रामकिशोर कावरे : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** डॉ. पूर्णिमा जोशी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सिवनी नियुक्ति दिनांक से जिला मुख्यालय से कब-कब किस स्वीकृति/आदेश के आधार पर बाहर रहीं, उनके मुख्यालय से बाहर रहने के दौरान कार्यालय से जारी समस्त पत्रों की सत्यापित छायाप्रति सहित जानकारी देवें। **(ख)** डॉ. पूर्णिमा जोशी जिला खेल एवं युवा कल्याण अधिकारी सिवनी द्वारा नियुक्ति दिनांक से प्रश्न दिनांक तक जारी क्रय आदेश एवं सभी प्रकार की क्रय सामग्री की सत्यापित जानकारी देवें? **(ग)** क्या संचानालय के पत्र क्रमांक/15/खेयुक/2017/स्था/भोपाल दिनांक 13-04-2017 के साथ जारी निर्देश एवं अनुबंध पत्र के प्रारूप अनुसार संविदा ग्रामीण युवा समन्वयक जीवनयापन हेतु अन्य कोई कार्य कर सकते है,यदि हाँ, तो किस आधार पर, यदि नहीं तो जिला सिवनी में श्री निकेश पदमाकर, संविदा

ग्रामीण युवा समन्वयक विकासखण्ड कुरई किस आधार पर प्राईवेट अकादमी संचालित करने के साथ ही अन्य प्राईवेट शिक्षण संस्थान में सेवारत है? **(घ)** जिला सिवनी, बालाघाट, मण्डला में समर कैंप 2018 से अब तक का आवंटन नियमानुसार किया गया है। यदि हाँ, तो समस्त क्रय आदेश भुगतान किये गये नये देयक की जानकारी के साथ वितरित सामग्री किस-किस को किस आधार पर वितरित की गयी? **(ड.)** संचालनालय द्वारा सिवनी, बालाघाट, मण्डला जिले में 2017 से अब तक प्रदाय समस्त ओपन जिम एवं अन्य स्थाई प्रकार की खेल सामग्री जिसका भुगतान संचालनालय द्वारा किया जा चुका है, की जानकारी दें।

खेल और युवा कल्याण मंत्री : (क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '1' अनुसार है। (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '2' अनुसार है। (ग)** ग्रामीण युवा समन्वयक के अनुबंध पत्र में अशंकालीन सेवा का समावेश न होने के कारण संचालनालय के पत्र क्र/9553/खे.यु.क./2013/स्था. दिनांक 13.05.2013 के अनुसार संविदा ग्रामीण युवा समन्वयकों को वर्ष 2013 में मानदेय राशि रुपये 2000/- प्रतिमाह होने के कारण यह माना गया था कि इतनी अल्प मानदेय से किसी व्यक्ति/परिवार का जीवन यापन संभव नहीं है। अतः इनको अंशकालीन कर्मचारी मानते हुए पत्र जारी किया गया था। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '3' अनुसार है। (ड़) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र '4' अनुसार है।**

प्रदेश के महाविद्यालयों में व्याख्याता की कमी के बावजूद अन्य कार्य लेने के संबंध में
[उच्च शिक्षा]

42. अता.प्र.सं.79 (क्र. 1249) श्री कुँवर विक्रम सिंह : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के महाविद्यालय में व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापकों के किस-किस विषय में कुल कितने पद रिक्त है? **(ख)** रिक्त पदों की पदों की पूर्ति शासन द्वारा कब तक कर दी जावेगी? **(ग)** क्या म.प्र. के महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु भर्ती किये गये व्याख्याता, सहायक प्राध्यापक, प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग के अलावा विभिन्न संस्थाओं में गैर शैक्षणिक कार्य कर रहे हैं उनका नाम, पद, विषयवार विवरण देवें। **(घ)** क्या उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य से पृथक कर महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु शीघ्र पदस्थ किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों? नियम, विवरण सहित जानकारी देवें।

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** विभाग द्वारा रिक्त पदों की पूर्ति आगामी 03 वर्षों में किए जाने की योजना है। **(ग)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ)** अति आवश्यक प्रतिनियुक्तियों को छोड़कर शेष प्रतिनियुक्तियां समाप्त करने हेतु कार्यवाही प्रचलन में है।

प्रदेश में निवेश बढ़ाने हेतु आयोजित समिट में किये गये करार
[उच्च शिक्षा]

43. परि.अता.प्र.सं. 81 (क्र. 1368) श्री लक्ष्मण सिंह : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने हेतु वर्ष 2019 में इंदौर में आयोजित समिट में कोई करार किये गये हैं? **(ख)** यदि हाँ, तो उसका सम्पूर्ण विवरण प्रदान करें। **(ग)** यदि ना तो ऐसा निवेश करवाने हेतु क्या कार्य योजना है?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश हेतु राज्य शासन ने विभागवार नीतियां जारी की हैं, जिन पर सतत रूप से कार्यवाही की जाती है।

प्राध्यापकों की वरिष्ठता का निर्धारण
[उच्च शिक्षा]

44. परि.अता.प्र.सं. 136 (क्र. 1801) श्री संजय यादव : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विभागीय प्रशासनिक प्रतिवेदन 2018-19 में दर्शाये गए अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सीधी भर्ती के प्राध्यापक अपने संवर्ग के 704 पदों पर कार्यरत हैं तथा पदोन्नत/पदनामधारी प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक के संवर्ग के पद पर कार्यरत हैं? **(ख)** क्या सीधी भर्ती प्राध्यापकों की उपलब्धता के बावजूद महाविद्यालयों में पदोन्नत/पदनामधारी प्राध्यापकों को वरिष्ठ मानकर प्रभारी प्राचार्य घोषित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो ऐसे महाविद्यालयों की सूची उपलब्ध कराएं। **(ग)** क्या WP 11324/2003 में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने यह व्यवस्था दी है कि सीधी भर्ती के प्राध्यापक सर्वदा पदोन्नत प्राध्यापक से वरिष्ठ होंगे? तथा याचिका RP 267/2010 में उक्त दिये गए निर्णय की व्याख्या इस सीमा तक की गई है कि पदोन्नत प्राध्यापकों तथा सीधी भर्ती प्राध्यापक के मध्य वरिष्ठता तभी निर्धारित हो सकती है जब पदोन्नति से पद भरते हों? यदि हाँ, तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार की पदोन्नति से प्राध्यापक संवर्गीय पद नहीं भरने के बावजूद पदोन्नत प्राध्यापकों को किस आधार पर वरिष्ठ माना जा रहा है? **(घ)** ऐसे प्राध्यापकों के बीच वरिष्ठता निर्धारण के लिए वर्तमान में प्रचलित नियम की प्रति उपलब्ध कराएं।

खेल और युवा कल्याण मंत्री : (क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(क)** जी हाँ। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ पर** है। **(ग)** डब्ल्यू.पी. 11324/2003 में पारित निर्णय दिनांक 07.09.2005 के अनुसार सीधी भर्ती के प्राध्यापकों को पदोन्नत प्राध्यापकों से वरिष्ठ रखे जाने का उल्लेख है। जी हाँ। माननीय न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. 1704/2009 तथा आर.पी. 267/2010 में पारित निर्णय में स्पष्ट है कि एक ही वर्ष में सीधी भर्ती से नियुक्त एवं पदोन्नत होने पर सीधी भर्ती से नियुक्त

प्राध्यापक को वरिष्ठ माना जायेगा। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब', 'स' एवं 'द' अनुसार** है।

दिनांक 23 दिसम्बर, 2019

गंदा नाला सफाई, बाजार बैठक, पशुहाट पंजीयन ठेकों के लिए पारित किये प्रस्ताव
[नगरीय विकास एवं आवास]

45. अता.प्र.सं. 42 (क्र. 405) डॉ. मोहन यादव : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक नगर निगम, उज्जैन एवं उज्जैन जिले की समस्त नगर पालिका गंदा नाला सफाई, बाजार बैठक, पशु हाट पंजीयन ठेकों के लिए पारित किये गये प्रस्ताव, प्रस्ताव जारी निविदा, निविदा की शर्तें, प्राप्त निविदा, निविदा प्राप्त होने के पश्चात दर स्वीकृति हेतु पारित प्रस्ताव, ठेकेदार से किये गये अनुबंध, प्राप्त बिल, भुगतान वाउचर एवं संपूर्ण फाईल की प्रमाणित प्रतिलिपि वर्षवार, नगरपालिकावार, बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) की जानकारी अनुसार कितने कार्यों का अनुबंध नहीं करवाया गया एवं कितने कार्यों के संबंध में राजपत्र अनुसार दर स्वीकृति के लिए एजेण्डा एवं प्रस्ताव पारित नहीं किया गया? सक्षम दर स्वीकृति नहीं करने के संबंध में कितने ठेकेदारों द्वारा आवेदन दिये गये? समस्त जानकारी वर्षवार, ठेकेवार, नगरपालिकावार, बिन्दुवार उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) की जानकारी अनुसार क्या अनुबंध के निष्पादन के बिना एवं सक्षम दर स्वीकृत किये बिना ठेके के लिए जारी प्रमाण-पत्र व निविदा की शर्तों के विपरीत ठेकेदार के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही को नियमानुसार माना जायेगा? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(ग)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** (1) 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा गंदा नाला सफाई, बाजार बैठक, पशु हाट पंजीयन ठेका नहीं दिये जाने से संपूर्ण प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। (2) उज्जैन जिले अंतर्गत नगर पालिका परिषद, बड़नगर एवं महिदपुर नागदा तथा खाचरौद है। (1) ''गंदा नाला सफाई''- नगर पालिका परिषद् बड़नगर एवं महिदपुर द्वारा 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक गंदा नाला सफाई का कार्य ठेका पद्धति से नहीं दिए जाने से जानकारी निरंक है। नगर पालिका परिषद् नागदा द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 से 31.12.2016 तक गंदा नाला सफाई का कार्य ठेका पद्धति से नहीं दिया गया है वर्ष 2017, 2018 व 2019 में निकाय द्वारा गंदा नाला सफाई ठेका पद्धति से करवाया गया। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''1'' अनुसार** है। नगर पालिका परिषद् खाचरौद द्वारा वर्ष 2016-17 में गंदा नाला सफाई का कार्य मजदूरी ठेके पर दिया गया था, शेष कार्य निकाय द्वारा करवाया गया वर्ष 2017-18 में संपूर्ण कार्य ठेके पर करवाया गया एवं वर्ष 2018-19 व 2019-20 में ठेके पर नहीं दिया गया। **जानकारी**

पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "2" अनुसार है। (2) "बाजार बैठक"-नगर पालिका परिषद् बड़नगर एवं नागदा में 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक बाजार बैठक ठेका पद्धति से नहीं दिए जाने से जानकारी निरंक है। नगर पालिका परिषद् महिदपुर द्वारा वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18 एवं वर्ष 2019-20 में बाजार बैठक ठेका पद्धति से नहीं कराया गया। वर्ष 2018-19 में सार्वजनिक ठेका नीलामी से कराया गया है। इस अवधि में किसी भी ठेकेदार की कोई राशि लेना शेष नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "3" अनुसार** है। नगर पालिका परिषद् खाचरौद द्वारा 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक वर्ष 2017-18 को छोड़कर शेष वर्षों में बाजार बैठक ठेके पर दिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "4" अनुसार** है। (3) "पशु हाट पंजीयन ठेका"- नगर पालिका परिषद् बड़नगर द्वारा 01 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक पशु हाट पंजीयन वसूली ठेका पद्धति से दिया गया एवं दिनांक 01 अप्रैल 2019 से प्रश्न दिनांक तक पशु हाट पंजीयन की वसूली निकाय द्वारा की जा रही है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "5" अनुसार** है। नगर पालिका परिषद् महिदपुर द्वारा वर्ष 2016-17, 2017-18 में पशु पंजीयन ठेका पद्धति से नहीं कराया गया है। वर्ष 2015-16 व 2018-19 में पशु पंजीयन ठेका पद्धति से कराया गया है। इस अवधि में किसी भी ठेकेदार की कोई राशि दी जाना शेष नहीं है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "6" अनुसार** है। नगर पालिका परिषद् नागदा द्वारा 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक पशुहाट ठेका पद्धति से नहीं दिये जाने से जानकारी निरंक है। निकाय द्वारा वसूली की गई है। नगर पालिका परिषद् खाचरौद द्वारा वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक नियत अवधि के लिये पशु हाट पंजीयन ठेके पर दिया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "7" अनुसार** है। **(ख)** 01 जनवरी 2016 से प्रश्न दिनांक तक नगर पालिक निगम, उज्जैन द्वारा गंदा नाला सफाई, बाजार बैठक, पशु हाट पंजीयन ठेका नहीं दिये जाने से संपूर्ण प्रश्नांश की जानकारी निरंक है। नगर पालिका परिषद् बड़नगर द्वारा वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 का पशु पंजीयन ठेके का अनुबंध नहीं कराया गया था। प्रश्नांश (क) में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** प्रस्ताव/स्वीकृति पारित की जाकर ठेकेदार से कोई भी राशि लेना शेष नहीं है। निकाय में किसी भी ठेकेदार द्वारा सक्षम दर स्वीकृति के संबंध में कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है, शेष जानकारी निरंक है। नगर पालिका परिषद् महिदपुर द्वारा वर्ष 2015-16 व 2018-19 में पशु पंजीयन ठेका नीलामी एवं वर्ष 2018-19 में बाजार बैठक ठेका नीलामी का अनुबंध नहीं कराया गया। प्रश्नांश (क) में **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "6" तथा "3" अनुसार** प्रस्ताव/स्वीकृति पारित की जाकर ठेकेदार से कोई भी राशि लेना शेष नहीं है। निकाय में किसी भी ठेकेदार द्वारा सक्षम दर स्वीकृति के संबंध में कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है, शेष जानकारी निरंक है। नगर पालिका परिषद् नागदा की जानकारी प्रश्नांश (क) के अनुक्रम में निरंक होकर पशु पंजीयन एवं बाजार बैठक की वसूली निकाय द्वारा की गई है, इसलिये अनुबंध एवं ठेकेदार द्वारा आवेदन दिये जाने का

प्रश्न उपस्थित नहीं होता है, शेष जानकारी निरंक है। नगर पालिका परिषद् खाचरौद द्वारा वर्ष 2016-17 में बाजार बैठक का अनुबंध नहीं कराया गया था। बाजार बैठक की अधिकतम बोली दर स्वीकृति हेतु प्रकरण परिषद् संकल्प क्रमांक 6 दिनांक 08.03.2016 से नीलामी दरों की स्वीकृति हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष को अधिकृत किया गया, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "8' अनुसार** है। बाजार बैठक के एक ठेकेदार श्री दुर्गालाल दायमा द्वारा आवेदन दिया गया, **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "9" अनुसार** है। **(ग)** नगर पालिक निगम उज्जैन एवं नगर पालिका परिषद् बड़नगर, महिदपुर तथा नागदा की जानकारी निरंक है, केवल नगर पालिका परिषद् खाचरौद में ठेकेदार के निर्धारित शर्तों पर हस्ताक्षर हैं। परिषद् संकल्प क्रमांक 6 दिनांक 08.03.2016 से दर स्वीकृति हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी एवं अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। वर्ष 2016-17 में बाजार बैठक वसूली का ठेका दिया गया था, किन्तु अनुबंध संपादित नहीं हुआ। परन्तु ठेका नीलामी की शर्तों पर तत्समय के बाजार बैठक वसूली के ठेकेदार श्री दुर्गालाल दायमा के हस्ताक्षर हैं तथा ठेका राशि रूपये 13.67 लाख में दिया गया था। जिसके विरूद्ध वसूली हुई राशि रूपये 6.00 लाख, शेष राशि रूपये 7.67 लाख संबंधित ठेकेदार श्री दुर्गालाल दायमा से लेना है। प्रकरण में अमानत राशि रूपये 40 हजार है। इसे घटाते हुये शेष शुद्ध राशि रूपये 7.27 लाख लेना है जो कि श्री दुर्गालाल दायमा से वसूली योग्य होकर प्रकरण वसूली हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खाचरौद में प्रचलित है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

करकोई प्लांटेशन की जांच व कार्यवाही बाबत्

[वन]

46. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 410) श्री पुरुषोत्तम लाल तंतुवाय : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला दमोह हटा वन परिक्षेत्र अंतर्गत मार्च 2017-18 में करकोई प्लांटेशन में कितने पौधे लगाये गये थे एवं कितनी राशि प्लांटेशन हेतु स्वीकृत की गई थी? विभाग द्वारा विगत वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कितने वन तालाब स्वीकृत किये गये? प्रशासकीय स्वीकृतियों सहित स्थलवार जानकारी उपलब्ध करायें। **(ख)** समाचार पत्रों एवं श्रमिकों को मजदूरी नहीं मिलने कागजों में 21000 पौधों का रोपण होना व स्थल पर 7000 पौधा पाये जाने प्लांटेशन में की अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा की गई अनियमितता की शिकायतें प्रशासन को की गई है। प्लांटेशन में पौधे नहीं लगाये गये। राशि का आहरण कर लिया गया है। दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर प्रश्न दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई क्या जांच दल बनाकर जांच करायी जावेगी एवं दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी समय-सीमा बतायी जावें।

वन मंत्री : [(क) एवं **(ख)** इस प्रश्न के बिन्दुओं की गहन जांच कराई जा रही है। **]** **(क)** जिला दमोह हटा वन परिक्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2017-18 में करकोई प्लांटेशन में 37500 पौधा रोपण का प्रावधान था, जिसमें 36674 पौधे लगाए गए थे तथा 10 वर्षीय वृक्षारोपण

परियोजना हेतु राज्य स्तरीय संचालन समिति की 10वीं बैठक दिनांक 10.10.2017 में राशि रू.91.14 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है, जिसमें से प्रथम वर्ष क्षेत्र तैयारी हेतु राशि रू.30.40 लाख तथा द्वितीय वर्ष में वृक्षारोपण हेतु राशि रूपये 11.73 लाख का प्रावधान है। विभाग द्वारा विगत वर्ष 2018-19 व 2019-20 में दमोह वन मण्डल अंतर्गत कोई वन तालाब स्वीकृत नहीं किए गए हैं। अतः तालाबों के प्रशासकीय स्वीकृतियों का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** दमोह वन मण्डल के अंतर्गत करकोई वृक्षारोपण में श्रमिकों में मजदूरी नहीं मिलने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। वृक्षारोपण में अनियमितता से संबंधित खबरें कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुईं। माननीय विधायक श्री पुरूषोत्तम लाल तंतुवाय, विधान सभा क्षेत्र क्रमांक 57 हटा, जिला दमोह के पत्र क्रमांक/115, दिनांक 23.12.2019 से करकोई वृक्षारोपण में अनियमितता से संबंधित शिकायत प्राप्त हुई। राज्य शासन द्वारा वृक्षारोपण क्षेत्रों के कार्यों के जांच एवं सत्यापन हेतु आदेश दिनांक 18.12.2019 से सचिव वन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति के प्रतिवेदन अनुसार करकोई वृक्षारोपण (क्षतिपूर्ति वनीकरण) क्षेत्र में प्रतिवेदित 37500 गड्ढों में पौधा रोपण के विरूद्ध 36674 गड्ढों में पौधा लगाना पाया गया। वृक्षारोपण क्षेत्र में 826 गड्ढे होना नहीं पाया गया। 826 गड्ढों कम पाये जाने पर शासन को हुई हानि के लिए संबंधित कर्मचारियों से कुल राशि रूपये 18285/- के अधिक भुगतान की राशि की वसूली के आदेश माह जनवरी 2020 में जारी किये गये हैं। इस प्रकार दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है।

ब्यावरा विधानसभा के वन क्षेत्र में लगाए गये पौधे

[वन]

47. अता.प्र.सं.88 (क्र. 1106) श्री गोवर्धन दांगी : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितनी राशि किस मद हेतु शासन द्वारा दी गई है? **(ख)** इन वर्षों में दी गई राशि क्या उसी मद में खर्च कि गई? स्थान व मदवार खर्च का विवरण देवें। **(ग)** इन दो वर्षों में कितनी राजस्व वसूली हुई व कितने पौधे नवीन लगवाए गये व कितने पौधे वर्तमान में जीवित है? क्या जीवित पौधे हेतु मेन्टेनेन्स में कोई राशि खर्च की गई? यदि हाँ, तो अभी तक कितनी?

वन मंत्री : [(क) से **(ग)** इस प्रश्न के बिन्दुओं की गहन जांच कराई जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 में है**। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-01 में है। (ग)** वर्ष 2018-19 में रूपये 1,71,803/- एवं वर्ष 2019-20 में रूपये 1,08,328/- की राजस्व वसूली की गई है। शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-02 में है।**

राजस्व ग्रामों को वर्किंग प्लान में शामिल करना

[वन]

48. अता.प्र.सं.103 (क्र. 1318) श्री आरिफ मसूद : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या रायसेन, भोपाल एवं सीहोर जिले के राजस्व ग्रामों के हकूक रजिस्ट्रर, पटवारी मानचित्र, निस्तार पत्रक एवं खसरा पंजी में दर्ज जमीनों को कलेक्टर की अनुमति के बिना वर्किंग प्लान में शामिल कर कब्जा करने वाले किसी वन अधिकारी के विरूद्ध प्रश्नांकित दिनांक तक भी कोई कार्यवाही नहीं की गई? **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में किस जिले के कितने ग्रामों की अभिलेख एवं मानचित्र में दर्ज कितनी भूमि वन विभाग ने वर्किंग प्लान में शामिल कर अपने कब्जे में ले ली है? इसकी किस राजस्व अधिकारी ने वन विभाग को किस दिनांक को अनुमति प्रदान की? प्रति सहित बतावें। **(ग)** यदि अनुमति प्रदान नहीं की तो वन अधिकारियों के विरूद्ध प्रश्नांकित दिनांक तक भी प्रकरण नहीं बनाए जाने के क्या कारण रहा हैं? कब तक किस धारा के प्रकरण बनाए जावेंगे?

वन मंत्री : [(क) जी नहीं। **(ख)** मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 20.05.1976 में निम्नानुसार निर्णय लिये गये थेः- "प्रोटेक्टेड फारेस्ट के सर्वेक्षण उपरान्त जो भूमि शासकीय वनों से निष्कासित की गई है, उसके संबंध में वन विभाग पुनः जांच करें। यदि मूल्यवान वनों के भूखण्ड निष्कासित कर दिये गये हैं तो उन्हें वन विभाग पुनः आरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही करें। यदि किसी राजस्व ग्राम से लगा हुआ जंगल का बड़ा हिस्सा है तो केवल गांव से लगा हुआ कुछ हिस्सा गांव के निस्तार के लिये के लिए छोड़कर शेष वन विभाग अपने कब्जे में ले। राजस्व विभाग के अन्तर्गत भोपाल तथा अन्य क्षेत्रों में ऐसे वन क्षेत्र हैं जहाँ मूल्यवान जंगल हैं, राजस्व विभाग ऐसे वन क्षेत्रों को वन विभाग को तुरन्त हस्तान्तरण करने की कार्यवाही करेगा" साथ ही राज्य शासन के पत्र क्रमांक एफ-5/43/90/10-3 दिनांक 14 मई 1996 में भी निर्देश दिये गये थे कि "जिलाध्यक्ष से ऐसे खसरों का हस्तान्तरण वन विभाग को करने की कार्यवाही की जावे जिसमें अच्छी श्रेणी के वन उपलब्ध है।" उपरोक्त निर्देशों के तहत वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। उक्त पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 व 2 अनुसार** है। रायसेन, भोपाल एवं सीहोर जिलों के ग्रामों के अभिलेख एवं मानचित्र में दर्ज भूमि वर्किंग प्लान में शामिल करने की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर के प्ररिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (ख)** मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 20.05.1976 में निम्नानुसार निर्णय लिये गये थेः- "प्रोटेक्टेड फारेस्ट के सर्वेक्षण उपरान्त जो भूमि शासकीय वनों से निष्कासित की गई है, उसके संबंध में वन विभाग पुनः जांच करें। यदि मूल्यवान वनों के भूखण्ड निष्कासित कर दिये गये हैं तो उन्हें वन विभाग पुनः आरक्षित वन घोषित करने की कार्यवाही करें। यदि किसी राजस्व ग्राम से लगा हुआ जंगल का बड़ा हिस्सा है तो केवल गांव से लगा हुआ कुछ हिस्सा गांव के निस्तार के लिये के लिए छोड़कर शेष वन विभाग अपने कब्जे में ले। राजस्व विभाग के अन्तर्गत भोपाल तथा अन्य क्षेत्रों में ऐसे वन क्षेत्र हैं जहाँ मूल्यवान जंगल हैं, राजस्व विभाग ऐसे वन

क्षेत्रों को वन विभाग को तुरन्त हस्तान्तरण करने की कार्यवाही करेगा'' साथ ही राज्य शासन के पत्र क्रमांक एफ-5/43/90/10-3 दिनांक 14 मई 1996 में भी निर्देश दिये गये थे कि ''जिलाध्यक्ष से ऐसे खसरों का हस्तान्तरण वन विभाग को करने की कार्यवाही की जावे जिसमें अच्छी श्रेणी के वन उपलब्ध है।'' उपरोक्त निर्देशों के तहत वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। उक्त पत्र **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 व 2 अनुसार** है। प्रश्नाधीन जिलों के वनमंडल के वर्किंग प्लान में शामिल भूमियों की अभिलेख एवं मानचित्र में दर्ज भूमि की जानकारी वर्किंग प्लान के परिशिष्टों में संधारित नहीं है, अत: दी जाना संभव नहीं है।

रिक्त पदों की जानकारी एवं संविदा नियुक्ति के संबंध में
[नगरीय विकास एवं आवास]

49. अता.प्र.सं.121 (क्र. 1544) श्री मनोहर ऊंटवाल : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगरीय प्रशासन विभाग अंतर्गत मध्यप्रदेश में नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर परिषद में प्रश्न दिनांक की स्थिति में कितने पद रिक्त है रिक्त पदों की पदवार जानकारी देवें? रिक्त पदों पर भर्ती हेतु क्या कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया किस एजेंसी से कब तक पूर्ण करवा ली जायेगी? **(ग)** क्या नगर पालिका पिथमपुर जिला धार में मान्यता प्राप्त संस्थान से स्वच्छता निरीक्षक का डिप्लोमा कोर्स किये युवकों की संविदा स्वच्छता निरीक्षक हेतु नगर पालिका द्वारा दिनांक 30.07.2019 को संविदा नियुक्ति दी गई है यदि हाँ, तो कितने लोगों को किस आदेश से नियुक्ति दी गई। **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि नियम विरूद्ध नगर परिषद द्वारा संविदा नियुक्ति दी गई है तो जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। कर्मचारियों की नियुक्ति की शक्तियां नगरीय निकायों में वेष्टित है। प्रत्येक नगरीय निकाय आय-व्यय तथा स्थापना व्यय अंतर्गत पद पूर्ति के संबंध में स्वयं निर्णय लेती है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** उत्तरांश (क) के संदर्भ में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। 06 व्यक्तियों को नगर पालिका परिषद, पीथमपुर जिला धार के आदेश क्रमांक 311/स्व.भा.मि./19 दिनांक 30.07.2019 द्वारा नियुक्त किया गया है। **(घ)** श्री जी.एस. बघेल, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद, पीथमपुर जिला धार द्वारा नियम विरुद्ध संविदा नियुक्ति करने के लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये गये हैं। इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाकर संचालनालय के पत्र क्रमांक 9370 दिनांक 04.07.2020 द्वारा आरोप पत्र जारी कर दिये गये हैं।

राजपत्र में डीनोटिफाइड भूमि

[वन]

50. परि.अता.प्र.सं. 125 (क्र. 1779) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** धार, बैतूल एवं रायसेन जिले में कितने ग्रामों की समस्त भूमि राजपत्र में भा.व.अ. 1927 की धारा 34अ के अनुसार किस दिनांक को डीनोटीफाईड की गई? इसमें से किस ग्राम की कितनी भूमि संरक्षित वन सर्वे में शामिल की गई थी? यह भूमि, निस्तार पत्रक एवं खसरा पंजी में किस-किस मद एवं प्रयोजन में दर्ज है? **(ख)** संरक्षित वन सर्वे में शामिल धारा 34अ में डीनोटीफाईड निस्तार पत्रक एवं खसरा पंजी में दर्ज भूमि को संरक्षित वन, असीमांकित वन, असंरक्षित वन, नारंगी वन, समझे गए वन, अवर्गीकृत वन सर्वोच्च अदालत ने सिविल याचिका क्रमांक 202/95 में किस दिनांक के आदेश में परिभाषित या आदेशित किया है? **(ग)** धार, बैतूल एवं रायसेन जिले का राजस्व विभाग राजपत्र में धारा 34अ के तहत प्रकाशित अधिसूचना में दर्शाएं गए ग्रामों की भूमियों को किसके आदेश एवं किसकी अनुमति से वन भूमि मानकर क्या-क्या कार्यवाही कर रहा है?

वन मंत्री : [(क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार है। प्रश्नांकित जिलों में 34 अ के तहत डिनोटीफाईड भूमि निस्तार पत्रक एवं खसरा पंजी में किस मद एवं प्रयोजन में दर्ज है की जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल याचिका क्रमांक 202/1995 में पारित आदेश दिनांक 12.12.1996 में यह स्पष्ट किया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 खण्ड (i) सभी प्रकार के वन पर प्रभावशील है, चाहे वह वन आरक्षित वन, संरक्षित वन अथवा अन्य किसी प्रकार से वर्गीकृत किया गया हो या जाना जाता हो। आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 पर** है। **(ग)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। उपरोक्त भूमियां जिन मदों में वन भूमि नोटिफिकेशन के पूर्व दर्ज थी, निस्तार पत्रक एवं खसरा पंजी में उन्ही मदों एवं प्रयोजन में डीनोटिफिकेशन के पश्चात् दर्ज किया जाना चाहिये। **(ग)** विषयांकित भूमियों में से जो भूमि नोटिफिकेशन के पूर्व यदि जंगल मद में दर्ज थी तो ऐसी भूमियों को ही वन भूमि मानकार कार्यवाही की जा रही है।

678 ग्रामों की चाही गई जानकारी

[वन]

51. अता.प्र.सं.176 (क्र. 1968) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 476/2019 दिनांक 08/08/2019 अपर मुख्य सचिव वन विभाग भोपाल एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय भोपाल को प्रेषित कर 678 राजस्व ग्रामों से संबंधित चाही गई जानकारी प्रश्नांकित दिनांक तक भी उपलब्ध नहीं करवाई गई। **(ख)** वन मुख्यालय द्वारा 1982 में प्रकाशित (वनग्रामों का इतिहास एवं

भविष्य) में किस दिनांक को किस वनवृत एवं वन मुख्यालय द्वारा प्रतिवेदित पत्र में कितने राजस्व ग्रामों के संबंध में क्या-क्या ब्यौरा दिया है, इसमें से कितने राजस्व ग्राम राजस्व विभाग को सौंप दिए हैं, कितने राजस्व ग्राम वर्तमान में भी वन विभाग के नियंत्रण में है? वनमंडलवार बताएं। **(ग)** प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8/8/2019 पर वन मुख्यालय ने किस दिनांक तो निर्देश के साथ किस जिले के किस अधिकारी को पत्र लिखा? किस जिले से क्या-क्या जानकारी प्राप्त हुई? पत्र एवं जानकारी की प्रति सहित बताएं। **(घ)** प्रश्नकर्ता के पत्र में चाही गई जानकारी कब तक संकिलत कर उपलब्ध करवाई जाएगी?

वन मंत्री : [(क) जी नहीं। प्रश्नांकित पत्र की जानकारी प्रधान मुख्य वन सरंक्षक एवं वन बल प्रमुख (वन भू-अभिलेख) भोपाल के पत्र क्रमांक/शिकायत/2019/1542 दिनांक 20.09.2019 द्वारा प्रश्नकर्ता को प्रेषित की गई। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ग)** प्रश्नांश के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों को पत्र प्रेषित नहीं किये गये हैं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** उत्तरांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (ख)** "वनग्रामों का इतिहास एवं भविष्य" में फारेस्ट मेन्यूअल के तहत बसाये गये वन ग्राम एवं राजस्व वनग्रामों के संबंध में विभागीय परिपत्रों का संकलन है। उक्त संकलन में राजस्व ग्राम, राजस्व विभाग को सौंपे जाने का कोई विवरण नहीं हैं। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना
[वन]

52. अता.प्र.सं.177 (क्र. 1969) डॉ. हिरालाल अलावा : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वन मुख्यालय सतपुड़ा भवन भोपाल में भा.व.अ. 1927 की धारा 29, धारा 4, धारा 20, धारा 27 एवं धारा 34 अ के अनुसार राजपत्र में किस दिनांक को कितनी भूमियों को अधिसूचित किए जाने की प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतियां उपलब्ध हैं? जिलेवार बतावें। **(ख)** राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं की प्रतियों को सूचना के अधिकार कानून 2005 की धारा 4 के अनुसार प्रश्नांकित दिनांक तक भी ऑनलाईन नहीं किए जाने का क्या कारण रहा है? धारा 4 में किन अभिलेखों, दस्तावेजों, अधिसूचनाओं को आनलाईन किए जाने के संबंध में क्या प्रावधान दिया गया है। **(ग)** वन मुख्यालय धारा 4 के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाओं को कब तक ऑनलाईन करेगा?

वन मंत्री : [(क) जानकारी संकलित की जा रही है। 2 सप्ताह में उपलब्ध करा दी जायेगी। **(ख)** जानकारी वन विभाग की ऑफिशियल वेबसाईट (www.mpforest.gov.in) ''सूचना के अधिकार'' बटन के अंतर्गत उपलब्ध है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 में दिये गये प्रावधान की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उत्तरांश ''ख'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

पुराने जबलपुर जिले के 1817 ग्राम
[वन]

53. परि.अता.प्र.सं. 162 (क्र. 2001) श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या दिनांक – 17/11/1972 के राजपत्र में जबलपुर जिले के जिन 1817 ग्रामों की भूमि डीनोटीफाईड की गयी, उनकी प्रविष्टि संरक्षित वन सर्वे, रिपोर्ट, क्षेत्रफल पंजी, सर्वे कंप्लीशन रिपोर्ट में प्रश्न दिनाँक तक नहीं की गयी हैं? यदि हाँ, तो कारण बतायें और इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही कब तक की जाएंगी? **(ख)** जबलपुर और कटनी जिले में कितने और कौन-कौन से राजस्व ग्राम हैं, इनमे से कितने और कौन-कौन से राजस्व ग्रामों की किन-किन खसरा नंबरों एवं कितने रकबे की भूमि संरक्षित वन सर्वे, नारंगी भूमि सर्वे वनखंड एवं विभाग के वर्किंग प्लान में किन सक्षम आदेशों से कब-कब शामिल की गयी? **(ग)** प्रश्नांश (ख) संरक्षित वन सर्वे में शामिल कौन-कौन से ग्रामों की कौन-कौन से खसरा नम्बरों की भूमि दिनाँक 17/11/1972 के राजपत्र से डीनोटीफाईड की गयी और संरक्षित वन सर्वे में शामिल कौन-कौन से ग्रामों की भूमि नारंगी सर्वे भूमि में किस-किन शासनादेश एवं विभागीय निर्देशों से शामिल की गयी? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिपेक्ष्य में बतायें, कि वनसर्वे एवं वनखंड और वर्किंग प्लान में शामिल भूमि ग्रामों के निस्तारपत्रक में किन-किन प्रयोजनों के लिए दर्ज हैं? और वर्तमान में भूमि किन मदों हेतु राजस्व और विभाग के अभिलेखों में दर्ज हैं।

वन मंत्री : [(क) संरक्षित वन के सर्वे-सीमांकन कम्पलीशन रिपोर्ट के उपरान्त ही प्रश्नांकित अधिसूचना जारी की गई। अतः उक्त अभिलेख में संशोधन किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। क्षेत्रफल पंजी में प्रश्नांकित अधिसूचना में उल्लेखित ग्रामों की भूमियों का विवरण सम्मिलित नहीं है, किन्तु जबलपुर वनमंडल में उक्त अधिसूचना में उल्लेखित ग्रामों में से एक मात्र ग्राम अगरिया की भूमि क्षेत्रफल पंजी में सम्मिलित पाई गई थी, जिसे शासनादेश दिनांक 28.06.2003 से पृथक कर क्षेत्रफल पंजी में इन्द्राज किया गया है। अतः शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जबलपुर जिले में 1513 एवं कटनी जिले में 968 राजस्व ग्राम है। इन ग्रामों में से संरक्षित वन सर्वे में शामिल ग्रामों के खसरावार रकबे की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है एवं इन जिलों की असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी क्षेत्र) में सर्वे में शामिल ग्रामों की खसरावार, रकबेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश में उल्लेखित अधिसूचना में खसरा एवं रकबे का विवरण उल्लेखित नहीं है। राज्य शासन के ज्ञाप क्रमांक 5/43/90/10-3/96 दिनांक 14.05.1996 से जारी निर्देशों के तहत असीमांकित संरक्षित वन (नारंगी क्षेत्र) सर्वे में शामिल भूमियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (घ)** वन सर्वे एवं वनखंड एवं वर्किंग प्लान में शामिल भूमि ग्रामों के निस्तार पत्रक में ईमारती लकड़ी या ईधन के लिये रक्षित, चरनोई, घासबीड इत्यादि

प्रयोजनों के लिये दर्ज है। डीनोटिफिकेशन के पश्चात् उपरोक्त भूमियां जिन मदों में नोटिफिकेशन के पूर्व दर्ज थी, उन्हीं मदों में डीनोटिफिकेशन के पश्चात् दर्ज है।

CAMPA केम्पा Act 16, के अंतर्गत फंड का उपयोग संबंधी

[वन]

54. अता.प्र.सं.212 (क्र. 2034) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या वन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या केम्पा फंड का मण्डला जिले में प्रावधानों के अनुरूप कार्य हुआ है? यदि हाँ? तो उसका कार्यविवरण एवं राशि, किन समितियों या एजेसियों के माध्यम से कहाँ व कितना कार्य किस उद्देश्य से हुआ एवं वहाँ कितना खर्चा हुआ? **(ख)** यदि इस राशि का उपयोग प्रावधानों के अनुरूप न होकर दुरूपयोग हुआ है तो क्या संबंधित अधिकारियों, समितियों या एजेंसियों के विरूद्ध कोई जाँच या कार्यवाही हुई? **(ग)** यदि नहीं तो क्या केम्पा एक्ट 2016 के प्रावधान उद्देश्य, जिसमें जंगल क्षेत्र के निवासियों जिसमें (80% आदिवासी) एवं जगलों के बीच की सहजीविता का उल्लंघन नहीं हुआ?

वन मंत्री : [(क) से **(ग)** इस प्रश्न के बिन्दुओं की गहन जांच कराई जा रही है। **] (क)** कैम्पा फंड से मंडला जिले में प्रावधानों के अनुरूप कार्य हुआ है। प्रश्नांश की शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** राज्य शासन द्वारा सचिव वन की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में जिला मंडला में कैम्पा के अंतर्गत किये गये कार्यों में राशि के दुरूपयोग का कोई मामला प्राप्त नहीं हुआ है। **(ग)** प्रश्नाधीन एक्ट के प्रावधान एवं उद्देश्य वनभूमि व्यपवर्तन के बदले में उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त राशि के उपयोग किये जाने की रीति तथा इस हेतु प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंध एवं योजना प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित है (इसमें जंगल क्षेत्र के निवासियों जिसमें 80 प्रतिशत आदिवासी एवं जंगलों के बीच की सहजीवितता का कोई उल्लेख नहीं है। अत: उल्लंघन का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

निज निवास के स्वीकृत मानचित्र

[नगरीय विकास एवं आवास]

55. अता.प्र.सं.228 (क्र. 2078) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या नगरीय विकास एवं आवास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नगर निगम भोपाल के जोन क्रमांक 09, वार्ड क्रमांक-45 में विगत चार वर्ष में किस भू-खंड धारी को कितने वर्गफुट के भू-खंड पर निज निवास के लिए मानचित्र किस दिनांक को स्वीकृत किया? उस मानचित्र में भूतल पर पार्किंग के लिए कितना स्थान एवं प्रथम अथवा अन्य तलों पर पैसेज के लिए कितना क्षेत्र स्वीकृत किया है? **(ख)** किस भूंखडधारी को कितने-कितने वर्गफुट का पोर्च निज निवास के लिये स्वीकृत किया है? **(ग)** पोर्च स्टिल्ट पार्किंग एवं पैसेज स्वीकृत किये जाने के संबंध में क्या प्रावधान प्रचलित हैं? प्रति सहित बतावें। **(घ)** प्रचलित प्रावधान के उल्लंघन पर निज निवास के स्वीकृत मानचित्रों में 5 मीटर से अधिक लम्बा पोर्च, स्टिल्ट पार्किंग एवं प्रति फ्लोर में 50

प्रतिशत और उससे अधिक क्षेत्र में पैसेज स्वीकृति किये जाने के लिए कौन इंजीनियर जिम्मेदार है? पद एवं नाम सहित बतावें।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख)** का उत्तर **पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** पोर्च स्टील्ट पार्किंग एवं पैसेज स्वीकृत किये जाने के संबंध में राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 258 दिनांक 01-06-2012 एवं भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधान अंतर्गत प्रचलित है। नियमों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। **(घ)** प्रश्नांश के सबंध में जारी की गई समस्त भवन अनुमंतिया भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत जारी की जाती है। प्रचलित प्रावधान के उल्लंघन का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

मार्च-अप्रैल, 2020

दिनांक 17 मार्च, 2020

निर्माण कार्यों हेतु राशि का प्रदाय
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

1. अता.प्र.सं.17 (क्र. 164) श्री संजय उइके : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या बालाघाट जिले की जनपद पंचायत बिरसा के ग्राम पंचायतों को विभिन्न योजना/मदों में सड़क, पुल, पुलिया, तालाब निर्माण कार्यों हेतु राशि प्राप्त हुई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रश्न दिनाँक तक सड़क, पुल, पुलिया एवं तालाब निर्माण कार्यों की जानकारी कार्य का नाम, योजना/मद का नाम, स्वीकृत वर्ष, लागत एवं पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी उपलब्ध करावें?

पंचायत मंत्री (श्री कमलेश्वर पटेल) : [(क) जी हाँ, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यवार राशि जारी किये जाने का प्रावधान नहीं है। कार्यों के संपादन उपरांत मजदूरी की राशि सीधे श्रमिकों के बैंक खाते व सामग्री की राशि प्रदायकर्ता वेन्डर्स के खाते में जनपद स्तर से एफ.टी.ओ. के माध्यम से अंतरित किये जाने का प्रावधान है। **(ख)** मनरेगा से संबंधित वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष योजनाओं/मदों की जानकारी संकलित की जा रही है। **] (ख)** वांछित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

किसानों की वार्षिक आय
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

2. अता.प्र.सं.50 (क्र. 414) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में कृषकों की वर्ष 2010-11 से 2019-20 तक की वार्षिक आय बतावें। क्या कृषकों की वार्षिक आय प्रदेश की औसत आय से 40 प्रतिशत कम है यदि हाँ, तो इसका कारण बतावें। **(ख)** क्या प्रदेश कृषक जोतों का औसत आकार बड़ी तेजी से घट रहा है? क्या 2004-05 की तुलना में 2019-20 में वह घटकर 50 प्रतिशत रह गया तथा 2019-20 में अनुमानित एक हेक्टेयर भी नहीं है? यदि हो तो इसके कारण बतावे तथा बतावें की इसके घटने से कृषि उत्पादन किस तरह प्रभावित होता है? **(ग)** क्या प्रदेश में 2004 से 2020 में कार्यशील जनसंख्या में दीर्घकालिक कर्मी में काश्तकार का प्रतिशत 50 प्रतिशत से भी कम हो गया तथा खेतीहर मजदूर का प्रतिशत दो गुना हो गया, यदि हाँ, तो क्या यह प्रदर्शित कर रहा है कि बड़ी तेजी से कृषकों की जमीन बिक रही है तथा वे खेतीहर मजदूर

बनते जा रहे हैं? **(घ)** आदिवासी कृषकों से संबधित आंकड़े क्या विभाग के पास अलग से उपलब्ध हैं? यदि नहीं तो आदिवासी उपयोजना की राशि किस प्रकार से आदिवासी कृषक कल्याण के लिये उपयोग की जाय पर निर्णय किस आधार पर लिया जाता है?

किसान कल्याण मंत्री : [(क) कृषकों की वार्षिक आय की गणना राज्य शासन से संबंधित नहीं इसलिए प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। रकबा का आकार घटने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** आदिवासी कृषकों के आंकड़ें जिला सांख्यिकी कार्यालय में उपलब्ध होते हैं, जिसके आधार पर जिलों के लक्ष्य जारी किए जाते है, शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है। **] (ख)** किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा कृषकों की वार्षिक आय की गणना नहीं की जाती है। इसलिए प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** इस प्रकार की जानकारी विभाग में संधारित नहीं की जाती।

पंचायत सचिव के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति
[पंचायत और ग्रामीण विकास]

3. परि.अता.प्र.सं. 48 (क्र. 459) श्री अजय विश्नोई : क्या पंचायत मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2008 में तत्कालीन शासन में ग्राम पंचायत के सचिवों की सन् 2008 के पश्चात् मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने का नियम बनाया था? क्या यह नियम आज भी लागू है। **(ख)** यदि हाँ, तो जिलेवार जानकारी दें कि किस-किस जिले में कितने लोगों को प्रश्न दिनांक तक अनुकम्पा नियुक्ति दी जा चुकी है और कितने प्रकरण लम्बित है तथा उनका निराकरण कब तक कर लिया जायेगा? **(ग)** क्या शासन ग्राम पंचायत सचिवों को 7वां वेतमान का लाभ देने, उनकी सेवायें विभाग सें संविलियन करने और उनकों पंचायत समन्वयक अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु वचनबद्ध हैं? यदि हाँ, तो शासन ने इस वचन का पालन अब तक क्यों नहीं किया है और शासन कब तक इस वचन का पालन कर लेगा?

पंचायत मंत्री: [(क) जी नहीं, विभाग द्वारा अनुकंपा नियुक्ति हेतु आदेश वर्ष 2017 में जारी किया गया था, जो दिनांक 16.02.2018 के आदेश द्वारा किये गये संशोधन अनुसार 01 अप्रैल 2008 से प्रभावशील किया गया है, लागू है। **(ख)** जानकारी संकलित की जा रही है। **(ग)** विभाग के आदेश दिनांक 09.12.2019 द्वारा इस हेतु समिति का गठन किया जा चुका है। **] (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

<u>परिशिष्ट - "एक"</u>

मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर
[किसान कल्याण तथा कृषि विकास]

4. अता.प्र.सं.74 (क्र. 511) श्री विनय सक्सेना : क्या किसान कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि 2004 से 2017 के बीच मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि विकास हेतु क्या-क्या महत्वपूर्ण कदम उठाये गये थे?

किसान कल्याण मंत्री : [जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** 2004 से 2017 के बीच मध्यप्रदेश शासन द्वारा कृषि विकास हेतु महत्वपूर्ण कदम की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "दो"

पिछड़े वर्ग की छात्रवृत्ति में गड़बड़ी
[पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण]

5. परि.अता.प्र.सं. 72 (क्र. 598) डॉ. अशोक मर्सकोले : क्या भोपाल गैस त्रासदी मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2013 से 2018 तक की अवधि में पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति में गड़बड़िया सामने आई थी? **(ख)** प्रश्नांश **(क)** यदि हाँ, तो कुल कितनी राशि का घोटला सामने आया? क्या इसकी कोई जांच कराई गई? जांच रिपोर्ट में कौन लोग जबावदार पाये गये और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? गड़बड़ी पाये जाने पर किन लोगों से कितनी-कितनी राशि वसूल की गई?

भोपाल गैस त्रासदी मंत्री : [(क) एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। पिछड़े वर्ग के बच्चों की पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छावृत्ति में दोहरी छात्रवृत्ति तथा डुप्लीकेट टी.सी. के आधार पर दी गई छात्रवृत्ति के प्रकरण पाये गये। **(ख)** जिले स्तर पर की गई जांच कार्यवाही में दोहरी छात्रवृत्ति तथा डुप्लीकेट टी.सी. के आधार पर ली गई छात्रवृत्ति के प्रकरण सामने आये। प्रकरण से संबंधित विद्यार्थियों एवं संस्थाओं से राशि रूपये 85,75,374/- (रूपये पचासी लाख, पिचहत्तर हजार, तीन सौ चौहत्तर मात्र) वसूल की जाकर शासकीय मद में जमा की गई। **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है।

परिशिष्ट - "तीन"

हिन्दू नागरिकों को नागरिकता देने की मांग
[गृह]

6. ता.प्र.सं. 21 (क्र. 796) श्री दिलीप सिंह परिहार : क्या गृह मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश में गृह विभाग में पाकिस्तान के हिन्दु नागरिकों को नागरिकता देने के कितने मामले लंबित है? **(ख)** उक्त मामले किस-किस व्यक्ति के हैं उनका नाम पता भी बताएं। यह

भी बतायें कि संबंधित आवेदक ने नागरिकता प्रदान करने हेतु मूल आवेदन कब दिया था? मामलों के लंबित रहने का कारण भी बताएं। **(ग)** भारत सरकार के गृह विभाग ने 23 दिसम्बर 2016 की अधिसूचना के माध्यम से अपने अधिकार प्रदेश के भोपाल और इन्दौर के कलेक्टर को प्रत्यायोजित करने के बाद भोपाल और इन्दौर में कितने-कितने नागरिकता के मामले वर्षवार निपटाये गये और वर्तमान में दोनों शहरों में कितने-कितनें मामले लंबित हैं। **(घ)** प्रदेश के गृह विभाग, कलेक्टर भोपाल व इन्दौर के पास लंबित भारत की नागरिकता के मामले कब तक निपटा दिये जायेंगे? क्या इस हेतु कोई कार्य योजना बनाई गई है?

गृह मंत्री (श्री बाला बच्चन) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** पाकिस्तान के हिन्दू नागरिकों को नागरिकता देने के कुल 1245 प्रकरण प्रदेश में लंबित है। **(ख)** नागरिकता प्रदान करने के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ)** नागरिकता के लंबित प्रकरणों की सतत् निगरानी की जाकर शीघ्र निपटाने के प्रयास किये जा रहे है। समय-सीमा बताई जाना संभव नहीं है, यह सतत् प्रकिया है।

दिनांक 18 मार्च, 2020

ग्वा. ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं के संबंध में
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

7. ता.प्र.सं. 16 (क्र. 297) श्री भारत सिंह कुशवाह : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अपने वचन पत्र में म.प्र. के बेरोजगार युवाओं के रू.4000/- प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता दिये जाने का वचन दिया था? यदि हाँ, तो मध्यप्रदेश के कितने बेरोजगारों को भत्ता दिया गया है? जिलेवार संख्या बतायें। यदि नहीं तो क्यों और कब तक भत्ता दिया जायेगा? **(ख)** क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता योजना के स्थान पर युवा स्वाभिमान योजना के तहत मध्यप्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उनकी रूचि अनुसार 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रदेश के जिले स्तर पर कितने युवाओं के रोजगार दिया गया? विगत 01 वर्ष में कितने युवाओं को किस-किस क्षेत्र (Trade) में प्रशिक्षण प्रदान किया जाकर भत्ते का भुगतान किया गया है? जिलेवार संख्या बतायें। यदि नहीं तो क्यों और कब तक प्रशिक्षण दिया जायेगा? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा उक्त संबंध में दिनांक 07.02.2020 को मुख्य सचिव म.प्र.शासन भोपाल को कोई पत्र लिख गया था? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई? बिन्दुवार जानकारी प्रदान करें। **(घ)** ग्वालियर जिले के 14 ग्वालियर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों की कितनी संख्या है? कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता एवं 100 दिन रोजगार दिया जा रहा है?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख)** नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए 4000 रूपये प्रतिमाह स्टाइपैंड प्रदान किया गया है। जिलेवार एवं ट्रेडवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** पत्र विभाग में अप्राप्त है। **(घ)** ग्वालियर जिले के 14 ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के एम.पी. रोजगार पोर्टल पर दर्ज शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 19624 है।

मतदाता सूचियों में अनियमितता के जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[विधि और विधायी कार्य]

8. अता.प्र.सं. 20 (क्र. 320) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या विधि और विधायी कार्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** निर्वाचन नामावली (वोटर लिस्ट) में मतदाताओं के नाम जोड़ने बाबत् अधिकृत विहित प्राधिकारियों/कर्मचारियों के नाम, पद की जानकारी वर्ष 2018-19 से प्रश्नांश दिनांक तक की रीवा संभाग के जिलेवार देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के संदर्भ जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने बाबत् अधिकृत किये गये अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा मौके पर क्या मतदाताओं की उम्र का सत्यापन कर मतदाता सूची में उम्र अंकित की जाती है? जबकि अधिकांश मतदाता सूचियों में 10 वर्षों पूर्व जो उम्र अंकित थी वही वर्तमान में भी अंकित है? ऐसा क्यों इस पर क्या कार्यवाही करेंगे? एवं किसकों दोषी मानेंगे? **(ग)** प्रश्नांश (क) के मतदाता सूची के नाम सत्यापन एवं नवीन नाम जोड़ने की प्रक्रिया/निर्देश शासन द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रश्नांश दिनांक तक कब-कब जारी किये गये मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के दौरान मतदाताओं की उम्रों का सत्यापन के दौरान कितने मतदाताओं की उम्र में परितवर्तन हुआ? **(घ)** प्रश्नांश (क) अनुसार मतदाता सूचियों में नाम जोड़ने व उम्र के सत्यापन के समय अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उम्र का सत्यापन न कर मनमानी तरीके से मतदाता सूची में नाम अंकित करने से पेंशन सहित अन्य योजनाओं से पात्र हितग्राही वंचित हो रहे है उसके लिये जिम्मेदारों पर क्या क्या कार्यवाही करेंगे? साथ ही मतदाता सूची में उम्र के सुधार हेतु क्या कार्यवाही करेंगे? जिन मृतकों एवं अन्यत्र निवासरत व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से विलोपित नहीं किये गये तो कब तक विलोपित करावेंगे बतावें? अगर नहीं तो क्यों?

विधि और विधायी कार्य मंत्री : [(क) से **(घ)** तक की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** निर्वाचक नामावली (वोटर लिस्ट) में मतदाताओं के नाम जोड़ने बाबत् अधिकृत अधिकारियों के नाम और पद की जानकारी पर 2018-19 से प्रश्नांक दिनांक तक **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने हेतु बी.एल.ओ. द्वारा फार्म 6 भरवाकर एवं उम्र से संबंधित दस्तावेज संलग्न कराकर फॉर्म ई.आर.ओ. द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किया जात है। जिसके आधार पर फॉर्म में दर्शाए गए उम्र

अनुसार नाम जोड़ने की कार्यवाही भारत निर्वाचन आयोग के ई.आर.ओ. नेट पोर्टल के माध्यम से की जाती है। यह कहना गलत है कि अधिकांश मतदाता सूचियों में 10 वर्षों पूर्व जो उम्र अंकित थी वही वर्तमान में भी अंकित है। अत: कोई दोषी न होने से कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किये जाते है, की गई कार्यवाही निम्नानुसार है :-

अर्हता तिथि	प्रारूप प्रकाशन	अंतिम प्रकाशन
01.01.2018	04.10.2017	19.01.2018
01.01.2018	31.07.2018	27.09.2018
01.01.2019	26.12.2018	22.02.2019
01.01.2020	16.12.2019	07.02.2020

प्रत्येक वर्ष अंतिम प्रकाशन के पश्चात नाम जोड़ने, निरसन, संशोधन, आदि की कार्यवाही निरंतर अद्यतन प्रक्रिया में की जाती है, आवेदक द्वारा उम्र सुधार के लिये प्रस्तुत फॉर्म 8 में सत्यापित दस्तावेज के आधार पर संशोधन की कार्यवाही प्रावधानित है। तदानुसार संशोधन किया जाता है। **(घ)** यह कहना गलत है कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा उम्र का सत्यापन मनमाने तरीके से किया जाता है। अत: कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। मतदाता सूची में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है यथासमय आयोग के निर्देशानुसार परिवर्धन, संशोधन एवं निरसन किया जाता है।

बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध शासन की नीति
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

9. ता.प्र.सं. 20 (क्र. 377) इन्जी. प्रदीप लारिया : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में कोई नीति/प्रावधान किया गया है? **(ख)** यदि हाँ, तो बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? **(ग)** यदि प्रावधान किया गया है तो शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कब से/प्रतिमाह कितनी राशि प्रदाय की जायेगी? **(घ)** यदि नहीं तो वचन पत्र/घोषणा पत्र में उल्लेखित शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता कब तक दिया जायेगा?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** से **(घ)** नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शिक्षित युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लागू की गई है। योजनान्तर्गत पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए 4000 रूपये प्रतिमाह स्टाइपैंड दिये जाने का प्रावधान किया गया है। विभागीय बजट में बेरोज़गारी भत्ता दिये जाने हेतु कोई प्रावधान नहीं है। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

लिपिकों की वेतन विसंगति दूर करने बावत
[सामान्य प्रशासन]

10. ता.प्र.सं. 8 (क्र. 483) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या 1974 पाण्डे वेतनमान एवं चौधरी वेतनमान में जिन संवर्गों के कर्मचारियों के वेतनमान लिपिक संवर्ग के वेतनमान से कम थे उन संवर्गों का वेतनमान लिपिक संवर्ग के वेतनमान से अधिक हो गया है,यदि हाँ, तो वेतन विसंगति दूर करने हेतु शासन नें कब-कब कमेटी बनाई, कमेटियों की रिपोर्ट सहित जानकारी देवें? **(ख)** क्या प्रदेश सरकार के वचनपत्र बिन्दु 47.20 अनुसार लिपिक संवर्ग को शिक्षकों के समान समरूप वेतनमान दिया जाना है? यदि हाँ, तो पाण्डेय वेतनमान से लेकर 7वें वेतनमान तक लिपिक संवर्ग एवं शिक्षक संवर्ग का वेतनमान कब-कब क्या-क्या रहा? क्या लिपिकों के वेतनमान में समरूप वेतनमान के पदों के अनुपात में भारी अंतर किया गया है या नहीं? **(ग)** क्या शासन के विभागों के लिपिकीय संवर्ग के मैदानी पदों एवं मंत्रालयीन,सचिवालयीन,विधानसभा में पदस्थ लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान अलग-अलग कर दिये गये हैं कब-कब, किन-किन नियमों के तहत अलग किये गये पूर्ण विवरण देवें? कब तक समरूप किया जावेगा? **(घ)** प्रश्नांश (क) (ख) (ग) यदि सत्य है तो सरकार के वचनपत्र के अनुसार लगभग 36 वर्ष पुरानी लिपिकों की वेतन विसंगति कब तक दूर की जावेगी यदि नहीं तो क्यों?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** समय-समय पर वेतन आयोगों द्वारा समग्र परीक्षणोपरान्त विभिन्न सेवाओं/संवर्गों के लिए पुनरीक्षित वेतनमानों की अनुशंसा की गई है। अत: तत्कालीन परिदृश्य में पारस्परिक भिन्नता होना स्वाभाविक है। **(ख)** जी हाँ। शेषांश **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार। (ग)** लिपिकीय संवर्ग के सीधी भर्ती का पद सहायक ग्रेड-3 है। जिसके वेतनमानों में भिन्नता नहीं है। शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता। **(घ)** राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 12/12/2019 से कर्मचारी आयोग गठित है। वेतनमानों का विभिन्न संवर्गों/सेवाओं की सापेक्षता का परीक्षण कर वेतनमान में विसंगतियों के निराकरण के उपाय का विषय आयोग को संदर्भित है।

<u>परिशिष्ट - "चार"</u>

सिवनी जिले में युवा बेरोजगारों को रोजगार दिया जाना
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

11. अता.प्र.सं.39 (क्र. 581) श्री दिनेश राय मुनमुन : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** दिनांक 01/01/2018 से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिलान्तर्गत विभाग में कितने-कितने युवा बेरोजगारों को किस-किस पद पर नियुक्ति दी गई? **(ख)** सिवनी जिले में कितने-कितने युवा बेरोजगारों को सरकार के वचन-पत्र अनुसार 4000 रू बेरोजगार भत्ता

दिया गया, यदि नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया है? कब तक युवा बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना प्रांरभ कर दिया जायेगा? **(ग)** सिवनी जिले में कुल कितने बेरोजगार पंजीकृत है? शासन द्वारा बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये प्रश्नांश (क) अवधि तक क्या-क्या कार्य योजना बनाई गई? नहीं बनाई तो क्यों नहीं बनाई? **(घ)** क्या म.प्र. में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है?

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** दिनांक 01/01/2018 से प्रश्न दिनांक तक किसी भी विभाग में नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है। **(ख)** नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा युवा बेरोजगारों को सरकार के वचन पत्र के अनुसार 4000/- रूपये बेरोजगार भत्ते संबंधी कोई योजना क्रियान्वित नहीं की गई है, किन्तु प्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना लागू की गयी है। जिसमें पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिवस के लिए 4000/- रूपये प्रतिमाह स्टाइपैंड (Stipend) प्रदान किया जाता है। सिवनी जिले में कुल 466 युवाओं को पात्रतानुसार 3951957/- रूपये स्टाइपैंड राशि का भुगतान किया गया है। **(ग)** सिवनी जिले में दिनांक 28.02.2020 की स्थिति में 70150 बेरोजगार आवेदक पंजीकृत हैं। विभाग में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए जॉब फेयर योजना संचालित है। **(घ)** विभाग में इस प्रकार की जानकारी संधारित नहीं की जाती है।

मंदिरों की भूमियों व संपत्तियों का रख-रखाव
[अध्यात्म]

12. अता.प्र.सं. 48 (क्र. 676) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या शासन/विभाग अंतर्गत रतलाम जिले में अनेक मंदिर देवस्थान पंजीकृत होकर शासनाधीन हैं तथा इनका रख-रखाव, देखभाल शासन/विभाग द्वारा किया जाता है? **(ख)** यदि हाँ, तो जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत किन-किन स्थानों पर किस-किस तरह के मंदिर एवं देवस्थान शासनाधीन होकर उनपर पुजारी भी नियुक्त हैं? तथा उनकी संलग्न भूमियां तथा संपत्तियां कितनी है। **(ग)** यदि हाँ, तो किन-किन स्थानों पर कितनी-कितनी भूमियां संलग्न हैं? पृथकत: कितनी-कितनी किस प्रकार की संपत्तिया हैं, कौन-कौन पुजारी नियुक्त हैं? स्थानवार जानकारी दें। **(घ)** जिले में कितने ऐतिहासिक एवं पुरातित्वक दृष्टि से चिन्हित स्थान कहाँ-कहाँ हैं? वर्ष 2015-16 से लेकर प्रश्न दिनांक तक मंदिरों के जीर्णोद्धार रख-रखाव हेतु क्या कार्य/प्रयास किया गया? साथ ही मंदिर से प्राप्त वर्षवार कितनी आय हुई तथा कितनी किन-किन कार्यों पर व्यय हुई? भौतिक सत्यापन सहित जानकारी दें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** भाग की जानकारी संकलित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है।

आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम
[सामान्य प्रशासन]

13. परि.अता.प्र.सं. 39 (क्र. 806) श्री कुँवरजी कोठार : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम क्या है? इसे आयोजित करने के मध्य प्रदेश शासन के क्या दिशा निर्देश हैं? जिला राजगढ़ अंतर्गत शासन निर्देश के तहत कहाँ-कहाँ तथा कब-कब कार्यक्रम आयोजित किए गए? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यक्रमों में कितने-कितने आवेदन किस-किस विभाग की समस्या से संबंधित प्राप्त किए जाकर पंजीबद्ध किये गये तथा कितने आवेदनों का निराकरण किया गया एवं शेष लंबित आवेदनों का निराकरण कब तक किया जावेगा? विभागवार, पंजीबद्ध आवेदन की जानकारी से अवगत करावें। **(ग)** "आपकी सरकार आपके द्वार" कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में कब तक कराया जाएगा?

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के दिशा-निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**। शेष प्रश्नांश की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** व **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दिशा निर्देश **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार**। आयोजित कार्यक्रम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' पर** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे गये परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार**। लंबित आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कडलावद में दिनांक 12/03/2020 को किया गया।

अनुकंपा नियुक्ति
[सामान्य प्रशासन]

14. अता.प्र.सं.67 (क्र. 922) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** फरवरी 2020 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं? उनकी प्रति देवें। **(ख)** रीवा संभाग के जिलों में अनुकंपा नियुक्ति के किन-किन के प्रकरण कब से क्यों लंबित हैं? प्रकरणवार कारण बताएं। उनका कब तक निराकरण होगा? **(ग)** दिनांक 1 जनवरी से प्रश्न प्रस्तुति दिनांक तक की अवधि में किन-किन के अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन पत्र निरस्त किए गए तथा क्यों? प्रकरणवार कारण बताएं।

सामान्य प्रशासन मंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह) : [(क) निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार**। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ख)** एवं **(ग)** जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार।**

कटनी में हवाई पट्टी का निर्माण
[विमानन]

15. अता.प्र.सं.73 (क्र. 972) श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधानसभा प्रश्न क्रमांक – 3790, के प्रश्नांश (क) के उत्तरानुसार प्रदेश के किन-किन नगरों/स्थानों पर हवाई पट्टियों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित हैं और हवाई पट्टी के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त होना एवं निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ होना संभावित हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत कटनी जिले में हवाई पट्टी निर्माण हेतु क्या योजना तैयार कर जिला प्रशासन कटनी द्वारा कब-कब प्रस्तावित की गयी हैं और क्या जानकारी राज्य शासन को कब-कब भेजी गयी हैं? प्रस्तावित योजना के क्या प्राक्कलन कब-कब तैयार किए गये और क्या कार्यवाही किस स्तर पर कब से लंबित हैं? **(ग)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्र विकास और आवश्यकता को दृष्टिगत कर कटनी में हवाई पट्टी के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु आवश्यक सभी कार्यवाही शीघ्रता से पूर्ण कराये जाने के समुचित आदेश संबंधितों को किए जाएँगे? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक, यदि नहीं तो क्यों?

मुख्यमंत्री : [(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है। **(ख)** कटनी जिले में हवाई पट्टी निर्माण हेतु कलेक्टर जिला कटनी द्वारा पूर्व में जिस भूमि का चयन कर प्राक्कलन तैयार कर प्रेषित किया गया था वह नैनो मिनरल्स को पूर्व से आवंटित होने के कारण कलेक्टर द्वारा पुन: नवीन स्थान चिन्हाकिंत किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में विस्तृत जानकारी कलेक्टर जिला कटनी से चाही गई है, तदोपरान्त नियमानुसार परीक्षण कर हवाई पट्टी निर्माण की आवश्यक कार्यवाही की जावेगी। **(ग)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **]** **(ख)** जिला कटनी के ग्राम मझगवां में हवाई पट्टी के निर्माण हेतु भूमि प्रस्तावित थी किन्तु माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश दिनांक 06.03.2017 के परिपालन में म.प्र. शासन, खनिज संसाधन विभाग, मंत्रालय के पृ.क्र.-3-15/2015/12/2/भोपाल, दिनांक 27.12.2019 के द्वारा मेसर्स नैनो मिनरल्स के पक्ष में जिला कटनी तहसील बड़वारा ग्राम मझगवां, खसरा क्र. 837 के भाग रकवा 4.950 हेक्टेयर क्षेत्र पर लेट राईट एवं परपरक्ले खनिज हेतु 30 वर्ष की अवधि के लिये खनिज आधारित उद्योग हेतु स्वीकृत किया गया है। वर्तमान में कलेक्टर जिला कटनी द्वारा हवाई पट्टी के निर्माण हेतु कोई नवीन भूमि का आवंटन नहीं हुआ है।

PMT परीक्षा में फर्जीवाडे पर कार्यवाही
[तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार]

16. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 1101) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या मुख्यमंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2008 से 2011 की PMT परीक्षा में रोल नंबर सेटिंग्स से हुए फर्जीवाड़े की जांच की गई थी, उसकी सूची देवें तथा बतावें की क्या अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक STF को

इस सूची अनुसार कार्यवाही करने हेतु प्रति दी गई थी? यदि हाँ, तो बतावें की आज तक कार्यवाही न होने पर क्या पत्र व्यवहार किया गया? **(ख)** क्या STF ने प्रश्नांश (क) में उल्लेखित बिंदु पर कार्यवाही करने हेतु संबंधित दस्तावेज मांगे? यदि हाँ, तो वे दस्तावेज किस दिनांक को उपलब्ध कराये गये? दस्तावेज की सूची देवें। **(ग)** क्या व्यापम द्वारा वर्ष 2008 से 2011 की PMT परीक्षा में रोल नंबर सेटिंग्स से फर्जीवाड़ा करने के आदेश क्रमांक 2751/2014 दिनांक 03.05.2014, क्रमांक 2810/2014 दिनांक 06.05.2014, क्रमांक 2845/2014 दिनांक 08.05.2014, क्रमांक 3070/2014 दिनांक 19.05.2015 की प्रति प्रमुख सचिव को भेजी गई थी? यदि हाँ, तो प्रमुख सचिव द्वारा की गई कार्यवाही से अवगत करावें। **(घ)** बतावें की व्यापम द्वारा वर्ष 2006 सें 2007 PMT के दस्तावेज किस दिनांक को नष्ट किये गये? इस संबंध में सारे आदेश, नोटशीट की प्रति उपलब्ध करावें।

मुख्यमंत्री : [(क) से **(घ)** की जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। जी हाँ। दर्ज प्रकरणों की संख्या एस.टी.एफ. के द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी विभाग को नहीं दी जाती है। शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** जी हाँ। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। शेष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(घ)** पी.ई.बी. द्वारा आयोजित समस्त परीक्षाओं के वर्ष 2004 से 2010 तक दस्तावेजों के नष्टीकरण के संबंध में की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

जय किसान फसल ऋण माफी योजना
[सहकारिता]

17. अता.प्र.सं.109 (क्र. 1229) श्री गोपाल भार्गव : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना में शासन को सहकारिता क्षेत्र के प्रदेश में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुये, जिसमें 0 से 50 हजार से एक लाख, एक लाख से दो लाख अथवा अधिक के कितने आवेदन चालू एवं कालातीत ऋण के प्राप्त हुये हैं, पृथक-पृथक जानकारी दी जावें। **(ख)** प्रश्न दिनांक तक जिला सहकारी बैंकों के कितने लोगों की ऋण माफी हुई है और कितनी राशि बैंकों को दी गयी एवं कितनी शेष है? जिलेवार विवरण दिया जाए। **(ग)** कालातीत ऋण के लिये शासन द्वारा बैंकों को कितनी राशि दी गई जिसमें सहकारी संस्थाओं/बैंकों पर कितना भार आया?

सामान्य प्रशासन मंत्री : [**(क)** जय किसान फसल ऋण माफी योजनान्तर्गत सहकारी बैंकों में एम.पी. आनलाईन से प्राप्त जानकारी अनुसार **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** एवं **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(ख)** एवं **(ग)** जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है।

जय किसान योजनान्तर्गत ऋण माफी
[सहकारिता]

18. अता.प्र.सं.128 (क्र. 1350) श्री प्रेमशंकर कुंजीलाल वर्मा : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रदेश में जय किसान ऋण माफी योजना में कितने किसानों का कितना-कितना ऋण माफ कर दिया गया है? कितने किसान शेष है? शेष किसानों का ऋण कब तक माफ कर दिया जावेगा? **(ख)** क्या जिन किसानों का ऋण माफ कर दिया गया उन्हें ऋण प्रदान किया जा रहा है? यदि नहीं तो क्यों? **(ग)** क्या जय किसान ऋण माफी योजना में सम्मिलित वे किसान जिनका अभी तक ऋण माफ नहीं होने पर डिफाल्टर घोषित किया गया उनके लिये शासन द्वारा क्या राहत एवं सुविधाऐं प्रदान की गयी?

सामान्य प्रशासन मंत्री : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** जी हाँ शेष प्रश्नांश का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जय किसान फसल ऋण माफी योजना में सम्मिलित किसानों के लिये खरीफ 2018 की ड्यू डेट दिनांक 28 मार्च, 2019 से एवं रबी 2018-19 की ड्यू डेट 15 जून, 2019 से बढ़ाकर दिनांक 30 जून, 2019 की गई थी, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-01 अनुसार** है। साथ ही ऐसे समस्त किसानों के ऋण जिनकी ऋण माफी योजना अंतर्गत कार्यवाही प्रक्रियाधीन थी, उनको पूर्व वर्षों की भांति प्रचलित प्रक्रियानुसार नया ऋण उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, जारी निर्देश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-02 अनुसार** है। **] (क)** प्रदेश में जय किसान फसल ऋण माफी योजना अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। शेष कृषकों के ऋण माफी की समयावधि बताया जाना संभव नहीं है।

दिनांक 19 मार्च, 2020

खुले बाजार में केरोसिन की व्यवस्था
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

19. ता.प्र.सं. 20 (क्र. 8) श्री देवेन्द्र सिंह पटेल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खुले बाजार में केरोसिन बेचने के लिए शासन ने क्या-क्या व्यवस्था की है? भोपाल संभाग में खुले बाजार में केरोसिन बेचने हेतु किन-किन को लाइसेंस जारी किये गये? जिलेवार सूची दें। **(ख)** खुले बाजार में उपभोक्ताओं को केरोसिन उपलब्ध हो, इस संबंध में शासन को क्या-क्या कठिनाईयॉ हैं? **(ग)** खुले बाजार में उपभोक्ताओं को केरोसिन उपलब्ध हो इस संबंध में शासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है? **(घ)** खुले बाजार में उपभोक्ताओं को केरोसिन उपलब्ध हो, इस संबंध में 1 जनवरी, 19 से प्रश्न दिनांक तक मान. मंत्री जी तथा विभाग के अधिकारियों को किन-किन विधायकों के पत्र कब-कब प्राप्त हुए तथा उन पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। खुले बाजार में गैर-पीडीएस केरोसीन बेचने हेतु शासन ने भोपाल संभाग में किसी को लाइसेंस जारी नहीं किया है। भारत सरकार ने केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 में संशोधन किया है। भारत सरकार के उक्त संशोधन पश्चात गैर-पीडीएस केरोसीन की आपूर्ति के क्रियाकलाप, विपणन, व्यवसाय या वाणिज्य की गतिविधियों को केरोसीन (उपयोग पर निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 के प्रावधानों से मुक्त किया गया है। उक्त संशोधन में समानांतर विपणनकर्ताओं को गैर-पीडीएस केरोसीन पैक करके बेचने हेतु प्रावधान किया गया है बशर्ते की वे प्रचलित कानून अधिनियम एवं नियमों प्रावधानों का इस संबंध में पालन करते हों। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** खुले बाजार में केरोसीन की कीमत बहुत अधिक है। साथ ही खुले बाजार में बेचने हेतु गैर-पीडीएस केरोसीन ऑयल कंपनियों के शहपुरा भिटोनी, जबलपुर स्थित डिपो प्रदाय दर लगभग 64,831.90 रूपये प्रति के.एल. दर पर उपलब्ध है, जिसमें परिवहन व्यय एवं डीलरों का कमीशन जोड़ने पर फुटकर बिक्री दर 68 से 70 रूपये प्रति लीटर के लगभग आती है। उक्त दर पर केरोसीन की बिक्री की संभावना नगण्य है **(ग)** उपरोक्त के अलावा खुले बाजार गैर-पीडीएस केरोसीन बेचने हेतु वर्तमान में शासन द्वारा कोई नीति निर्धारित नहीं है। **(घ)** खुले बाजार में केरोसीन की उपलब्धता के संबंध में श्री रामपाल सिंह, विधायक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-143 सिलवानी जिला रायसेन का पत्र क्रमांक 223, दिनांक 22-01-2020 खाद्य मंत्री को भेजा गया था जो पत्र क्रमांक 3656, दिनांक 07-02-2020 से विभागाध्यक्ष को भेजा गया। पत्र पर विचारोपरांत उचित कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है।

गेहूँ खरीदी केन्द्रों की जानकारी हेतु
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

20. अता.प्र.सं.9 (क्र. 162) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक मंदसौर जिले में कितने केन्द्रों पर गेहूँ खरीदी का कार्य किया गया था केन्द्रों के नाम सहित जानकारी देवें। **(ख)** शासन द्वारा गेहूँ खरीदी केन्द्रों पर किसानों हेतु क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई थी सुविधाओं के नाम सहित जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) शासन द्वारा जिले को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी। तथा प्रत्येक खरीदी केन्द्र को उपलब्ध कराई गई राशि की केन्द्रवार जानकारी देवें। **(घ)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में खरीदी केन्द्रों पर किसान की सुविधा हेतु समस्त मदों पर खर्च कि गई राशि का ब्यौरा, मद का नाम और खर्च कि गई राशि की केन्द्रवार अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** रबी विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु मंदसौर जिले में 64 उपार्जन केन्द्र बनाये गये थे। उपार्जन केन्द्रों का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार** है। **(ख)** रबी

विपणन वर्ष 2019-20 में गेहूँ उपार्जन केन्द्रों पर किसानों के बैठने हेतु दरियां, टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय एवं विद्युत आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई थी। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित सुविधाओं हेतु समितियों को उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण खरीदी केन्द्रवार विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(घ)** सुवासरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित 19 उपार्जन केन्द्रों पर किसानों की सुविधा हेतु राशि एवं मदवार व्यय का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है।

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी व किसानों को भुगतान न होना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

21. अता.प्र.सं.11 (क्र. 205) श्री विश्वास सारंग : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2019-20 में प्रश्न दिनांक तक कितने किसानों से कितने टन धान समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत कितने किसानों की कितनी राशि का भुगतान प्रश्न दिनांक तक कर दिया गया है? कितने किसानों का कितनी राशि का भुगतान शेष है? **(ग)** प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत अभी तक किसानों का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? कारण दें। नियम बतायें? कब तक कर दिया जायेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 436399 किसानों से 2585525 मे.टन समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया गया है। **(ख)** समर्थन मूल्य पर 436399 किसानों से उपार्जित धान के समर्थन मूल्य की राशि रू. 4692.72 करोड़ के विरूद्ध 433943 किसानों को राशि रू. 4654.27 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। 2190 किसानों को राशि रू. 38.45 करोड़ का भुगतान शेष है। **(ग)** समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का जस्ट इन टाईम में ऑटोमेटेड व्यवस्था के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था है। किसानों द्वारा विक्रय नॉन एफएक्यू धान की मात्रा का अपग्रेडेशन की कार्यवाही प्रचलन में होने, पोर्टल पर किसानों के आईएफएससी एवं बैंक खाता त्रुटिपूर्ण दर्ज होने, किसानों के जनधन बैंक खाता होने, बैंक खाता ब्लाक होने आदि कारणों से भुगतान में विलम्ब हुआ है। शेष किसानों को भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।

किसानों के धान की खरीदी न करने के लिये दोषी जिम्मेदारों पर कार्यवाही करने
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

22. ता.प्र.सं. 2 (क्र. 306) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या धान खरीदी हेतु किसानों के रजिस्ट्रेशन बाबत् शासन द्वारा निर्देश जारी किये गये, जिसके पालन में किसानों द्वारा धान बिक्री बाबत् उपज अनुसार अनुमानित वजन के बिक्री बाबत् रजिस्ट्रेशन कराये गये रीवा संभाग के ऐसे किसानों का संख्यात्मक विवरण धान खरीदी केन्द्र की दुकानवार वर्ष 2019-20 का जिलेवार देवें? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तारतम्य में कितने किसानों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराये गये, रजिस्ट्रेशन अनुसार वजन अनुसार कितने किसानों की धान खरीदी की गई एवं कितने किसानों की कम खरीदी की गई किसानों का

संभागवार व दुकानवार तुलनात्मक विवरण देवें? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में रीवा संभाग के जिला सिंगरौली, सीधी, रीवा व सतना में कितने ऐसे किसान है जिनके धान का वजन/तौलने की कार्यवाही खरीदी केन्द्रों में करा ली गई पोर्टल न खुलने का बहाना कर धान खरीदी नहीं की गई ऐसे कितने किसान है जिनके धानों के वजन कराने के बाद खरीदी नहीं की गई? इस बाबत् क्या कार्यवाही करेंगे? क्या धान खरीदी एवं पोर्टल में किसानों के नाम दर्ज कराये जाने बाबत आदेश जारी करेंगे यदि हाँ, तो कब तक? अगर नहीं तो क्यों? **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) अनुसार कार्यवाही न करने एवं किसानों की धान खरीदी तौलने के बाद भी न कर परेशान करने पोर्टल पर नाम दर्ज न करने के दोषियों पर क्या कार्यवाही करेंगे बतावें? जिन किसानों की धान खरीदी की जा चुकी है उनमें से कितने किसानों के पैसे का भुगतान शासन द्वारा करा दिया गया एवं कितने शेष है? संभाग के जिलेवार खरीदी केन्द्रवार का विवरण भुगतान एवं भुगतान न किये जाने वाले किसानों की संख्यात्मक जानकारी देवें? साथ ही समय पर भुगतान न करने हेतु जिम्मेदारों के नाम व उन पर की जाने वाली कार्यवाही बतावें?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान उपार्जन हेतु जिलेवार एवं उपार्जन केन्द्रवार पंजीकृत किसानों की संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार** है। **(ख)** रीवा संभाग के जिलों में पंजीकृत किसानों के विरूद्ध विक्रेता किसानों एवं उपार्जित धान की केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। पंजीकृत किसानों द्वारा उपार्जन केन्द्र पर लाई गई एफएक्यू गुणवत्ता की धान का उपार्जन किया जाता है एवं समस्त पंजीकृत किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय नहीं किया जाता है। **(ग)** रीवा संभाग के जिलों में धान उपार्जन हेतु निर्धारित अवधि में विक्रय करने हेतु उपार्जन केन्द्र पर आने वाले किसानों की एफएक्यू गुणवत्ता की धान का उपार्जन किया गया है। जिन किसानों को उपार्जन की अंतिम दिवस को ऑनलाईन कृषक तौल पर्ची जारी की गई थी, ऐसे किसानों की उपज की तौल हेतु उपार्जन समाप्ति के दो दिन पश्चात् भी पोर्टल पर प्रविष्टि की अनुमति दी गई, इसके अतिरिक्त कलेक्टर के प्रस्ताव के आधार पर उपार्जन की निर्धारित अवधि में उपार्जन केन्द्र पर विक्रय हेतु उपज लाने वाले किसानों की भी धान को पोर्टल पर प्रविष्ट करने हेतु अनुमति जारी की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** समर्थन मूल्य पर एफएक्यू गुणवत्ता की धान विक्रय हेतु उपार्जन केन्द्र पर लाने वाले किसानों से धान की खरीदी की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। किसानों को किये गये भुगतान का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। शेष भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है। प्रदेश में धान के अनुमानित उपार्जन से अधिक होने के कारण कुछ जिलों में भण्डारण की व्यवस्था में समय लगने के कारण उपार्जित धान के परिवहन, भण्डारण एवं नान एफएक्यू धान के अपग्रेडेशन में भी समय लगने के कारण भुगतान में समय लगा है, जिसके लिये किसी की जिम्मेदारी तय करना उचित नहीं है।

जिम्मेदारों पर कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

23. परि.अता.प्र.सं. 16 (क्र. 311) श्री सुभाष राम चरित्र : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधान सभा प्रश्न क्र. 568, दिनांक 19.12.2019 के उत्तर में अनुसूचित जाति/जनजाति सीमा से बाहर है का उत्तर दिया गया? **(ख)** यदि प्रश्नांश (क) हाँ तो सिंगरौली, रीवा व सीधी जिले के जनपद पंचायतों में निवासरत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों में से कितने परिवारों को विभिन्न जनपदों के द्वारा खाद्य पर्चियाँ जारी की गई? वर्तमान में इन जनपद पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कुल कितने परिवार निवासरत हैं? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के तारतम्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने परिवार हैं, जिनका B.P.L. में नाम दर्ज होने के कारण खाद्यान्न पर्चियाँ जारी की गई एवं कितनी पर्चियाँ जातिगत आधारों पर जारी की गई थी? पृथक-पृथक जानकारी देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के संदर्भ में वर्ष 2019-2020 के दौरान प्रश्नांश (क) के जिलों में बगैर अंगूठे व पोर्टल पर कार्यवाही न कर खाद्यान्न वितरण किये गये? यदि हाँ, तो इस तरह के मशीनें में बगैर अंगूठे लगाए सीधे वितरित करने बावत् निर्देश किनके द्वारा दिये गये एवं इस तरह के वितरण किन जिलों एवं किन दुकानों से किये गये? **(ड.)** प्रश्नांश (क) अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को किन आधारों पर सीमा से बाहर बताया गया? एवं प्रश्नांश (ख) अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के परिवारों को खाद्य पर्चियाँ जारी नहीं की गई तो क्यों? इनको कब तक जारी करायेंगे बतावें? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं। विधान सभा प्रश्न क्र. 568, दिनांक 19.12.2019 के उत्तर में जानकारी दी गई थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 75% आबादी की सीमा तक ही लाभ दिया जा सकता है। इस सीमा से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत नहीं होने से शेष आवेदकों की पात्रता पर्ची जारी नहीं की जा सकी है। वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से हितग्राही की मृत्यु होने, विवाह होने से, अन्य स्थान पर निवास करने एवं पात्रता श्रेणी में न रहने के कारण हितग्राही की पात्रता में परिवर्तन होता है। जिले में जितने अपात्र परिवारों व हितग्राहियों को पोर्टल पर विलोपित किया जाता है, उतनी ही संख्या में संबंधित जिले के नवीन सत्यापित हितग्राहियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या सीमा के भीतर नवीन पात्रता पर्चियां जारी कर सम्मिलित किया जाता है। यह एक सतत् प्रक्रिया है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता तथापि रीवा जिले की जनपद पंचायतों में 1,63,051 सीधी जिले की जनपद पंचायतों में 1,10,478 तथा सिंगरौली जिले की जनपद पंचायतों में 1,31,442 अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार रीवा, सीधी एवं सिंगरौली जिले में

निवासरत अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की जनपद पंचायतवार संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी के परिवारों में से बी.पी.एल. श्रेणी के आधार पर रीवा जिले में 75597, सीधी में 52179 एवं सिंगरौली में 71918 को तथा जातिगत आधार पर रीवा जिले में 27307, सीधी में 25174 एवं सिंगरौली में 22118 परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। इसके अतिरिक्त अधिनियम अंतर्गत सम्मिलित 23 अन्य श्रेणियों में पात्रताधारी होने से रीवा जिले में 60147, सीधी में 33125 एवं सिंगरौली में 37406 अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को भी पात्रता पर्ची जारी की गई है। **(घ)** रीवा संभाग में माह अगस्त, 2019 में आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था (AePDS) लागू की गई। जिसके संबंध में जारी निर्देश की की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–ब अनुसार** है। AePDS के अंतर्गत नेट कनेक्टिविटी वाली उचित मूल्य दुकानों पर बायोमेट्रिक सत्यापन एवं नेट कनेक्टिविटी विहीन उचित मूल्य दुकानों पर समग्र परिवार आई.डी. के आधार पर पी.ओ.एस. मशीन से राशन वितरण व्यवस्था की गई। जिन पात्र हितग्राहियों के बायोमेट्रिक सत्यापन सफल नहीं हो पाए, उन्हें वितरण पंजी से राशन का वितरण किया गया है। वितरण पंजी से राशन वितरण करने वाले जिलों एवं उचित मूल्य दुकानों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। माह अक्टूबर, 2019 से AePDS व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू की गई है। **(ड.)** प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बाढ़ पीड़ितों को गेहूँ का प्रदाय
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

24. परि.अता.प्र.सं. 23 (क्र. 453) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अगस्त, सितम्बर 2019 में बाढ़ पीड़ित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50-50 किलो गेहूँ देने की जो घोषणा की थी, क्या सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को सितम्बर माह से 50-50 किलो गेहूँ दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ पर कितना-कितना? मंदसौर जिले की जानकारी माहवार देवें? **(ख)** मंदसौर बाढ़ पीड़ित परिवारों को मा.मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप 50-50 किलो गेहूँ प्राप्त हो इस हेतु जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग की कब-कब बैठक आयोजित की गयी, इसमें क्या निर्णय लिए गये? पीड़ित परिवारों को गेहूँ नहीं मिलने के क्या कारण रहे कौन-कौन अधिकारी इसमें दोषी हैं? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी? की गई कार्यवाही से अवगत कराये। **(ग)** मंदसौर बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए कब-कब कितना गेहूँ का आवंटन विभाग को प्राप्त हुआ? कब तक मुख्यमंत्री जी घोषणा के अनुरूप 50-50 किलो गेहूँ पीड़ित परिवारों को प्रदान कर दिया जावेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा घोषणा की गई थी कि "पीड़ित परिवारो को तत्काल 50-50 किलो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। " इसके पालन में RBC-6-4 के अंतर्गत प्रति परिवार 50 किलो गेहूं का वितरण

पीड़ित परिवारों को जिले द्वारा एक बार कराया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अन्य घोषणा के पालन में आगर-मालवा, भिंड, मंदसौर और नीमच जिले में प्राकृतिक आपदा से पीडित गैर-एनएफएसए परिवारों हेतु 05 किग्रा. प्रति सदस्य के मान से फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक 01 रूपया प्रति किलो के मान से गेहूँ वितरित कराया जाना है। माह फरवरी एवं मार्च, 2020 हेतु आवंटन जारी किया गया है। मंदसौर जिले की माह फरवरी एवं मार्च, 2020 हेतु जारी आवंटन की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** पीड़ित परिवारों को 50-50 किलो अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा के पालन में RBC-6-4 के अंतर्गत प्रति परिवार 50 किलो गेहूँ का वितरण पीड़ित परिवारों को जिले द्वारा एक बार कराया गया है। राज्य शासन के पत्र क्रमांक F 7-27 (2-12)/2019/29-1, दिनांक 16 जनवरी, 2020 के माध्यम से आपदा में राहत हेतु Non-NFSA परिवारों को 05 किग्रा, प्रति सदस्य के मान से 01 रूपया प्रति किग्रा. की दर पर प्रभावित परिवारों को वितरित करने की स्वीकृति माह फरवरी, 2020 से जुलाई, 2020 तक वितरण कराने हेतु दी गई है। स्वीकृति पश्चात् उचित मूलय दुकानों से मैपिंग हेतु तकनीकी प्रणाली विकसित की गई है। तत्पश्चात् संबंधित जिलों द्वारा मैपिंग की गई है। मैपिंग पश्चात् माह फरवरी एवं मार्च, 2020 का आवंटन 02 मार्च, 2020 को जारी किया गया है। गैर-एनएफएसए परिवारों को मैपिंग में किंचित विलंब होने के कारण फरवरी एवं मार्च, 2020 का आवंटन एक साथ जारी किया गया है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** पीड़ित परिवारों को 50-50 किलो अनाज उपलब्ध कराने की घोषणा के पालन में RBC-6-4 के अंतर्गत प्रति परिवार 50 किलो गेहूँ का वितरण पीड़ित परिवारों को जिले द्वारा एक बार उपलब्ध कराने की कार्यवाही की गई है। एक अन्य घोषणा के अनुसार मंदसौर जिले में माह फरवरी एवं मार्च, 2020 हेतु मैप किये गये 7026 सदस्यों को 35130 किग्रा. प्रतिमाह के मान से आवंटन जारी किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन जारी है।

<u>परिशिष्ट - "पाँच"</u>

अनुबंधित गोदमों की मिनिमम बिजनिस गारंटी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

25. अता.प्र.सं.22 (क्र. 461) श्री अजय विश्नोई : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या वर्ष 2017-18 तक प्रदेश में खाद्यान्न संग्रहण के लिये अनुबंधित गोदामों को शासन 135 दिन की मिनिमम बिजनिस गारंटी दी जाती थी। यह गारंटी क्यों समाप्त कर दी गयी है। **(ख)** क्या विभाग को यह जानकारी है कि जबलपुर जिले के गोदमों की मिनिमम बिजनिस गारंटी का वर्ष 2016-17 का भुगतान आज दिनांक तक नहीं किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं किया गया है और कब तक कर दिया जायेगा? **(ग)** क्या जबलपुर को छोड़कर प्रदेश के सभी गोदामों को 2016-17 की मिनिमम बिजनिस गारंटी का भुगतान कर दिया गया है? यदि हाँ, तो किस-किस जिले के कौन से गोदामों का भुगतान बाकी है और कब तक कर दिया जायेगा?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। पर्याप्त मात्रा में गोदाम उपलब्ध होने से। **(ख)** जबलपुर जिले के गोदामों की मिनिमम बिजनेस गारंटी का वर्ष 2016-17 का भुगतान कर दिया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खाद्यान्न वितरण में की जा रही अनियमितताओं
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

26. अता.प्र.सं.24 (क्र. 488) श्री राकेश गिरि : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला टीकमगढ़ के विकासखण्ड टीकमगढ़ में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रो में क्षेत्रवार कितनी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं? सूची उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार संचालित दुकानों को विगत तीन वर्षों में कितना-कितना खाद्यान्न एवं कैरोसिन आवंटन किया गया है? दुकानवार जानकारी उपलब्ध करायें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में संचालित दुकानों को प्राप्त आवंटन के वितरण में उनके सैल्समैनो द्वारा अनियमिततायें की गई है? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी? यदि नहीं तो दुकानवार खाद्यान्न एवं कैरोसिन वितरण की विगत दो वर्षों की माहवार प्रतियाँ उपलब्ध करायें?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांकित जिले के विकासखंड टीकमगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में 76 एवं नगरीय क्षेत्र में 31 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। अनियमितताएं संज्ञान में आने पर उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

गेहूँ एवं उड़द खरीदी में की गई अनियमितताओं
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

27. अता.प्र.सं. 25 (क्र. 489) श्री राकेश गिरि : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या टीकमगढ़ जिलें में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में गेहूँ एवं उड़द खरीदी कार्य विपणन समितियों/प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से कराया गया है? यदि हाँ, तो ऐसी समितियों की खरीदी केन्द्रवार/समितियों के नामवार सूची उपलब्ध करायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार खरीदी केन्द्रों पर प्रत्येक समिति द्वारा प्रति कृषकवार कितना-कितना गेहूँ एवं उड़द खरीदा गया? केन्द्रवार/समितिवार खरीदी गई मात्रा तथा भुगतान की गई राशि सहित सूची उपलब्ध कराये? **(ग)** क्या टीकमगढ़ जिले की विपणन सहकारी समिति मर्यादित टीकमगढ़ तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लार एवं दरगुवां खरीद केन्द्रों पर गेहूँ एवं उड़द खरीदी में किसानों के नाम दर्ज रकवे से अधिक रकवा दर्शाकर अनियमिततायें की गई? यदि हाँ, तो ऐसी अनियमितताओं की सूची एवं कृत कार्यवाही का ब्यौरा दें? **(घ)** यदि

नहीं तो उक्त केन्द्रों पर खरीदे गये गेहूँ एवं उड़द वावत् पंजीकृत किसानों की सूची रकवा, उपार्जित मात्रा एवं भुगतान की गई राशि, बैंक खातों सहित सूची उपलब्ध करायें?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं वर्ष 2018-19 में समर्थन मूल्य पर उड़द उपार्जन करने वाली समितियों एवं उपार्जन केन्द्र की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार** है। वर्ष 2019-20 में उड़द का उपार्जन नहीं करने के कारण केन्द्र नहीं बनाए गए है। **(ख)** ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के सत्यापित बोये गये रकबे एवं तहसील की उत्पादकता के अनुसार किसान की विक्रय योग्य अधिकतम उपज का निर्धारण किया जाता है। जिसके अनुसार कृषक द्वारा विक्रय हेतु लाई गई मात्रा का उपार्जन किया जाता है। तहसीलवार निर्धारित उत्पादकता की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। उपार्जन केन्द्रवार गेहूं एवं उड़द की उपार्जित मात्रा एवं भुगतान की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** विपणन सहकारी संस्था टीकमगढ़, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति लार एवं दरगुवा द्वारा पंजीकृत किसान, रकबा, उपार्जित मात्रा एवं भुगतान की गई राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–द अनुसार** है।

प्याज खरीदी, भण्डारण एवं विक्रय की जांच
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

28. ता.प्र.सं. 6 (क्र. 570) श्री प्रहलाद लोधी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक -605, दिनांक- 10/07/2019 के उत्तर में विभागीय जांच प्रक्रियाधीन होने की जानकारी दी गई थी? यदि हाँ, तो लगभग 03 वर्ष पश्चात् भी अब तक जांच और कार्यवाही पूर्ण न होने का क्या कारण हैं? और वर्ष 2017 से अब तक किस-किस अधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन पर क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई है? तथा वर्तमान में क्या कार्यवाही किस स्तर पर कब से लंबित है। **(ख)** वर्ष 2017-18 में प्याज खरीदी, परिवहन, भंडारण एवं विक्रय में अनियमितताओं पर कितनी और कौन-कौन सी जांच कब से की गई एवं की जा रही है और क्या प्रचलित जांच पूर्ण हो गई हैं? यदि हाँ, तो जांच विवरण बताए एवं जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं यदि नहीं तो क्यों? वर्तमान में जांच किस स्तर पर कब से लंबित है? यह भी बतायें। **(ग)** प्रश्नांश (क) व (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या प्याज खरीदी/ परिवहन/भण्डारण/विक्रय में अनियमितताओं पर प्रचलित जांच कार्यवाही को शीघ्रता से नियत अवधि में पूर्ण किए जाने के निर्देश दिये जायेंगे, यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। विभागीय जांच एवं कार्यवाही दिनांक 08/01/2020 को पूर्ण हो चुकी है। वर्ष 2017 से अब तक प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही करते हुए दिनांक 09/10/2018 को आरोप पत्र जारी करते हुए दिनांक 24/04/2019 को विभागीय जांच

संस्थित की गई। विभागीय जांच पूर्ण कर दिनांक 08/01/2020 को दोषी अधिकारी श्री संजय सिंह ठाकुर तत्कालीन जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन कटनी के विरूद्ध आदेश पारित कर 02 वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति अधिरोपित की गई है। वर्तमान में कार्यवाही पूर्ण होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** वर्ष 2017-18 में प्याज खरीदी, परिवहन, भण्डारण एवं विक्रय में अनियमितताओं पर कटनी में एक जांच, जांच दल गठित कर की गई दिनांक 06/09/2017 को जांच पूर्ण की जाकर प्राप्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 21/11/2017 अनुसार कायर्वाही पूर्ण हो चुकी है। जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री संजय सिंह ठाकुर तत्कालीन जिला प्रबंधक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन कटनी को दोषी पाया गया। जांच का विवरण जांच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जांच पूरी होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

कृषि उपज का सर्मथन मूल्य पर उर्पाजन एवं भडारण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

29. अता.प्र.सं.29 (क्र. 575) श्री प्रहलाद लोधी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी और पन्ना जिले में वर्ष 2017-18 से अब तक समर्थन मूल्य पर गेहूँ एवं धान का किन-किन सहकारी समितियों के माध्यम से कब-कब और कितना-कितना उपार्जन किया गया और उपार्जित किए गए अनाज को किन-किन वेयरहाउसों में कब-कब भंडारित किया गया है? **(ख)** प्रश्नांश (क) के तहत कृषि उपज के उपार्जन में क्या अनियमितताओं के कौन-कौन से मामले किस प्रकार संज्ञान में आए और इन पर किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब जांच की गयी तथा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही किया जाना शेष है? **(ग)** प्रश्नांश (क) के तहत कृषि उपज के भंडारण में क्या अनियमितताओं के कौन-कौन से मामले किस प्रकार संज्ञान में आए और इन पर किस सक्षम अधिकारी द्वारा कब-कब जांच की गयी तथा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही किया जाना शेष है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** कटनी और पन्ना जिले में वर्ष 2017-18 से अब तक वर्षवार समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं एवं धान की समितिवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–अ अनुसार** है। उपार्जित स्कन्ध के वेयरहाउस/केपवार भंडारण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** कटनी जिले में उपार्जन से संबंधित शिकायतकर्ता, जांचकर्ता अधिकारी, जांच दिनांक एवं शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र–स अनुसार** है। पन्ना जिले में उपार्जन में अनियमितता के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** कटनी और पन्ना जिले में उपार्जन वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20

भण्डारण में अनियमितताओं के संबंध में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राजस्व विभाग के कार्य एवं अभिलेखों का संधारण

[राजस्व]

30. अता.प्र.सं.30 (क्र. 576) श्री प्रहलाद लोधी : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1481 दिनांक 19/12/2019 के प्रश्नांश (ग) का उत्तर सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में शासकीय सेवकों द्वारा निरीक्षक रोस्टर एवं भ्रमण डायरी सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर दौरा किया जाता है दिया गया है तो पन्ना एवं कटनी जिले में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक विभाग के शासकीय सेवकों द्वारा कब-कब एवं क्या निरीक्षण रोस्टर तैयार किए गए और भ्रमण डायरी का कब-कब और किस सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाकर अधिकारिता क्षेत्र में कब-कब दौरा किया गया है? **(ख)** क्या विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1481 दिनांक 19/12/2019 के प्रश्नांश (घ) का उत्तर खनिज पट्टों को राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए जाने के लिए सभी तहसीलदारों को विभागीय निर्देश है खसरा के कालम नंबर 12 में खनिज पट्टे दर्ज कराये गए है। दिया गया है जबकि कटनी जिले में पूर्व से स्वीकृत एवं संचालित अनेक खनिज पट्टे कालम-12 में दर्ज नहीं है और खनिज पट्टों को खसरा के कालम नंबर-12 में दर्ज करने हेतु खनिज अधिकारी द्वारा सूचित करने के पश्चात आज भी दर्ज नहीं किया जाता है? **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या पन्ना और कटनी जिले में स्वीकृत एवं संचालित ऐसे सभी खनिज पट्टों को जो खसरा के कालम-12 में दर्ज नहीं है उनको समय नियत कर शीघ्रता से खसरा के कालम -12 में दर्ज करने के आदेश किए जायेंगे?

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में शासकीय सेवकों द्वारा निरीक्षण रोस्टर एवं भ्रमण डायरी का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर दौरा भ्रमण डायरी के अनुसार निर्धारित तारीखों एवं स्थानों पर किया गया हैं। अन्य जानकारी संकलित की जा रही है। **(ख)** जी हाँ। कटनी जिला अंतर्गत वर्तमान में क्रियाशील 36 खदानें दर्ज कराई गई हैं। पन्ना जिले में क्रियाशील 93 खदानों को नियमानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज कराया जा रहा हैं। **(ग)** सक्षम राजस्व न्यायालय के आदेश प्राप्त होने पर राजस्व अभिलेख में दर्ज करने की कार्यवाही की जाती है।] **(क)** जी हाँ। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुक्रम में शासकीय सेवकों द्वारा निरीक्षण रोस्टर एवं भ्रमण डायरी का सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित कराकर दौरा भ्रमण डायरी के अनुसार निर्धारित तारीखों एवं स्थानों पर किया गया हैं।

कैरोसिन विक्रय दर निर्धारण की जांच एवं कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

31. अता.प्र.सं.31 (क्र. 577) श्री प्रहलाद लोधी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के विधान सभा प्रश्न क्रमांक 3523 दिनांक 24/07/2019 के तारतम्य में क्या प्रश्नांकित जिलों में कैरोसिन विक्रय की दर के निर्धारण का परीक्षण किया जा चुका है? यदि हाँ, तो परीक्षण में क्या पाया गया? यदि नहीं तो क्यों? और दर निर्धारण के परीक्षण की प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई? **(ख)** प्रश्न संदर्भित क्रमांक 3523 दिनांक 24/07/2019 के प्रश्नांश (ग) में उत्तरानुसार दोषी किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध किस सक्षम अधिकारी के किन आदेशों से विभागीय जांच कब से प्रचलित है? **(ग)** प्रश्नांश (ख) प्रचलित जांच में प्रश्न दिनांक तक किस जांचकर्ता अधिकारी किन बिन्दुओं पर जांच की जा रही है अथवा की गई है और वर्षों से विभागीय जांच लंबित होने का क्या कारण है? **(घ)** प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या कैरोसिन विक्रय के दर निर्धारण की अनियमितता जांच में सिद्ध होने एवं मनमाने तरीके से कैरोसिन विक्रय की दर के निर्धारण का परीक्षण और दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही को जानबूझकर लंबित रखने का संज्ञान लेकर नियत अवधि में कार्यवाही पूर्ण करने के आदेश संबंधित शासकीय सेवकों को दिये जाएगे? यदि हाँ, तो किस प्रकार और कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी नहीं, पत्रकों का प्रारंभिक परीक्षण किया गया है। राज्य शासन द्वारा जारी निर्देश के जिस बिंदु के अंतर्गत दर निर्धारण किया गया है, उसका भौतिक सत्यापन करने के बाद ही वास्तविक स्थिति ज्ञात हो सकेगी। तीनों जिलों में दल गठन कराकर दर निर्धारण के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा। शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** जांच के बिंदु की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। एक अधिकारी श्री के.पी. मोर तत्कालीन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अधिरोपित आरोप प्रमाणित नहीं होने से संचालनालयीन आदेश क्रमांक 3155-56 दिनांक 20.05.2017 द्वारा विभागीय जांच प्रकरण समाप्त किया गया है। शेष अपचारी अधिकारियों के विरूद्ध विभागीय जांच प्रतिवेदनों पर निर्णय हेतु प्रक्रियाधीन है। विभागीय जांच की कार्यवाही अर्द्धन्यायीक स्वरूप की होने से निराकरण में समय लगता है। **(घ)** केरोसीन दर निर्धारण का परीक्षण कर प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किया जायेगा। अनियमितता संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। समय-सीमा बताना संभव नहीं है।

खाद्यान्न पर्ची से संबंधित
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

32. अता.प्र.सं.38 (क्र. 644) श्री गिर्राज डण्डौतिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** विधान सभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में कुल कितने खाद्यान्न से संबंधित हितग्राही है, संख्या बतावें, उनमें से कितने हितग्राहियों के पास खाद्यान्न पर्ची है व कितनों के पास खाद्यान्न पर्ची न होने से उन्हें खाद्यान्न नहीं मिल पा रहा है व पर्ची प्रदाय हेतु किस स्तर पर कौन-कौन दोषी है? **(ख)** क्या विभाग द्वारा खाद्यान्न पर्ची प्रदाय हेतु नीति, नियम, निर्देश आदि जारी किये गए हैं यदि हाँ, तो प्रति उपलब्ध करावें? **(ग)** खाद्यान्न पर्ची प्रदाय हेतु शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में कौन-कौन अधिकारी अधिकृत है व साथ में क्या-क्या कागजात प्रस्तुत करने का प्रावधान है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत पात्रता श्रेणी में 25 श्रेणी के परिवारों को सम्मिलित किया गया है। विधानसभा क्षेत्र 07 दिमनी जिला मुरैना में 25,984 परिवारों के 1,33,148 हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी की गई है। विधानसभा क्षेत्र में 1399 आवेदकों को पात्रता पर्ची जारी की जाना शेष है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 75% आबादी की सीमा तक ही लाभ दिया जा सकता है। इस सीमा से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत नहीं है। वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारों में से हितग्राही की मृत्यु होने, विवाह होने से, अन्य स्थान पर निवास करने एवं पात्रता श्रेणी में न रहने के कारण हितग्राही की पात्रता में परिवर्तन होना एक निरंतर प्रक्रिया है, तदुनसार नवीन पात्रता पर्ची निर्धारित सीमा में जारी की जाती है। जिले में जितने अपात्र परिवारों को पोर्टल पर विलोपित किया जायेगा, उतनी ही संख्या में संबंधित जिले के नवीन सत्यापित परिवारों को सम्मिलित किया जाता है। जुड़ने वाले नवीन परिवारों में बीपीएल एवं अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी की प्राथमिकता दी जाती है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 37978 नवीन परिवारों को जोड़कर पात्रता पर्ची जारी की गई हैं, जिसमें मुरैना जिले के 600 परिवार सम्मिलित हैं। वर्तमान में सम्मिलित परिवारों की पात्रत, हितग्राहियों के सत्यापन एवं परिवार के छूटे हुए सदस्यों की जानकारी मोबाइल एप के माध्यम के घर-घर जाकर संकलित कराई जा रही है। यह कार्यवाही पूर्ण होने पर अपात्र/ अस्तित्वहीन परिवारों/सदस्यों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर अपात्र पाये जाने पर विलोपन की कार्यवाही की जायेगी। जितने अपात्र परिवारों को हटाया जायेगा उतने ही नवीन परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत जोडा जा सकेगा। इस संबंध में किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ख)** विभाग द्वारा खाद्यान्न पर्ची प्रदाय हेतु जारी निर्देश की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा परिवार को पात्रता श्रेणी के अंतर्गत सतयापन उपरांत भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में एनआईसी द्वारा ऑनलाईन पात्रता पर्ची जारी की जाती है।

सत्यापन हेतु परिवार को पात्रता श्रेणी, समग्र परिवार आईडी एवं आधार नंबर संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना होता है।

<u>परिशिष्ट - "छ:"</u>

खाद्यान पर्ची का वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

33. अता.प्र.सं. 43 (क्र. 695) श्री शिवदयाल बागरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या नागरिकों की सुविधाओं एवं खाद्य आपूर्ति हेतु विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को पर्ची जारी किये जाने का प्रावधान है? यदि बी.पी.एल. कार्ड धारक उपभोक्ता को किसी कारणवश खाद्यान पर्ची जारी नहीं की गई है, तो क्या उसे खाद्यान दिये जाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था बावत् विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं? प्रावधनों की प्रतियाँ उपलब्ध करावें तथा किन-किन श्रेणी के उपभोक्ताओं को पर्ची जारी किये जाने के निर्देश हैं? **(ख)** खाद्यान्न गुनौर वि.स. क्षेत्र में पूर्व वित्तीय वर्ष से प्रश्न दिनांक तक पर्ची जारी न करने के लिए कौन दोषी है? दोषियों पर क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या विक्रेता राशन दुकान द्वारा पात्र बी.पी.एल. कार्ड धारक को कार्ड होने के बावजूद खाद्यान प्रदाय न करने पर विक्रेता के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी यदि हाँ, तो कब तक बतावे? **(घ)** प्रश्नांश (ग) के अनुसार विधान सभा क्षेत्र गुनौर में पूर्व वित्तीय वर्ष से प्रश्न दिनांक तक खाद्यान्न वितरण से संबंधित कितनी शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायत में से कितनी शिकायतों की जाँच करवाई गई एवं कितने शिकायतें सही पाई गई एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई? शिकायतवार बतावें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र श्रेणियों के परिवारों को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल पर सत्यापन उपरांत भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा में पात्रता पर्ची (ई-राशनकार्ड) जारी करने का प्रावधान है। बी.पी.एल. एवं अन्य श्रेणी के परिवार जिनको पात्रता पर्ची जारी नहीं हुई है, उन्हें राशन प्रदाय करने का प्रावधान नहीं है। पात्रता श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित परिवारों की सूची **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** वर्तमान में सम्मिलित परिवारों की पात्रता, हितग्राहियों के सत्यापन एवं परिवार के छूटे हुए सदस्यों की जानकारी मोबाइल ऍप के माध्यम से घर-घर जाकर संकलित कराई जा रही है। यह कार्यवाही पूर्ण होने पर अपात्र / अस्तित्वहीन परिवारों/सदस्यों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर अपात्र पाये जाने पर विलोपन की कार्यवाही की जायेगी। जितने अपात्र परिवारों को हटाया जायेगा उतने ही नवीन परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत जोड़ा जा सकेगा कार्यवाही प्रचलन में है अत: इस संबंध में किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** उचित मूल्य दुकान से पात्रता पर्चीधारी परिवारों को राशन वितरण का प्रावधान है। हितग्राही के पास पात्रता पर्ची होने के उपरांत राशन उपलब्ध न कराने पर नियमानुसार कार्यवाही का प्रावधान है। **(घ)** विधानसभा क्षेत्र गुनौर में खाद्यान्न वितरण न होने संबंधी

एक शिकायत ग्रामवासी माल्हन से प्राप्त हुई थी, जिसमें जांच उपरांत उचित मूल्य दुकान माल्हन के विक्रेता को निलंबित किया गया। उचित मूल्य दुकान ककरहटा के संबंध में दूरभाष पर शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच उपरांत विक्रेता को निलंबित किया गया। विक्रेता द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त किया गया है, इसकी पुन: शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई, जिसमें विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसके अतिरिक्त सीएम हेल्पलाईन में 17 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें जांच उपरांत हितग्राहियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है।

परिशिष्ट - "सात"

प्रदेश की उपभोक्ता अदालतों में स्वास्थ बीमा के प्रकरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

34. अता.प्र.सं.44 (क्र. 722) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** 1 जनवरी, 2017 के पश्चात इंदौर, उज्जैन, भोपाल संभाग की उपभोक्ता अदालतों में स्वास्थ बीमा से सम्बन्धित कितने प्रकरण प्रकाश में आये, इन प्रकरणों में 2017 के पश्चात प्रतिवर्ष कितने-कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितने प्रकरणों में उपभोक्ता के पक्ष में मा. न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया यह कुल दर्ज प्रकरण का कुल कितना प्रतिशत है? **(ख)** क्या गत 5 वर्षों में उपभोक्ता अदालतों में स्वास्थ बीमा कम्पनियों के खिलाफ 50% से ज्यादा की वृद्धि हुई है प्रदेश में विभिन्न निजी स्वास्थ बीमा कंपनिया प्रदेश के नागरिकों को आकर्षक प्लान बताकर उनसे 4 गुना ज्यादा पैसे वसूल रही है और राशि भुगतान के समय नियमों का बहाना बनाकर उपभोक्ताओं को राशि भुगतान नहीं करती जिससे उपभोक्ता ठगा महसूस करता है ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता संरक्षण विभाग म.प्र ने उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए क्या कोई योजाना तैयार की है क्या उक्त प्रकरणों में उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए और कठोर नियम बनाए जाएंगे, यदि हाँ, तो कब तक? **(ग)** क्या उक्त संभागों की उपभोक्ता प्रकरण अधिक होने से तहसील स्तर पर भी उपभोक्ता न्यायालयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है यदि हाँ, तो कितने प्रकरणों के बाद नई न्यायालय खोले जाने का प्रवाधान है क्या सप्ताह में 2 दिन तहसील स्तर पर न्यायालय खोले जाने का निर्णय विभाग के पास लंबित है?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** दिनांक 01/01/2017 से दिनांक 31/12/2019 तक कुल 813 प्रकरण दर्ज हुए। लगभग औसत अनुपात रहा। कुल 435 प्रकरणों में उपभोक्ताओं के पक्ष में निर्णय हुआ जो स्वास्थ्य बीमा संबंधी दर्ज प्रकरणों का 54 प्रतिशत है। **(ख)** जी नहीं। गत पाँच वर्षों में अर्थात दिनांक 01/01/2015 से दिनांक 31/12/2019 तक की अवधि में प्रदेश के सभी उपभोक्ता फोरम में स्वास्थ्य बीमा संबंधी 2694 प्रकरण दर्ज हुए हैं। जो इस अवधि में कुल दर्ज प्रकरण का औसतन

4.66 प्रतिशत है। प्रश्न के शेष भाग के संबंध में लेख है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रवधानों अंतगर्त अनुमत्य विषयों पर ही नियमों के निर्माण की व्यवस्था है। बीमा कम्पनियां नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नीति/निर्देशों के अनुसार संचालित होती है, उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत बीमा कम्पनियों पर नियंत्रण नहीं है। **(ग)** उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में जिला स्तर पर फोरम के गठन की व्यवस्था है, अत: तहसील स्तर पर फोरम कार्यालय संचालित करना संभव नहीं है। वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

धान खरीदी केन्द्रों में खरीदी में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

35. अता.प्र.सं.46 (क्र. 761) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में धान खरीदी केन्द्रों की संख्या व स्थान कौन-कौन से हैं? कितने किसानों द्वारा धान क्रय किया गया, कितने को रसीद प्रदान की गई? कौन-कौन से खरीदी केन्द्रों पर खरीदी में अनियमितता संबंधी शिकायत मिली तथा संबंधितों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित धान खरीदी केन्द्रों के क्या कुछ धान खरीदी केन्द्रों के स्थान परिवर्तित किये गये हैं? यदि हाँ, तो स्थान परिवर्तन की वजय बतावें। शासन के खरीदी केन्द्र स्थापित करने के तथा उन्हें परिवर्तित करने के प्रचलित नियम क्या हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित खरीदी केन्द्र को परिवर्तित करने में क्या नियम का पालन किया गया है? यदि नहीं तो उक्त अवधि में जो खरीदी केन्द्र परिवर्तित किये गये हैं उनकी जांच कराई जाकर पुन: पूर्व के स्थान पर खरीदी केन्द्र स्थापित किया जावेगा? **(घ)** क्या वर्ष 2017-18 में धान खरीदी केन्द्र, छिल्पा में कार्यरत सेल्समेन क्रांतिदास पटेल ने धान खरीदी में अनियमितताओं के चलते आत्महत्या की थी? यदि हाँ, तो मृतक के परिजनों को आज दिनांक तक क्या सरकारी सुविधा मुहैया कराई गई? क्या उक्त घटना की निष्पक्षता से जांच कराई जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** अनूपपुर जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु वर्ष 2017-18, वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 में स्थापित खरीदी केन्द्रों की संख्या एवं स्थानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। वर्ष 2017-18 में 8194 वर्ष 2018-19 में 6549 एवं वर्ष 2019-20 में 8563 किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया जाकर पोर्टल से रसीद प्रदान की गई है। खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में 545 किसानों द्वारा उपार्जन हेतु केन्द्र पर लाई गई धान का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है जिसके उपरांत आगामी कार्यवाही के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। वर्ष 2017-18 में छिल्पा उपार्जन केन्द्र पर खरीदी कार्य में अनियमितता संबंधी

शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें दोषी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण धान शार्टेज की राशि रू. 871100 की वसूली हेतु उपायुक्त सहकारिता द्वारा समिति के प्रशासक को वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। **(ख)** जी हाँ। खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में 09 केन्द्रों के खरीदी स्थल परिवर्तित किये गये है। उपार्जित धान के परिवहन के दबाओं को कम करने, परिवहन के दौरान होने वाली कमी को रोकने तथा किसानों को शीघ्र भुगतान की दृष्टि से 09 उपार्जन केन्द्रों को गोदाम स्तर पर स्थापित किया गया जिसके कारण स्थान परिवर्तन हुआ। निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी हाँ। उपार्जन केन्द्र छिल्पा में कार्यरत विक्रेता शासकीय सेवक न होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस घटना की जांच अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनूपपुर द्वारा की गई जिसमें किसी के विरूद्ध संज्ञेय अपराध गठित होने का साक्ष्य नहीं पाया गया। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन बी.पी.एल. राशन कार्डों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

36. अता.प्र.सं.48 (क्र. 780) श्री भूपेन्द्र सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खुरई विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत खुरई एवं मालथौन तहसील में जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितन बी.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं के नवीन राशन कार्ड बनाए गए? उक्त राशन कार्डों के आधार पर कितने उपभोक्ताओं को राशन पर्ची जारी कर दी गई? तहसील व पंचायतवार जानकारी दें। **(ख)** क्या शासन द्वारा समस्त बी.पी.एल. उपभोक्ताओं को नवम्बर, 2019 तक राशन पर्ची जारी करने का कार्य पूर्ण करने के निर्देश थे?

खाद्य मंत्री : [**(क)** एवं **(ख)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** खुरई विधानसभा क्षेत्रांतर्गत तहसील खुरई में 46 एवं मालथौन में 128 बीपीएल श्रेणी के कार्ड जारी किए गए हैं, जिसमें से कुल 57 बीपीएल परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जा चुकी है। तहसीलवार एवं पंचायतवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी नहीं।

कृषकों द्वारा विक्रय की गयी धान के भुगतान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

37. परि.अता.प्र.सं. 42 (क्र. 879) श्री ठाकुर दास नागवंशी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या विधानसभा क्षेत्र पिपरिया अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की गयी हैं जिसका भुगतान कृषकों को किया जाना शेष हैं। **(ख)** यदि हाँ, है तो कितने कृषकों को कितने क्विंटल धान की कितनी राशि का भुगतान किया जाना शेष हैं तथा यह भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? **(ग)** वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कृषकों द्वारा बेची गयी धान का भुगतान आज दिनांक तक न होने का क्या कारण रहा है? इसके लिये कौन उत्तरदायी है? क्या संबंधित के प्रति उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा? यदि हाँ, तो कब तक? नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** जी हाँ। **(ख)** पिपरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत में 59 किसानों को राशि रू. 7249352 का भुगतान शेष है। भुगतान की कार्यवाही प्रचलन में है। **(ग)** किसानों के त्रुटिपूर्ण बैंक खाता एवं आईएफएससी में संशोधन, खाते में राशि भुगतान की सीमा सीमित होने, खाता बंद होने आदि कारणों से संबंधित किसान के खाते में भुगतान सफल न होने के कारण खाता संशोधन/खाता परिवर्तन करने तथा स्वीकृति पत्रक/ईपीओ जारी होने की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण भुगतान शेष है, जिसके लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

विभागान्तर्गत स्वीकृत, भरे, रिक्त पदों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

38. परि.अता.प्र.सं. 44 (क्र. 897) श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला बुरहानपुर में विभागान्तर्गत तीन वर्षों से कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के स्वीकृत, भरे एवं रिक्त पदों की जानकारी जिले में पदस्थी दिनांक सहित उपलब्ध कराये? **(ख)** क्या उक्त जिले में विगत तीन वर्षों से अधिक अवधि से अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत है? यदि हाँ, तो एक ही जिले में तीन वर्षों से कार्यरत रहने की शासन की कोई विभागीय नीति है? यदि नहीं तो इन अधिकारी एवं कर्मचारी किस समय-सीमा में जिले के बाहर स्थानान्तरित किया जावेगा यदि नहीं तो क्यों कारण स्पष्ट करें? **(ग)** क्या जिले में खाद्य आपूर्ति अधिकारी के कार्यरत रहते हुए विभाग द्वारा जिले के खाद्य आपूर्ति अधिकारी का प्रभार अन्य सहायक अधिकारी को सौंपा गया है? यदि हाँ, तो कारण स्पष्ट करें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** जी हाँ। खाद्य विभाग की पृथक से कोई स्थानांतरण नीति नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2019-2020 की कडिण्का-11.4 में एक ही जिले में सामान्यत: तीन वर्षों से कार्यरत रहने पर स्थानान्तरित किए जाने का प्रवधान है, परन्तु स्थानान्तरित किए जाने की अनिवार्यता नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। शासन आदेश क्रमांक एफ 2-2/2018/29-2, दिनांक 02/01/2018 द्वारा बुरहानपुर जिले में जिला आपूर्ति अधिकारी के रिक्त पद का प्रभार श्री के.एस. बामनिया सहायक आपूर्ति अधिकारी को सौंपा गया था, परन्तु जिले में प्रशासनिक कार्य व्यरवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा जिले में पदस्थ सहायक आपूर्ति अधिकारी श्रीमती अर्चना नागपुरे को जिला आपूर्ति अधिकारी का प्रभार सौपा गया है।

<u>परिशिष्ट - "आठ"</u>

वारदाना की कमी से किसानों की धान खरीदी न होना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

39. परि.अता.प्र.सं. 46 (क्र. 917) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** रीवा जिले में कुल कितने धान खरीदी केन्द्र स्थापित किए गए थे? इन केन्द्रों में कुल कितने कृषकों का डाटा धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया था, केन्द्रवार विवरण सहित संख्या बताएं? **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में जिले में कुल कितनी धान खरीदी का अनुमान था तथा धान की आवक की मान से जिले में कितने वारदानों की आवश्यकता थी? आवश्यकतानुसार वारदानों की उपलब्धता कितनी-कितनी, कब-कब, कितने किसानों को कराई गई विवरण सहित तिथिवार बताएं? **(ग)** जिले में कुल कितनी धान खरीदी गई तथा कितने केन्द्रों में कृषकों के पंजीयन के पश्चात् भी धान क्यों नहीं खरीदी गई? कारण सहित स्पष्ट करें। **(घ)** प्रश्नांश (क), (ख) एवं (ग) के प्रकाश में रीवा जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत सेमरिया में कितने किसानों का धान खरीदी हेतु पंजीयन कराया गया, इनमें कितने किसानों को कब-कब, कितना-कितना, बारदाने की आपूर्ति कराई गई बतावें? वारदाना की कमी से कितने किसानों की कितनी मात्रा में धान की खरीदी नहीं हो पाई क्या प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा अपने पत्र क्र. 09 दिनांक 10/01/2020 द्वारा उक्त समस्या के निदान हेतु मान. मुख्यमंत्री जी एवं कलेक्टर रीवा को पत्र लिखकर अवगत कराया था? यदि हाँ, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** रीवा जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान उपार्जन हेतु 71 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए थे। जिले में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु 47631 किसानों द्वारा धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया था। पंजीकृत किसानों की केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ख)** रीवा जिले में धान उपार्जन की तैयारी हेतु 1.75 लाख मे.टन का अनुमान लगाया गया था, जिसके लिए 8750 गठान बारदाने की आवश्यकता थी। उपार्जन केन्द्रों पर धान की आवक/आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराए गए बारदाना की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ग)** रीवा जिले में 208615.45 मे.टन धान का उपार्जन किया गया। उपार्जन हेतु निर्धारित समयावधि में उपार्जन केन्द्रों पर धान विक्रय हेतु उपस्थित किसानों से एफएक्यू गुणवत्ता की धान उपार्जित की गई है। उपार्जन की निर्धारित अवधि में उपज विक्रय करने हेतु उपार्जन केन्द्र पर एफएक्यू गुणवत्ता की उपज लाने वाले किसानों की पोर्टल पर प्रविष्टि की अनुमति भी जारी की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** विधानसभा क्षेत्र सिमरिया अंतर्गत 3370 किसानों द्वारा धान विक्रय हेतु पंजीयन कराया गया जिनमें से 2771 किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान का विक्रय किया गया। धान उपार्जन हेतु केन्द्रों पर उपलब्ध कराए गए बारदाने की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-स अनुसार** है। माननीय प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्र के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश

स्टेट सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन द्वारा दिनांक 11.01.2020 को ही सतना जिले से परिवहनकर्ता के माध्यम से बारदाने की आपूर्ति कराई गई। बारदाने की कमी के कारण कृषकों से एफएक्यू गुणवत्ता की धान खरीदी की जाना शेष नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

धान खरीदी हेतु खोला गया पोर्टल
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

40. परि.अता.प्र.सं. 48 (क्र. 919) श्री के.पी. त्रिपाठी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** वर्ष 2019-20 में रीवा जिले में धान की खरीदी हेतु कितने दिनों के लिये पोर्टल खोला गया? **(ख)** प्रश्नांश (क) के प्रकाश में इस अवधि में रीवा जिले के सेमरिया विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत किन-किन खरीदी केन्द्रों में कितनी-कितनी मात्रा में किन-किन किसानों की धान की खरीदी की गई? विवरण सहित बतावें। **(ग)** प्रश्नांश (क) एवं (ख) के प्रकाश में शेष किसान जो कि पोर्टल बन्द होने या वारदनों की आपूर्ति न होने से धान की बिक्री नहीं कर पाए उन किसानों को धान की खरीदी कब तक की जावेगी? यदि नहीं की जावेगी तो कारण स्पष्ट करें।

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की अवधि 25 नवम्बर, 2019 से 20 जनवरी 2020 तक निर्धारित की गई थी। उपार्जन के अंतिम दिवस में जिन किसानों को ऑनलाईन कृषक तौल पर्ची जारी की गई थी उनकी उपज की तौल एवं पोर्टल पर प्रविष्टि कराने की अवधि 22 जनवरी, 2020 निर्धारित की गई। शेष रहे किसानों की धान की पोर्टल पर प्रविष्टि हेतु अनुमति दिनांक 30.01.2020, 15.02.2020, 17.02.2020 को जारी की गई। **(ख)** रीवा जिले के सैमरिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत उपार्जन कैन्द्रवार एवं कृषकवार उपार्जित धान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** रीवा जिले में निर्धारित अवधि में उपार्जन केन्द्र पर विक्रय हेतु लाई गई एफएक्यू गुणवत्ता की धान का उपार्जन किया जाना शेष नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा
[राजस्व]

41. परि.अता.प्र.सं. 49 (क्र. 924) श्री नागेन्द्र सिंह : क्या राजस्व मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता द्वारा पत्र क्रमांक 547 दिनांक 31.07.2019 के माध्यम से कलेक्टर सतना में सतना जिला अंतर्गत नगरीय क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा के संबंध में जानकारी चाही गई थी? **(ख)** यदि हाँ, तो क्या कलेक्टर सतना द्वारा प्रश्नकर्ता को उक्त जानकारी उपलब्ध कराई गई? नहीं तो क्यों? उक्त जानकारी उपलब्ध न कराने के लिये कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या

प्रश्नकर्ता को उक्त पत्र के माध्यम से चाही गई जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

राजस्व मंत्री : [**(क)** जी हाँ। **(ख)** जी नहीं। जानकारी अत्यंत बृहद स्वरूप की होने से संकलन में समय लग रहा है। प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में विलम्ब हेतु किसी का दोष नहीं है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। **(ग)** जी हाँ। सकलंन पूर्ण होने पर यथाशीघ्र जानकारी उपलब्ध कराई जाऐगी।] **(ख)** प्रश्नकर्ता माननीय विधायक जी के निज सहायक को तत्समय उपलब्ध जानकारी दिनांक 12.03.2020 को उपलब्ध करा दी गई थी तथा शेष तहसीलों की जानकारी दिनांक 08.07.2020 को प्रदाय कर दी गई है। शेष प्रश्नांश उदभूत नहीं होता **(ग)** जानकारी उपलब्ध कर देने के कारण प्रश्नांश लागू नहीं होता।

धान खरीदी एवं परिवहन में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

42. परि.अता.प्र.सं. 51 (क्र. 942) श्री जुगुल किशोर बागरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** सतना जिले में वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर कुल कितनी धान खरीदी की गई केन्द्रवार विवरण दें, उक्त क्रय धान का परिवहन करने का ठेका किस-किस ठेकेदार को किन-किन शर्तों पर दिया गया था? क्या अनुबंध में नियमों का पालन किया गया है आदेश-निर्देश सहित पूर्ण जानकारी दें? **(ख)** परिवहनकर्ताओं द्वारा कितने वाहन क्रमांकों के साथ कब तक लिये अनुबंध किया था, अनुबंध अन्डरलोड था या ओव्हरलोड विवरण दें। भुगतान करते समय अन्डरलोड के हिसाब से भुगतान किया जावेगा या नहीं बतावें? **(ग)** परिवहनकर्ताओं द्वारा धान, खरीदी केन्द्रों से कब उठायी गयी और किसके द्वारा उठायी गयी अर्थात क्या निर्धारित समय-सीमा में धान का परिवहन न करने से वर्षा से धान खराब हुई जिसके लिये परिवहनकर्ता को ब्लैक लिस्ट कर भुगतान में कटौती की जावेगी एवं दोषी अधिकारी को निलंबित किया जावेगा यदि हाँ, तो कितनी राशि की कटौती की जावेगी और कब तक? **(घ)** क्या माननीय खाद्य मंत्री के सतना प्रवास के निरीक्षण दौरान अमानक धान, गोदामों में पाई गई थी तो अमानक धान गोदामों में पाये जानें एवं प्रश्नांश (क) से (ग) के परिप्रेक्ष्य में धान खरीदी एवं परिवहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी को शासन कब तक निलंबित करेगा यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [**(क)** से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** सतना जिले में खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में समर्थन मूल्य पर कुल 247369 मे.टन धान का उपार्जन किया है। उपार्जन केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के परिवहन हेतु निविदा आमंत्रित कर प्राप्त न्यूनतम दर अनुसार ही परिवहनकर्ताओं की दरें स्वीकृत की जाकर अनुबंध की कार्यवाही की जाती है। सतना जिले में धान परिवहन हेतु सेक्टरवार नियुक्त परिवहनकर्ता यथा- नागौद- ए.के.आर. लॉजिस्टिक प्राईवेट लिमिटेड, अमरपाटन एवं रामपुर बघेलान-मेसर्स कुसुम जायसवाल, सतना- मेसर्स कल्पतरू

ट्रांसपोर्ट एवं मैहर- मॉ शारदा रासायनिक क्रय विक्रय सहकारी समिति को परिवहन का कार्य निविदा शर्त के अनुसार दिया गया। निविदा शर्तें **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'ब' अनुसार** है। **(ख)** परिवहनकर्ताओं के साथ किये गये अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-'स' अनुसार** है। परिवहनकर्ताओं से वाहनों का अनुबंध मानक भार क्षमता अनुसार ही किया गया जिसका नियमानुसार भुगतान किया जावेगा। **(ग)** परिवहनकर्ताओं द्वारा धान उपार्जन प्रारंभ होने के उपरांत ही उठाव कार्य प्रारंभ कर दिया गया था, किन्तु जिले में पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध न होने के कारण धान उठाव में विलंब हुआ। वर्षा से धान खराब होने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** माननीय खाद्य मंत्री के सतना प्रवास के दौरान निरीक्षण में गोदाम में कुछ बोरियों में मानक से अधिक डेमेज धान पाई गई जिसे रिजेक्ट कर पृथक से भंडारित कराया गया था। इस धान को समितियों द्वारा अपग्रेड कर मानक गुणवत्ता का धान जमा कराया गया। मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा अमानक धान स्वीकार नहीं की गई। जमा कराए गए मानक गुणवत्ता के धान की मिलिंग भी की जा चुकी है। अत: जमाकर्ता एजेंसी के किसी कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही की स्थिति निर्मित नहीं हुई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

बी.पी.एल. के पात्र हितग्राहियों को बगैर सर्वे के अपात्र घोषित करना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

43. अता.प्र.सं. 62 (क्र. 963) श्री दिलीप सिंह गुर्जर : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** नागदा व खाचरौद तहसील में 1 जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितने बी.पी.एल. के राशन कार्ड के आवेदन प्राप्त हुए हैं? तहसीलवार, संख्यावार विवरण दें। **(ख)** बी.पी.एल. राशन कार्ड हेतु कुल प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन पात्र हुए और कितने अपात्र पाये गए हैं? अपात्रता का क्या कारण है? वार्डवार एवं गांववार विवरण दें। **(ग)** क्या बी.पी.एल. कार्ड हेतु दिए गए आवेदन की जांच फील्ड पर जाकर नहीं करते हुए ऑफिस में बैठकर अपात्र घोषित कर दिया जाता है? यदि हाँ, तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं तो पात्रता रखने वाले आवेदनकर्ताओं के भी आवेदन क्यों अपात्र घोषित किए जा रहे हैं?

खाद्य मंत्री : [(क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है **] (क)** प्रश्नांकित अवधि से प्रश्न दिनांक तक नागदा व खाचरौद तहसील में बी.पी.एल. के राशन कार्डों हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या क्रमश: 1900 एवं 471 है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। निर्धारित मापदंडों की पूर्ति नहीं होने के कारण आवेदन अपात्र हुए हैं। शेष भाग की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं, शेष भाग का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। निर्धारित पात्रता रखने वाले आवेदकों के आवेदन अपात्र नहीं किये जा रहे हैं।

कटनी जिले में धान उपार्जन
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

44. अता.प्र.सं.65 (क्र. 982) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** खरीफ वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कटनी जिला अंतर्गत कुल कितने कृषकों ने कितने हेक्टेयर क्षेत्र में बोई गई धान के विक्रय हेतु धान उपार्जन केन्द्रों में पंजीयन कराया एवं शासन द्वारा प्रति एकड़ कितने उत्पादन की दर से कितने कृषकों की कितने रकवे की कुल कितनी धान उपार्जन केन्द्रों द्वारा खरीदी गई? अलग-अलग वर्षवार सूची देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित धान खरीदी में वर्षवार अंतर का क्या करण है, जबकि प्रति वर्ष प्रति एकड़ धान के उत्पादन में वृद्धि हो रही है? **(ग)** क्या बारदाने की कमी एवं अन्य तकनीकी कारणों से कटनी जिले के 15 उत्पादन केन्द्रों के 440 कृषकों की 23090 क्विंटल धान उपार्जन केन्द्रों में प्रश्न दिनांक तक रखी हुई है तथा पोर्टल बंद होने से कृषक 4 करोड़ 21 लाख रुपये के भुगतान से वंचित हैं? **(घ)** प्रश्नांश (ग) यदि हाँ, तो कृषकों को समय पर टोकन वितरण न करने तथा समय पर उच्च अधिकारियों को अवगत न करने का दोषी कौन है? क्या शासन इसकी जाँच कर दोषियों पर कार्यवाही कर प्रभावित कृषकों को शीघ्र राहत प्रदान करेगा? यदि हाँ, तो किस प्रकार से कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** कटनी जिले में विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में धान विक्रय हेतु पंजीकृत किसान, पंजीकृत रकबा, उत्पादकता, विक्रेता कृषक तथा उपार्जित धान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। **(ख)** समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन पंजीकृत किसानों से किया जाता है। पंजीकृत किसान संख्या, बोया गया रकबा, उत्पादकता एवं बाजार भाव आदि कारणों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की मात्रा परिवर्तनशील रहती है। **(ग)** कटनी जिले में बारदानों की कमी एवं अन्य कारणों से कृषकों से धान की तौल से वंचित नहीं है। जिले के 15 उपार्जन केन्द्रों पर 440 कृषकों की पोर्टल पर धान प्रविष्टि कराने हेतु कलेक्टर द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया, जिसका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। जिले में उपार्जित धान की राशि रू. 467.65 करोड़ के विरूद्ध राशि रू. 445.34 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, शेष राशि के भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर अनुसार कार्यवाही प्रचलित होने कारण किसी पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

<u>परिशिष्ट - "नौ"</u>

धान उपार्जन हेतु बारदाना आपूर्ति
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

45. अता.प्र.सं.67 (क्र. 985) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीद 2019-20 में सिंगल यूज बारदाने का इस्तेमाल किया गया? यदि हाँ, तो इस हेतु किस-किस मिलर को कितनी-कितनी

मात्रा में सिंगल यूज बारदाना सप्लाई करना था एवं सिंगल यूज बारदाना उपयोग के क्या नियम हैं? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित किन-किन राईस मिलरों द्वारा किस-किस स्थान पर कब-कब कितना-कितना बारदाना प्रदाय किया गया उपार्जन केन्द्रवार सूची देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित राईस मिलरों द्वारा उपार्जन केन्द्रों में प्रदाय बारदानों में कितने कटे-फटे एवं अनुपयोगी तथा कितने दूसरे प्रदेशों के बारदाने प्रदाय किये गए? राईस मिलरवार एवं उपार्जन केंद्रवार सूची देवें तथा राईस मिलरों पर निर्धारित मात्रा में बारदाना प्रदाय नहीं करने पर किन-किन राईस मिलरों पर कितनी-कितनी पेनाल्टी अधिरोपित की गई? यदि नहीं की गई तो इसका दोषी कौन है? दोषी पर क्या कार्यवाही की गई? **(घ)** क्या सिंगल यूज बारदाना प्रदाय में दूसरे प्रदेशों के बारदाना दिये जा सकते हैं? यदि हाँ, तो किस नियम के तहत? यदि नहीं तो ऐसे मिलरों पर क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** जी हाँ। भारत सरकार द्वारा धान उपार्जन में 54% नए एवं 46% पुराने बारदानों के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। पुराने बारदाने राईस मिलर्स एवं समितियों से प्राप्त कर उपयोग किए जाते हैं, इस हेतु भारत/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बारदाना उपयोग व्यय का भुगतान किया जाता है। **(ख)** कटनी जिले में राईस मिलर्स द्वारा धान उपार्जन हेतु उपलब्ध कराए गए उपार्जन केन्द्रवार बारदानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** उपार्जन केन्द्र पर पुराने बारदाने मिलर्स एवं समितियों द्वारा उपार्जन एजेंसी के जिला कार्यालय के माध्यम से प्रदाय किया जाता है, जिसमें निर्धारित मानक/गुणवत्ता के अच्छे बारदाने स्वीकार करने के निर्देश हैं। निर्धारित मानक/गुणवत्ता के बारदाने प्राप्त करने की जवाबदारी उपार्जन केन्द्र की है। धान उपार्जन केन्द्रों से कटे-फटे, अनुपयोगी तथा दूसरे प्रदेश के बारदाने प्रदाय के संबंध में उपार्जन केन्द्र प्रभारियों द्वारा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं लाया गया है। राईस मिलर्स द्वारा उपार्जन केन्द्रों को निर्धारित मात्रा में ही बारदाने प्रदाय किए गए हैं। इस कारण पेनल्टी एवं दोषियों पर किसी प्रकार की कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** जी नहीं। धान उपार्जन में जूट के पुराने बारदाने का उपयोग करने के निर्देश हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में अनियमितता
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

46. परि.अता.प्र.सं. 58 (क्र. 987) श्री प्रणय प्रभात पाण्डेय : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** कटनी जिला अंतर्गत धान उपार्जन हेतु कितने केंद्र स्थापित किये गए एवं इन केन्द्रों पर कितना बारदाना कब-कब प्रदान किया गया? किस-किस समिति के कार्यक्षेत्र में पंजीकृत किसानों की कितनी धान का किन कारणों से प्रश्न दिनांक तक उपार्जन नहीं हो सका, क्या बारदाने की कमी से समितियों की खरीदी बीच-बीच में बाधित हुई? यदि हाँ, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है एवं उस पर कब क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ख)** धान

खरीदी के कितने समय पश्चात धान का परिवहन कर भंडारण किये जाने के आदेश/निर्देश हैं? प्रश्नांश (क) में उल्लेखित खरीदी केन्द्रों में उपार्जित की गई धान का खरीदी के कितने समय पश्चात परिवहन कर भंडारण किया गया? समितिवार बतलावें एवं धान का उपार्जन पश्चात किया गया परिवहन एवं भंडारण नियमानुसार था? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं तो क्या कार्यवाही की जावेगी? **(ग)** क्या धान खरीदी हेतु सिंगल यूज बारदाने मिलरों से खरीद कर उपयोग में लाये गए? यदि हाँ, तो क्या नियमानुसार दूसरे प्रदेशों के बारदानों का उपयोग भंडारण में किया जा सकता है, यदि नहीं तो इसे प्रदाय करने वाले मिलरों पर विभाग द्वारा कब क्या कार्यवाही की गई?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु कटनी जिले में 61 उपार्जन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। धान उपार्जन केन्द्रों पर प्रदाय बारदानों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। धान उपार्जन के अवधि में असामयिक बारम्बार बारिश के कारण उपार्जन का कार्य कुछ समय के लिये बाधित हुआ था, किन्तु उपार्जन के अंतिम दिवस में जिन किसानों की एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता की धान उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध थी उसका भी उपार्जन कर लिया गया है। बारदानों की कमी से धान उपार्जन का कार्य बाधित नहीं हुआ है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** उपार्जन केन्द्र पर समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के 72 घंटे में परिवहन करने के निर्देश है। समितिवार विलंब से किये गये धान परिवहन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। उपार्जित धान के परिवहन में कुछ विलंब हुआ है, इस हेतु परिवहनकर्ताओं पर पेनल्टी अधिरोपित करने की कार्यवाही प्रचलित है। **(ग)** जी हाँ। भारत सरकार द्वारा धान उपार्जन में 54% नए एवं 46% सिंगल यूज बारदानों के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु भारत/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बारदाना उपयोग व्यय का भुगतान किया जाता है। राज्य के राईस मिलर्स एवं समितियों से ही सिंगल यूज बारदाने धान उपार्जन में उपयोग किये जाते है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप/सेवा देने वाले विद्यार्थियों को स्टाईपेन्ड
[चिकित्सा शिक्षा]

47. परि.अता.प्र.सं. 59 (क्र. 1004) श्री महेश परमार : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नांश (क) शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018-19, 2019-20 में मध्यप्रदेश के समस्त मेडिकल प्रायवेट कॉलेज में इंटर्नशिप करने वाले मेडिकल छात्रों की संख्या एवं दिए गए स्टाईपेन्ड की जानकारी वर्षवार अद्यतन प्रमाणित सूची के साथ उपलब्ध कराएं। साथ ही खाता नंबर निवास का पता एवं एम.बी.बी.एस./पी.जी. किए जाने का वर्ष, अध्ययनरत महाविद्यालय का नाम और संकलित माहवार दिया गया वेतन की राशि की जानकारी उपलब्ध कराएं। **(ख)** मध्यप्रदेश के कितने मेडिकल प्राइवेट कॉलेजों में शासन द्वारा इंटर्नशिप करने के लिए अनुदान दिया जाता है? प्रत्येक मेडिकल स्टूडेंट के लिए कितना स्टाईपेन्ड

एम.बी.बी.एस. में तथा पी.जी. में दिये जाने का प्रावधान है? उक्त प्रावधान की प्रति उपलब्ध करावें। **(ग)** शा. मेडिकल कॉलेजों में अनुबंधित हितग्राही को नियमित रूप से अन्यत्र पी.जी. करने के लिए NOC दिये जाने का क्या प्रावधान है? उसकी समय-सीमा क्या है एवं इस दौरान संबन्धित को और क्या सुविधाएं दिये जाने का प्रावधान है?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(ख)** किसी भी प्राईवेट मेडिकल कॉलेज में शासन द्वारा इन्टर्नशिप करने के लिए अनुदान नहीं दिया जाता। शासकीय मेडिकल कॉलेज स्टूडेन्ट के लिए एम.बी.बी.एस. एवं पी.जी. स्टाईपेन्ड प्रावधान की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-एक अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। शेष **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-दो अनुसार** है। **] (क)** शैक्षणिक सत्र वर्ष 2018-19, 2019-20 में मध्यप्रदेश के समस्त निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में इंटर्नशिप करने वाले मेडिकल छात्रों की संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। प्राईवेट मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करने वाले छात्रों को स्टायपेंड नहीं दिया जाता। अत: शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

निजी चिकित्सा महाविद्यालय की भर्ती में फर्जीवाड़ा
[चिकित्सा शिक्षा]

48. परि.अता.प्र.सं. 63 (क्र. 1024) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1636 दिनांक 19 दिसम्बर 2019 का उत्तर दिलाया जाये तथा बतावें कि विधायकों की निरंतर मांग के बाद भी निजी चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती में फर्जीवाड़े की जांच क्यों नहीं की जा रही है? **(ख)** वर्ष 2017 में निजी चिकित्सा महाविद्यालय में NRI कोटे में भर्ती 114 अभ्यर्थी की जांच के समस्त दस्तावेज तथा जांच की रिपोर्ट की प्रति देवें। **(ग)** वर्ष 2009 से 2014 तक निजी चिकित्सा महाविद्यालय में PMT के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, पता, PMT के प्राप्तांक तथा रैंक, 10वीं तथा 12वीं के प्राप्तांक, प्रवेशित महाविद्यालय का नाम, चिकित्सा संचालनालय द्वारा अनुमोदित सूची सहित जानकारी प्रदान करें। **(घ)** क्या निजी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा UG तथा PG में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची शासन को प्रदान की जाती हैं? यदि हाँ, तो वर्ष 2009 से 2014 तक की प्रदान की गई सूची की प्रति देवें तथा बतावें कि वह सूची निर्धारित अवधि में दी गई या उसके बाद दी गई?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) प्रश्न क्रमांक 1636 का उत्तर विधानसभा सचिवालय को प्रेषित कर दिया गया है। वर्तमान में स्नातक/स्नातकोत्तर से संबंधित प्रकरण सी.बी.आई. एवं एस.टी.एफ. के विवेचनाधीन है। **(ख)** वर्ष 2017 में निजी चिकित्सा महाविद्यालय में एन.आर.आई. कोटे में भर्ती 114 अभ्यर्थी की जाँच के समस्त दस्तावेज तथा जाँच रिपोर्ट की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **(घ)** जी नहीं, अपितु संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा को प्रदान की जाती है। शेष जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (ग)** वर्ष 2009 से 2014 तक निजी चिकित्सा

महाविद्यालयों से प्राप्त **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(घ)** जी नहीं। निजी चिकित्सा महाविद्यालयों द्वारा यू.जी. तथा पी.जी. में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची एम.सी.आई. को प्रेषित की जाती है जो **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

राशन घोटाले को दबाने का षड़यंत्र

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

49. परि.अता.प्र.सं. 64 (क्र. 1025) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1637 दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के खण्ड (क) के संदर्भ में बतावें कि क्या प्रश्नकर्ता विधायक की मांग पर शेष दुकानों की जांच उस अवधि की, की जावेगी जिस अविध की आठ दुकानों की, की गई? **(ख)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1637 दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के खण्ड (ख) के तारतम्य में रेण्डम जांच में 100 प्रतिशत अनियमितता पाये जाने पर शेष की जांच क्यों नहीं की गई तथा जांच की जावेगी या नहीं? **(ग)** बतावें कि रेण्डम जांच क्यों की जाती है तथा उसके परिणाम आने पर क्या शेष की जांच नहीं की जाती है? रेण्डम जांच का शाब्दिक अर्थ बतावें। **(घ)** प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्र. 1637 दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के खण्ड (घ) के संदर्भ में बतावें कि किस शहर में रतलाम में 8 दुकानों की जिस अवधि में जांच की गई ऐसी ही जांच उसी अवधि की किस-किस शहर में कितनी दुकानों की, की गई तथा उसके जांच परिणाम से अवगत करावें। **(ड.)** प्रश्नांश के खण्ड (ख) के संदर्भ में बतावें कि किसके आदेश पर जांच नहीं की गई?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। रेण्डम सर्वे के आधार पर अनुगामी कार्यवाही करते हुए 06 माह से राशन न लेने वाले 21202 संदिग्ध परिवारों को मार्च 2018 से पात्रता से हटाया गया है एवं वर्तमान में परिवारों की पहचान पी.ओ.एस. मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन करने के उपरांत राशन सामग्री दी जा रही है। **(ख)** रेण्डम जांच में 100 प्रतिशत अनियमितताएं नहीं पाई गई है। जांच किए गए 6416 परिवारों में से 2846 परिवार सत्यापित नहीं होना पाए गए हैं। प्रकरण में 13 जनवरी 2018 को एफ.आई.आर. कराई गई है। जांच में रेण्डम पद्धति से 08 दुकानों को शामिल किया गया था। शेष दुकानों को रेण्डम जांच में शामिल नहीं किया गया है। सीमित मानव संसाधन की उपलब्धता, जांच दल के कर्मचारियों के अन्य तहसीलों में तबादले तथा काल्पनिक परिवारों को पोर्टल से विलोपित कर देने के दृष्टिगत उस अवधि की उसी पद्धति से शेष 55 दुकानों की विस्तृत जांच वर्तमान में किया जाना संभव नहीं है। **(ग)** रेण्डम जांच एक निश्चित प्लान अथवा पैटर्न के आधार पर नहीं की जाती है। उसके परिणाम आने पर शेष की जांच की जाना अनिवार्य नहीं है। रेण्डम जांच का शाब्दिक अर्थ ''यादृच्छिक निरीक्षण'' है। **(घ)** प्रश्न क्र. 1637 दिनांक 19 दिसम्बर 2019 के खण्ड (घ) के संदर्भ में रतलाम में 8 दुकानों की जिस अवधि में जांच की गई, ऐसी ही जांच उसी अवधि की किसी अन्य शहर में नहीं की गई।

शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(ड.)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता। जांच न करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

निजी चिकित्सा महाविद्यालय की फीस में अनियमितता

[चिकित्सा शिक्षा]

50. अता.प्र.सं.72 (क्र. 1029) श्री प्रताप ग्रेवाल : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय में दिसम्बर 2019 की स्थिति में अध्यापन कार्य करने वाले विद्वान डॉक्टरों (शिक्षक) की संख्या देवें। **(ख)** प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय में दिसम्बर 2019 की स्थिति में कक्षावार अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्यात्मक जानकारी देवें। **(ग)** प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय को वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं वर्षवार उन्हें शुल्क के रूप में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार महाविद्यालय अनुसार जानकारी दें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय में दिसम्बर 2019 की स्थिति निम्नानुसार है :-

स.क्र.	संस्था का नाम	संख्या
1.	एल.एन.मेडिकल कालेज, भोपाल	156
2.	चिरायु मेडिकल कालेज, भोपाल	222
3.	पीपुल्स मेडिकल कालेज, भोपाल	269
4.	श्री अरविंदों मेडिकल कालेज, इंदौर	224
5.	इण्डेक्स मेडिकल कालेज, इंदौर	211
6.	आर.डी. गार्डी मेडिकल कालेज, उज्जैन	258
7.	अमलतास मेडिकल कालेज, देवास	151

(ख) प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय में दिसम्बर 2019 की स्थिति में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश के संबंध में **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है।

दोषी अधिकारी का निलंबन

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

51. ता.प्र.सं. 4 (क्र. 1040) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रश्नकर्ता के प्रश्न क्रमांक 1286 दिनांक 19.12.2019 को माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा उत्तर दिया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग में प्रकरण प्रचलित है? **(ख)** क्या माननीय खाद्य मंत्री जी द्वारा विधान सभा कार्यवाही के समय उक्त अधिकारी के विरूद्ध विभागीय जांच एवं आरोप पत्र जारी कर दिया गया है, उत्तर दिया गया था? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के अनुसार यदि हाँ, तो क्या उक्त अधिकारी को विभागीय जांच एवं आरोप

पत्र जारी करने के पूर्व या उपरांत उक्त अधिकारी को शासन के नियम व निर्देशों के अनुसार निलंबित किया गया था? यदि हाँ, तो कब? उल्लेख करें। यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें। **(घ)** क्या उक्त अधिकारी द्वारा पद एवं शक्ति का दुरूपयोग कर अधिकारिता विहीन आदेश जारी किया गया था? यदि हाँ, तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख)** जी हाँ। **(ग)** जी नहीं। मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी 6-01/2005/एक-3, दिनांक 13 जनवरी, 2005 के अनुसार- "सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-एक, क्रमांक 13 में उल्लेखित है कि किसी ऐसे शासकीय सेवक को जिसके विरूद्ध विभागीय जांच की जाना हो सामान्यत: निलंबित नहीं किया जाना चाहिए। जब आरोप गंभीर स्वरूप के हों या जब प्रशासकीय दृष्टि से या अन्य सुनिश्चित कारणों से ऐसा करना आवश्यक/अपरिहार्य हो, तभी उसे निलंबित किया जाना चाहिए। यदि जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, तो उसे निलंबन के बदले अन्य स्थान पर स्थानांतरित करने पर विचार किया जाना चाहिए। " **(घ)** जी हाँ। श्री बी.के. पाण्डे, राप्रसे द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला छतरपुर के पद पर पदस्थी के दौरान नगर पंचायत घुवारा में अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर एवं नियम विरूद्ध शासकीय उचित मूल्य दुकान की तीसरी दुकान स्वीकृत किये जाने की अनियमितता संबंधी बिन्दु पर ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागीय जांच संस्थित की गई है।

संशोधित आदेश के संबंध में

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

52. परि.अता.प्र.सं. 67 (क्र. 1041) श्री राजेश कुमार प्रजापति : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला छतरपुर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिजावर के पत्र क्रमांक 273 दिनांक 01/05/2012 को किस-किस शा.उ. मूल्य की दुकान में APL-BPL एवं AAY राशन कार्डो की कितनी-कितनी संख्या प्रदर्शित की गई थी? उक्त पत्र की प्रति उपलब्ध करायें। उक्त पत्र किसके द्वारा जारी किया गया था? मूल पद एवं नाम बतायें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त पत्र में प्रदर्शित संख्या के संबंध में शिकायत की गई थी? यदि हाँ, तो कब किसके द्वारा? उक्त शिकायत किसके समक्ष की गई थी? मूलपद एवं नाम बतायें। **(ग)** क्या उक्त शिकायत पर 01/05/2012 के आदेश पर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बिजावर द्वारा आदेश क्रमांक 445 दिनांक 16/10/2012 को संशोधित जारी किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त आदेश की प्रति उपलब्ध करायें। संशोधित आदेश किसके द्वारा जारी किया गया था? मूल पद एवं नाम बतायें। **(घ)** 01/05/2012 से 16/10/2012 तक किस-किस शासकीय उचित मूल्य की दुकान को ज्यादा राशन प्राप्त हो रहा था? क्या शासन उक्त शास. उचित मूल्य की दुकान के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के आदेश जारी करेगा? यदि हाँ, तो कब तक? क्या शासन उक्त कार्यवाही के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में कैबियट दायर करेगा? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है।] **(क)** प्रश्नांकित पत्र की छायाप्रति **संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। जिसमें राशन कार्डों की संख्या दी गई है। उक्त पत्र तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बिजावर, जिला छतरपुर द्वारा जारी किया गया था। उक्त अधिकारी का नाम श्री बी.के. पांडे है। **(ख)** जी हाँ, दिनांक 31.07.2012 को हरिप्रसाद अध्यक्ष, शिवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्यादित, घुवारा द्वारा एक आवेदन तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभाग, बिजावर, श्री बी.के.पांडे के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। **(ग)** जी हाँ, **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। उक्त आदेश तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी श्री अनय द्विवेदी द्वारा जारी किया गया था। **(घ)** गुरूदेव प्राथमिक उपभोक्ता भंडार, मर्यादित घुवारा को अधिक आवंटन प्राप्त हो रहा था। संपूर्ण तथ्यों की जांच करायी जाकर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। यह कार्यवाही आगामी तीन मास में करायी जायेगी। कार्यवाही के स्वरूप को देखते हुए राज्य हित में कैबियट दायर करने की आवश्यकता उत्पन्न होने पर कैबियट दायर करायी जायेगी।

<u>परिशिष्ट - "दस"</u>

पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची का वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

53. अता.प्र.सं. 77 (क्र. 1056) श्रीमती लीना संजय जैन : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला विदिशा अंतर्गत तहसील बासौदा, त्योंदा एवं ग्यारसपुर में पिछले एक वर्ष 2019 में गरीबी रेखा में नाम जोड़ने हेतु कितने हितग्राहियों के आवेदन प्राप्त हुये? इनमें से कितनों के नाम गरीबी रेखा के बी.पी.एल. कार्ड जारी किये गये पृथक-पृथक बतावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के उत्तर में बी.पी.एल. कार्ड जारी किये गये उनमें से कितनों को खाद्यान्न पर्ची जारी कर दी गई? शेष हितग्राहियों को पर्ची जारी नहीं करने का क्या कारण रहा? **(ग)** प्रश्नांश (ख) के उत्तर में शेष रहे हितग्राहियों को पर्ची कब तक जारी कर दी जावेगी? क्या पिछले वर्ष 2019 में गैर बी.पी.एल. कार्डधारी हितग्राहियों की खाद्यान्न पर्ची को अपात्र कर दिया गया है? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण रहा? क्या ऐसे हितग्राहियों की जांचोपरांत पुन: पात्रता देकर पर्ची जारी की जावेगी? यदि नहीं तो क्यों?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** विदिशा जिले में गरीबी रेखा की सूची में नाम जोडने हेतु तहसील ग्यारसपुर-108, बासौदा-1234 एवं त्योंदा-256 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से क्रमश: 19,299 एवं 80 परिवारों को बी.पी.एल. राशन कार्ड जारी किये गये है। **(ख)** ग्यारसपुर-05, बासौदा-107 एवं त्योंदा-20 बी.पी.एल. आवेदकों की पात्रता पर्ची जारी की गई है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 75% आबादी की सीमा तक ही लाभ दिया जा सकता है। इस सीमा से अधिक हितगाहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत नहीं है। वर्तमान में सम्मिलित परिवारों की पात्रता, हितग्राहियों के सत्यापन एवं

परिवार के छूटे हुए सदस्यों की जानकारी मोबाइल एप के माध्यम से घर-घर जाकर संकलित कराई जा रही है। यह कार्यवाही पूर्ण होने पर अपात्र/अस्तित्वहीन परिवारों/सदस्यों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर अपात्र पाये जाने पर विलोपन की कार्यवाही की जायेगी। जितने अपात्र परिवारों को हटाया जायेगा उतने ही नवीन परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमांतर्गत जोड़ा जा सकेगा। **(ग)** शेष आवेदकों को पात्रता पर्ची जारी करने के संबंध में स्थिति प्रश्नांश (ख) के उत्तर अनुसार है। वर्ष 2019 में गैर बी.पी.एल. श्रेणी अंतर्गत पात्रता पर्चीधारी परिवारों में से पात्रता रखने वाले परिवारों को अपात्र नहीं किया गया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राशन घोटाले की कार्यवाही
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

54. परि.अता.प्र.सं. 77 (क्र. 1105) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** प्रश्न क्रमांक 1624 दिनांक 19 दिसंबर 2019 के संदर्भ में बतावें कि 8 दुकानों की जांच किस दिनांक से किस दिनांक की थी? 2846 काल्पनिक हितग्राहियों को किस मात्रा में कौन सी सामग्री वितरण की गई? क्या 2846 को वितरित सामग्री का बाजार मूल्य रूपये 10 करोड़ याने प्रति हितग्राही 35 हजार रूपये था? **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जांच अवधि के प्रारंभ के एक माह पूर्व तथा अंत के एक माह बाद शेष 55 दुकानों की हितग्राहियों की कुल संख्या बतावें। **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित 35 हजार रूपये प्रति हितग्राही के मान से 21202 हितग्राहियों को दिये राशन के मूल्य 75 करोड़ रूपये होता है, यदि हाँ, तो किससे वसूला जायेगा तथा क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? **(घ)** बतावें कि अनुगामी कार्यवाही करते हुये 21202 हितग्राही हटाये गये लेकिन 8 दुकानों की तरह 75 करोड़ रूपये के घोटाले का अपराधिक प्रकरण क्यों नहीं दर्ज किया गया?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** 08 दुकानों की जांच जनवरी 2013 से मार्च 2017 तक अवधि की थी। 2846 असत्यापित परिवारों के 18311 सदस्यों को 05 किलो प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न (गेहूँ+चावल) प्रति परिवार के मान से, 02 लीटर केरोसीन, 01 किलो शक्कर एवं 01 किलो नमक वितरण किया गया। वितरित सामग्री का बाजार मूल्य 9 करोड़ 80 लाख रूपये आंका गया। **(ख)** प्रश्नांश (क) में उल्लेखित जांच अवधि के प्रारंभ में 01 माह पूर्व दिसम्बर 2012 में शेष 55 दुकानों में 74,740 परिवार तथा जांच अवधि में एक माह बाद अप्रैल 2017 में 36,311 परिवार थे। वर्ष 2017 में राशन का वितरण बिना किसी बायोमेट्रिक सत्यापन के एवं वितरण पंजी के आधार पर ऑफलाइन किए जाने से 21,202 परिवारों द्वारा अक्टूबर 2017 से पूर्व वास्तविक रूप से प्राप्त किए गए राशन की जानकारी उपलब्ध नहीं है। **(ग)** जी नहीं। 21202 परिवारों को 06 माह से राशन न लेने के कारण संदिग्ध मानते हुए मार्च, 2018 से हटाया गया था। इन परिवारों की पात्रता के संबंध में कोई जांच नहीं किए जाने से विषयांकित अवधि में परिवारों का अस्तित्व में होना

तथा पात्रता अनुसार पूर्ण राशन प्राप्त करना प्रमाणित नहीं होता है। अत: इन परिवारों को वितरित की गई राशन सामग्री वसूली योग्य नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राशन दुकानों पर कार्यवाही नहीं किया जाना
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

55. अता.प्र.सं.87 (क्र. 1106) श्री हर्ष विजय गेहलोत : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कलेक्टर रतलाम ने आदेश क्रमांक 786 दिनांक 06.04.2017 से रतलाम शहर की सभी उचित मूल्य दुकानों की दिनांक 15.05.2017 तक जांच करने के निर्देश दिये? यदि हाँ, तो जांच कब तक पूर्ण की गई? **(ख)** क्या डिप्टी कलेक्टर ने आदेश क्रमांक 256 दिनांक 22.05.2017 से दल गठित कर 12 दुकानों की पात्रता पर्ची की जांच हेतु निर्देश दिये? यदि हाँ, तो 12 दुकानों की जांच कब पूर्ण हुई है तथा शेष दुकानें कब आवंटित की गई? **(ग)** क्या प्रश्नांश (क) तथा (ख) के संदर्भ में मात्र 8 दुकानों पर कार्यवाही की गई तथा शेष 55 दुकानों को क्यों छोड दिया गया? इस संबंध में जारी आदेश की प्रति देवें। क्या शेष दुकानों की 75 करोड़ के घोटाले को बचाने के लिए अधिकारियों द्वारा आर्थिक लेन-देन हुआ? **(घ)** क्या 8 दुकानों में 2846 फर्जी, 55 दुकानों में 21202 फर्जी हितग्राही थे? इतनी बड़ी संख्या के बाद भी प्रकरण दर्ज न करने के कारण बतावें। क्या प्रकरण दर्ज न करने पर उच्च अधिकारियों या विधि विभाग से राय ली गई?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। मई 2017 में 08 दुकानों की जांच पूर्ण की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। **(ख)** जी हाँ। प्रतिवेदन अनुसार 08 दुकानों की जांच दिनांक 29/05/2017 को पूर्ण की गई। दुकानें आवंटित नहीं की गई। **(ग)** रेण्डम सर्वे में 08 दुकानों की जांच की कार्यवाही की गई है। इस पर अनुगामी कार्यवाही करते हुए 06 माह से राशन न लेने वाले 21202 संदिग्ध परिवारों को मार्च, 2018 से पात्रता हटाया गया है। इसलिए शेष दुकानों की जांच नहीं की गई एवं वर्तमान में केवल उन्हीं परिवारों को राशन सामग्री दी जा रही है जिनकी पहचान पी.ओ.एस. मशीन से बायोमेट्रिक सत्यापन करने के उपरांत हो रही है। इस संबंध में जारी आदेश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। जी नहीं। **(घ)** जी नहीं। 08 दुकानों में 2846 परिवार सत्यापित नहीं पाए गए थे। शहर की सभी दुकानों के 21202 हितग्राहियों को 06 माह से राशन न लेने के कारण मार्च, 2018 से पात्रता से हटाया गया है। 08 दुकानों की जांच में अनियमितता पाए जाने से वर्ष 2018 एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है। 21202 हितग्राहियों में सभी दुकानों के हितग्राही सम्मिलित थे। शासन स्तर से मार्च 2018 में एन.एफ.एस.ए. पोर्टल से हटाए गए 21202 परिवार वह संदिग्ध परिवार थे, जो विगत माहों से खाद्यान्न लेने नहीं आ रहे थे। जी नहीं।

गेहूँ के बोनस का वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

56. अता.प्र.सं.95 (क्र. 1151) श्री जालम सिंह पटैल : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला नरसिंहपुर में उपार्जन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में गेहूँ का कितना बोनस कितने कृषकों को दिया गया? **(ख)** जिला नरसिंहपुर में उपार्जन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में कितने कितने धान खरीदी केन्द्र बनाए गये हैं? **(ग)** क्या वर्ष 2019-20 में धान खरीदी केन्द्रों की संख्यां कम की गई? यदि हाँ, तो क्यों? **(घ)** वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में प्रति हेक्टेयर कितने क्विंटल धान खरीदी की गई? वर्ष 2018-19 में वर्ष 2019-20 की अपेक्षा कम खरीदी हुई, यदि हाँ, तो क्यों? **(ड.)** वर्ष 2019-20 में धान खरीदी का शत्-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? **(च)** वर्ष 2019-20 में धान खरीदी में कितनी राशि प्रति क्विंटल दी गई थी एवं 2019-20 में कितनी राशि दी गई है?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(च)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** राज्य सरकार द्वारा गेहूँ उपार्जन पर विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में समर्थन मूल्य के अतिरिक्त कोई भी बोनस की राशि का किसानों को देय नहीं है। **(ख)** नरसिंहपुर जिले में उपार्जन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमश: 33 एवं 33 खरीदी केन्द्र बनाए गए हैं। **(ग)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। **(घ)** वर्ष 2018-19 में 38.50 क्विंटल एवं 2019-20 में 42.50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पंजीयन रकबे के आधार पर धान उपार्जन की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में 66,511 में.टन एवं वर्ष 2019-20 में 67,940 में.टन समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन किया गया है, जो कि 2019-20 में 1429 में.टन अधिक है। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों से धान का उपार्जन किया जाता है। **(ड.)** नरसिंहपुर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की राशि रू. 123.31 करोड़ के विरूद्ध 113.30 करोड़ के भुगतान आदेश जारी किए जा चुके हैं एवं 113.06 करोड़ का भुगतान किसानों के खाते में किया जा चुका है, शेष राशि रू. 10.25 करोड़ के भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है। **(च)** खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में राशि रू. 1750 एवं वर्ष 2019-20 में राशि रू. 1815 प्रति क्विंटल के मान से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का भुगतान किसानों को किया गया है।

खाद्यान्न वितरण की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

57. ता.प्र.सं. 23 (क्र. 1161) श्री जसमंत जाटव छितरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले में सहकारिता विभाग द्वारा विपणन सस्थाओं/उपभोक्ता भंडार/पैक्स संस्थाओं को वर्ष 2019 एवं 2020 में किस-किस मद का कितना-कितना खाद्यान्न वितरण करने हेतु उपलब्ध कराया गया है? माहवार संस्थावार जानकारी उपलब्ध कराई जावें। **(ख)** विपणन संस्थाओं/उपभोक्ता भंडार/पैक्स संस्थाओं द्वारा उचित मूल्य की

दुकानों के सेल्समेनों/विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं/स्व-सहायता समूहों को प्राप्त खाद्यान्न/सामग्री के विरूद्ध वितरण किए गये खाद्यान्न एवं सामग्री की वर्षवार एवं संस्थावार जानकारी उपलब्ध कराई जावें। **(ग)** क्या तहसील करैरा के ग्राम बघेदरी में अभी हाल ही में प्राप्त संपूर्ण खाद्यान्न ब्लैक कर दिया गया है और ग्रामीणों को खाद्यान्न एवं सामग्री का वितरण नहीं किया गया है? ऐसे ही अधिकतर संस्थाओं एवं विक्रेताओं/सेल्समेनों द्वारा सांठ-गांठ कर प्राप्त खाद्यान्न/सामग्री को उपभोक्ताओं को वितरण न कर अपने निजी स्वार्थ के लिये ब्लैक कर दिया गया है और कई माहों का खाद्यान्न एवं सामग्री वितरण नहीं किया गया है? **(घ)** यदि हाँ, तो ऐसे कितने सेल्समेन/विक्रेता एवं संस्थाएं हैं जिनके द्वारा खाद्यान्न ब्लैक कर दिया गया है? उनकी सूची उपलब्ध कराई जावे तथा ब्लैक करने वाले व्यक्तियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? नहीं की गई तो क्यों एवं कब तक कार्यवाही की जावेगी?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

सहकारिता संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

58. परि.अता.प्र.सं. 83 (क्र. 1162) श्री जसमंत जाटव छितरी : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले में सहकारिता विभाग द्वारा विपणन संस्थाओं/उपभोक्ता भंडारों/पैक्स संस्थाओं को वर्ष 2019 एवं 2020 में किस-किस मद का कितना-कितना खाद्यान्न वितरण करने हेतु उपलब्ध कराया गया है माहवार, संस्थावार जानकारी उपलब्ध कराई जावे? **(ख)** विपणन संस्थाओं/उपभोक्ता भंडारों/पैक्स संस्थाओं द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के सेल्समेनों/विक्रेताओं के माध्यम से उपभोक्ताओं/स्व-सहायता समूहों को प्राप्त खाद्यान्न/सामग्री के विरूद्ध वितरण किए गये खाद्यान्न एवं सामग्री की वर्षवार एवं संस्थावार जानकारी उपलब्ध कराई जावे। **(ग)** क्या तहसील करैरा के ग्राम बघेदरी में अभी हाल ही में प्राप्त संपूर्ण खाद्यान्न का ब्लैक में विक्रय कर दिया गया है और ग्रामीणों को खाद्यान्न एवं सामग्री का वितरण नहीं किया गया है? ऐसे ही अधिकतर संस्थाओं एवं विक्रताओं/सेल्समेनों द्वारा सांठ-गांठ कर प्राप्त खाद्यान्न/सामग्री को उपभोक्ताओं को वितरण न कर अपने निजी स्वार्थ के लिये ब्लैक में विक्रय कर दिया गया है और कई माहों का खाद्यान्न एवं सामग्री वितरण नहीं किया गया है? **(घ)** प्रश्नांश (ग) अनुसार यदि यह सही है तो ऐसे कितने सेल्समेन/विक्रेता एवं संस्थाएं हैं जिनके द्वारा खाद्यान्न का ब्लैक में विक्रय कर दिया गया है, उनकी सूची उपलब्ध कराई जावे? तथा ऐसे व्यक्तियों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। **(घ)** प्रश्नांश **(ग)** के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

खरीदी केन्द्रों की जानकारी

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

59. परि.अता.प्र.सं. 89 (क्र. 1201) श्री कमलेश जाटव : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जिला मुरैना एवं रीवा जिले में कौन-कौन सी समितियों को धान, गेहूँ व अन्य जिन्सों के खरीदी केन्द्र बनाये गये हैं तथा शासन/विभाग के खरीदी केन्द्र बनाने के नियम/मापदण्ड क्या हैं? क्या 0.25 या 0.25 से अधिक हानि वाले केन्द्रों को बन्द कर दिया जायेगा? यदि हाँ, तो मुरैना एवं रीवा जिले में वर्ष 2016 से प्रश्न दिनांक तक कौन-कौन से खरीदी केन्द्र 0.25 या 0.25 से अधिक हानि में थे, की जानकारी वर्षवार खरीदी केन्द्रवार, जिन्सवार, खरीदी की मात्रा एवं गोदाम में परिदान की मात्रा एवं अन्तर की मात्रा दर्ज कर जानकारी देवें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के जिलों के खरीदी केन्द्रों में निश्चित मात्रा से अधिक घटती में किन-किन खरीदी केन्द्रों को वर्ष 2020 में खरीदी केन्द्र बनाया गया है? किसके आदेश से? नियम प्रति के साथ जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (क), (ख) के संदर्भ में वर्ष 2016 से 2019 तक में जो समितियां हानि में थी या कालातीत थी, उन्हें क्यों खरीदी केन्द्र बनाया गया है? ऐसी समितियों की जिलावार खरीदी केन्द्रवार सूची देवें। **(घ)** प्रश्नांश (क) के समितियां जो वर्ष 2016 से 2019 में 0.25 अथवा 0.25 से अधिक हानि में थी उन्हें 2020 में धान/गेहूँ खरीदी केन्द्र बनाने में कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं? दोषी पर कब और क्या कार्यवाही करेंगे तथा कब तक ब्लैक लिस्टेड खरीदी केन्द्रों को बन्द कर देंगे?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** समर्थन मूल्य पर खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में धान एवं रबी विपणन वर्ष 2020-21 में गेहूँ एवं दलहन/तिलहन के उपार्जन हेतु बनाए गए केन्द्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। समर्थन मूल्य पर धान, गेहूँ एवं दलहन/तिलहन के उपार्जन का कार्य समितियों को देने हेतु निर्धारित मापदण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। उपार्जन नीति अनुसार विगत 2 रबी एवं 2 खरीफ मौसम में उपार्जित एवं स्वीकृत स्कंध मात्रा में 0.25% से अधिक अंतर वाली समितियों को उपार्जन कार्य के लिए पात्र नहीं माना गया है किन्तु जिले में निर्धारित उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु निर्धारित मापदंड अनुसार सहकारी समितियां उपलब्ध न होने की स्थिति में शिथिलताएं प्रदान की गई। रबी विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने के फलस्वरूप उपार्जन केन्द्र निर्धारण हेतु पर्याप्त पात्र संस्थाएं उपलब्ध न होने के कारण 3% तक अंतर वाली संस्थाओं को उपार्जन का कार्य दिया गया है। जिला मुरैना एवं रीवा में उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा में 0.25% से अधिक अंतर वाली समितियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र**

"स" अनुसार है। **(ख)** मुरैना एवं रीवा जिले में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन हेतु उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा में 3% तक अंतर वाली संस्थाओं को उपार्जन कार्य करने हेतु अनुमति दी गई थी। इन जिलों में इससे अधिक अंतर वाली संस्थाओं को उपार्जन का कार्य नहीं दिया गया है। निर्देश की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है। **(ग)** वर्ष 2016 से 2019 की अवधि में रीवा जिले में हानि वाली एवं कालातीत समितियों को उपार्जन का कार्य नहीं दिया गया है, मुरैना जिले में कालातीत संस्थाएं जिनको कार्य दिया गया है, उनकी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "इ" अनुसार** है। **(घ)** प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण 987 नवीन उपार्जन केन्द्र खोलकर उपार्जन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की गई, जिसके अनुसार उपार्जन केन्द्र संचालन कराने हेतु पर्याप्त संस्थाएं उपलब्ध न होने के कारण 3% तक अंतर वाली संस्थाओं को उपार्जन का कार्य दिया गया है, जिसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

किसानों की धान खरीदी का भुगतान
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

60. परि.अता.प्र.सं. 93 (क्र. 1215) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2017 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले की अनूपपुर विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों से समर्थन मूल्य पर धान का क्रय कर किन-किन सोसायटियों में कृषकों को कितनी राशि का भुगतान किया गया तथा कितने किसानों को भुगतान किया जाना है? संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार वर्तमान में किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के क्या नियम प्रचलन में हैं? नियमों की प्रति उपलब्ध करावें। क्या धान खरीदी केन्द्र, देवगवां में प्रचलित नियम का पालन करते हुए धान की खरीदी हुई? यदि हाँ, तो किसानों को धान की फसल का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? **(ग)** जनवरी 2015 से प्रश्न दिनांक तक प्रश्नांश (क) अंतर्गत कौन-कौन सी सोसायटियों में कितनी राशि का गबन ऑडिट के नाम पर हुआ? सोसायटी में गबन घोटाले के लिये दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जावेगी? **(घ)** वर्तमान सत्र में किन-किन धान खरीदी केन्द्रों में कितने कृषकों का कितना धान क्रय किया? क्या सभी किसानों को भुगतान कर दिया गया है? जिन किसानों की फसल का भुगतान नहीं हो पाया है, उसके कारण बतायें तथा कब तक भुगतान किया जायेगा?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** अनूपपुर जिले की अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र वर्ष 2017 से अभी तक समितिवार विक्रेता किसान, भुगतान की गई राशि एवं शेष की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु जारी नीति की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। उपार्जन केन्द्र देवगांव में प्रचलित नियम का पालन करते

हुए धान उपार्जन किया गया है। देवगांव उपार्जन केन्द्र पर वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में उपार्जित धान का पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान की कुल राशि रू. 4.29 करोड़ में से राशि रू. 2.97 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। शेष भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है। **(ग)** वर्ष 2017-18 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति छिल्पा में उपार्जित धान में शार्टेज होने के कारण रू. 871100 की वसूली ऑडिट आक्षेप में प्रदर्शित है, जिसके संबंध में समिति के प्रशासक को वैधानिक कार्यवाही हेतु उपायुक्त सहकारिता द्वारा लिखा गया है। **(घ)** खरीफ विपणन मौसम 2019-20 में अनूपपुर जिले में 22 उपार्जन केन्द्रों पर 8563 किसानों से 43317.98 मे.टन धान का उपार्जन किया गया। उपार्जन केन्द्रवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की कुल राशि रू. 78.62 करोड़ में से ऋण राशि वसूली के उपरांत राशि रू. 73.82 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जाना था जिसमें से 65.55 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार, राशि रू. 8.27 करोड़ का भुगतान किया जाना शेष है। प्रदेश में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 3.84 लाख मे.टन अधिक धान का उपार्जन होने के कारण भंडारण की वैकल्पिक व्यवस्था करने, भुगतान आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर एवं किसानों के बैंक खाता एवं आई.एफ.एस.सी. में संशोधन की कार्यवाही प्रचलित होने के कारण भुगतान में समय लगा है। शेष राशि भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है।

धान खरीदी केन्द्रों की जानकारी
[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

61. परि.अता.प्र.सं. 95 (क्र. 1217) श्री बिसाहूलाल सिंह : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अनूपपुर जिले में कितनी सेवा सहकारी समितियाँ हैं? कितनी समिति किसके आदेश पर धान खरीदी करती हैं? आदेश की प्रति उपलब्ध करावें। जनवरी 2018 से प्रश्न दिनांक तक अनूपपुर जिले में कितने केन्द्रों पर धान खरीदी का कार्य किया गया हैं? केन्द्रों के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** शासन द्वारा खरीदी केन्द्रों पर किसानों के लिये क्या-क्या सुविधा उपलब्ध कराई गई? सुविधाओं के नाम सहित जानकारी उपलब्ध करावें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) शासन द्वारा जिले को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई तथा प्रत्येक खरीदी केन्द्र पर उपलब्ध कराई राशि की केन्द्रवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(घ)** अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में खरीदी केन्द्रों पर किसान की सुविधा हेतु समस्त मदों पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा, मद का नाम और खर्च की गई राशि की केन्द्रवार अलग-अलग जानकारी उपलब्ध करावें। **(ड.)** उक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत धान खरीदी केन्द्र देवगांव में हुई अनियमितताओं की शिकायत पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? दोषी लोगों के विरूद्ध कब तक कार्यवाही कर दी जायेगी?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ड.)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** अनूपपुर जिले में कुल 25 सेवा सहकारी संस्थाएं हैं। शासन द्वारा जारी नीति खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 की

कंडिका-4.10 (v) के अनुसार जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में 18 समितियों द्वारा 22 केन्द्रों पर धान उपार्जन का कार्य किया गया है। आदेश की प्रति एवं समिति/केन्द्रों के नाम की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख)** समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु उपार्जन समिति द्वारा किसानों की सुविधा के लिये बैठने हेतु दरियां, टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, first-aid box आदि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। **(ग)** उपार्जन केन्द्र संचालन करने वाली समिति को भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन का भुगतान उपार्जन एजेंसी द्वारा किया जाता है। उपार्जन केन्द्रवार कमीशन भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(घ)** अनूपपुर विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं उन पर केन्द्रवार हुए व्यय का विवरण **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ड.)** उपार्जन केन्द्र देवगांव पर धान उपार्जन के संबंध में उपार्जन में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

मेडिकल कॉलेज भोपाल में नियम विरूद्ध नियुक्ति
[चिकित्सा शिक्षा]

62. परि.अता.प्र.सं. 104 (क्र. 1250) श्री संजय यादव : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में दिनांक 24/12/2019 को विज्ञापन जारी कर अस्पताल प्रबंधक एवं अन्य पदों पर किन-किन की नियुक्ति की गई? उक्त विज्ञापन में वांछित योग्यता एवं अनुभव क्या मांगा गया था एवं जिनकी नियुक्त की गई उनकी योग्यता एवं अनुभव क्या है? **(ख)** कुल आवेदनों की संख्या, स्क्रूटनीकर्ता समिति/व्यक्ति का नाम एवं पदनाम स्कूटनी समिति द्वारा चयन का आधार, नियुक्त किये गये व्यक्तियों का चयन का मापदण्ड इत्यादि का ब्यौरा बताएं। **(ग)** उक्त भर्ती के संबंध में कब-कब किन-किन के द्वारा आपत्तियां/शिकायत दर्ज कराई गई? उनके निराकरण का विस्तृत ब्यौरा दें। शिकायतों का निराकरण किये बिना नियुक्तियां आदेश क्यों जारी किये गये? **(घ)** क्या शासन/विभाग उक्त भर्ती के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अजाक्स, माननीय विधायकों इत्यादि जन प्रतिनिधियों की आपत्तियों को दरकिनार कर की गई नियुक्तियों को तत्काल रद्द कर उक्त नियम विरूद्ध नियुक्ति करने वाले अधिष्ठाता को तत्काल बर्खास्त करने की कार्यवाही करेगा? यदि नहीं तो क्यों? नियम युक्त कारण बतायें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। विज्ञापन की छायाप्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार** है। नियुक्ति के संबंध में योग्यता एवं अनुभव की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार** है। **(ख)** कुल आवेदनों की संख्या 264 है। स्क्रूटनी समिति के आदेश की छायाप्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-4 अनुसार** है। चयन आधार

प्रोरेटा पत्र की छायाप्रति की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-5 अनुसार** है। नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की योग्यता विज्ञापन अनुसार होने पर उनका चयन किया गया। चयनित उम्मीदवारों की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार** है। **(ग)** शिकायत पत्र की सूची की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-6** अनुसार है। भर्ती की कार्यवाही के साथ-साथ जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनके निराकरण हेतु शिकायतकर्ता को पत्र जारी किए गए, कि **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-7 अनुसार** है एवं निराकरण का विवरण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-8 अनुसार** है। नियुक्ति नियमानुसार होने पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए। **(घ)** नियमानुसार कार्यवाही की गई। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

पात्र हितग्रहियों को पात्रता पर्ची का वितरण

[खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण]

63. अता.प्र.सं.113 (क्र. 1271) श्री सोहनलाल बाल्मीक : क्या खाद्य मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत अनेकों बी.पी.एल कार्डधारी एवं अन्य विभिन्न श्रेणी में पात्र हितग्राहियों की पात्रता पर्ची विभाग द्वारा समय पर जारी नहीं की जा रही हैं, जिससे हितग्राहियों को राशन नहीं मिल पा रहा हैं और उन्हें अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है? समय पर पात्र हितग्रहियों को पात्रता पर्ची प्रदान नहीं किये जाने का क्या कारण हैं? **(ख)** परासिया विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत ऐसे कितने बी.पी.एल कार्डधारी एवं अन्य विभिन्न श्रेणी में पात्र हितग्राही हैं, जिन्हें पात्रता पर्ची प्रदान किया जाना शेष हैं? ऐसे हितग्राहियों की श्रेणीवार संख्यात्मक जानकारी ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायवार उपलब्ध करायें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) की सूची अनुसार बी.पी.एल कार्डधारी एवं अन्य विभिन्न श्रेणी में पात्र हितग्रहियों को कब तक पात्रता पर्ची प्रदान कर दी जायेगी?

खाद्य मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** परासिया विधानसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 47,664 बी.पी.एल. एवं अन्य पात्रता श्रेणी के परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की जाकर राशन वितरण कराया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रदेश की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 75% आबादी की सीमा तक ही लाभ दिया जा सकता है। इस सीमा से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने का प्रावधान अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत नहीं है। वर्तमान में सम्मिलित परिवारों की पात्रता, हितग्राहियों के सत्यापन एवं परिवार के छूटे हुए सदस्यों की जानकारी मोबाइल एप के माध्यम से घर-घर जाकर संकलित कराई जा रही है। यह कार्यवाही पूर्ण होने पर अपात्र/अस्तित्वहीन परिवारों/सदस्यों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर अपात्र पाये जाने पर विलोपन की कार्यवाही प्रचलन में है। इस कार्यवाही से जितने अपात्र परिवारों को हटाया जायेगा उतने ही नवीन परिवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमान्तर्गत जोड़ा जा सकेगा। इस संबंध में किसी के दोषी होने का प्रश्न उपस्थित नहीं

होता। **(ख)** परासिया विधानसभा क्षेत्रांतर्गत बी.पी.एल. एवं अन्य श्रेणी के कुल 1722 आवेदकों को पात्रता पर्ची जारी किया जाना शेष है। पंचायतवार एवं निकायवार संख्या **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश (क) क उत्तर अनुसार।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में भर्ती
[महिला एवं बाल विकास]

64. परि.अता.प्र.सं. 115 (क्र. 1343) श्री अरविंद सिंह भदौरिया : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** अटेर विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं? इनमें से कितने केन्द्र शासकीय भवन एवं कितने अशासकीय भवन में संचालित हैं? केन्द्रवार जानकारी दें। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में इन आंगनवाड़ी केन्द्रों पर कौन-कौन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता कब से पदस्थ हैं एवं इन पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता की नियुक्ति कब-कब की गई? नियुक्ति हेतु कब-कब क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई? उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या हैं? आंगनवाड़ी केन्द्रवार कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्तावार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता की अंकसूची, निवास प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज जिसके आधार पर अतिरिक्त अंक दिये गये हों कि सत्यापित प्रति देते हुये बतावें। **(घ)** विगत पांच वर्षों में कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता की योग्यता एवं अन्य शिकायतें प्राप्त हुई एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? जांच प्रतिवेदन सहित जानकारी देवें।

महिला एवं बाल विकास मंत्री : [(क) अटेर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 446 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 94 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित है। 289 आंगनवाड़ी केन्द्र तथा 20 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र शासकीय भवन में तथा 157 आंगनवाड़ी केन्द्र एवं 74 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र अशासकीय भवन में संचालित है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पदस्थ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में कार्यरत मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की केन्द्रवार पदस्थापना एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका तथा मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां विभागीय ज्ञाप..क्र./आईसीडीएस/15/5/94-95/471/456 दिनांक 16.06.94, क्र./आईसीडीएस/94/632 दिनांक 11..07.94, क्रमांक 1737/50/75 भोपाल, दिनांक 28.04.95, क्र. एफ 8-3/95/50-2 दिनांक 27.05.96 क्र. एफ 10-72/2000/50-2/दिनांक 19.01.2001, एफ 8-3/95/50-2 दिनांक 03.02.2002, क्र. एफ-3/25/2002/50-2 दिनांक 12.09.2002, क्र. एफ-3-

2/06/50-2/दिनांक 27.05.2006, क्र. एफ-3-2/06/50-2 दिनांक 10.07.2007 एवं समय समय जारी किये संशोधनों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुये नियुक्ति प्रक्रिया की गई है। **(ग)** जानकारी एकत्र की जा रही है। **(घ)** जानकारी एकत्र की जा रही है। **] (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार** है। **(घ)** विगत पांच वर्षों में अटेर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मिनी कार्यकर्ता के संबंध में प्राप्त शिकायतों तथा की गई कार्यवाही का विवरण एवं जाँच प्रतिवेदन **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार** है।

दिनांक 20 मार्च, 2020

इटारसी जनभागीदारी अध्यक्ष पर दर्ज प्रकरण
[उच्च शिक्षा]

65. परि.अता.प्र.सं. 22 (क्र. 425) डॉ. सीतासरन शर्मा : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, म.प्र.शासन द्वारा अपने पत्र क्र. एफ.23-9/2017/38-2 दिनांक 22.10.2019 से कतिपय गणमान्य नागरिकों को महाविद्यालयों को जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद पर मनोनीत करते हुए कलेक्टर, होशंगाबाद से पुलिस सत्यापन कराने एवं प्रतिवेदन तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था? **(ख)** पुलिस सत्यापन हेतु कलेक्टर द्वारा किन-किन तारीखों में किस-किस अधिकारी को लिखा गया? प्रत्येक की जानकारी देते हुए बतावें कि क्या सभी गणमान्य नागरिकों का पुलिस सत्यापन हो चुका है? यदि नहीं तो इसके क्या कारण है? **(ग)** यदि नहीं तो बिना पुलिस सत्यापन के जनभागीदारी अध्यक्ष की हैसियत से कार्य करना नियमानुकूल है? **(घ)** पुलिस सत्यापन में कौन से तथ्य प्रकाश में आये? **(ड.)** क्या इटारसी के जनभागीदारी अध्यक्ष राजकुमार उपाध्याय पर वर्ष 2001 में इटारसी थाने में धारा 307, 353,332,336, 323, 452 सहित अनेक धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध है? **(च)** क्या शासन इटारसी के जनभागीदारी अध्यक्ष को पद पर बनाये रखेगा?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [(क) से **(च)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी नहीं। प्रश्न के उल्लेखित पत्र अनुसार शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष पद पर मनोनयन से पूर्व पुलिस सत्यापन हेतु अनुरोध किया गया। **(ख)** जी हाँ, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता है। **(ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"** पत्र क्रमांक 468/594/2020/38-2 दिनांक 06.05.2020. **(घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ड.)** जानकारी प्रश्नांश (घ) अनुसार है। **(च)** प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

नया सवेरा योजना के सम्बंध में
[श्रम]

66. अता.प्र.सं.24 (क्र. 530) श्री संजय शर्मा : क्या श्रम मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित नया सवेरा योजना (आयुष्मान भारत) के हितग्राहियों की पात्रता के क्या-क्या मापदंड हैं? **(ख)** इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि से कौन-कौन सी बीमारियों को उपचार हेतु चिन्हित किया गया है? **(ग)** इस योजना में उपचार हेतु चिन्हित अस्पतालों की जानकारी प्रदान करें।

श्रम मंत्री : [**(क)** से **(ग)** जानकारी एकत्र की जा रही है। **] (क)** आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्रता संबंधी मापदण्ड की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" के अनुसार** है। **(ख)** योजना अंतर्गत रूपये 5.00 लाख तक के उपचार की व्यवस्था की गई है। चिन्हित बीमारियों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" के अनुसार** है। **(ग)** चिन्हित अस्पतालों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" के अनुसार** है।

मंदसौर में नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड
[खेल और युवा कल्याण]

67. अता.प्र.सं.27 (क्र. 791) श्री यशपाल सिंह सिसौदिया : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या म.प्र खेल युवक कल्याण विभाग द्वारा केंद्र शासन से प्रदेश में नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड निर्माण को लेकर बजट की मांग की गयी है? यदि हाँ, तो किन-किन शहरों में नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड के लिए नाम विभाग द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं? **(ख)** क्या मंदसौर में विभाग के पास नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड को लेकर प्रस्ताव लंबित है? यदि हाँ, तो क्या केंद्र को भेजे गये प्रस्ताव में मंदसौर भी शामिल है? क्या केंद्र शासन से प्रस्तावित नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है? **(ग)** क्या प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा मा. मुख्यमंत्री जी को उक्त नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड हेतु पत्र प्रेषित कर विभाग के नवीन बजट में मंदसौर में भी नवीन ग्राउंड की मांग की गयी थी उस पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। नवीन सिंथेटिक एथेलेटिक ग्राउंड हेतु विभाग द्वारा शिवपुरी, विदिशा, सागर, मुरैना, उज्जैन, रतलाम, इटारसी, जिला होशंगाबाद एवं रॉझी जिला जबलपुर को सम्मिलित किया गया है। **(ख)** जी नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** जी हाँ। प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये जाने पर निर्णय लिया जावेगा।

कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट में पायी गयी खामियों पर कार्यवाही
[जल संसाधन]

68. ता.प्र.सं. 17 (क्र. 1012) श्री महेश परमार : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या कान्ह का गंदा पानी राघौपिपलिया स्टॉप डेम से ओवेर फ़्लो होकर त्रिवेणी घाट से नरसिंह घाट, रामघाट, मगलनाथ घाट, भैरवगढ़ पल से आगे तक प्रदूषित काला पानी फैलने का समाचार प्रकाशित हुआ था? इस मामले में कितने आई.ए.एस. अधिकारियों पर FIR दर्ज हुई? **(ख)** किन-किन अफसरों के कार्यकाल में कान्ह डायवर्सन का कार्य किया गया और किस लापरवाही और उदासीनता के कारण आई.ए.एस. अफसरों पर FIR हुई? **(ग)** क्या प्रश्न क्रमांक 1600, दिनांक 20.12.2019 में प्राप्त उत्तर के दृष्टिगत क्षिप्रा नदी के पानी के प्रदूषण में कमी लाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या क्षिप्रा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सिंहस्थ 2016 को ध्यान में रखकर कोई प्रयास करने के लिए योजनाएं नहीं चलाई गयी? यदि चलाई गयी तो प्रश्न दिनांक तक 5 वर्ष पूरे होने के बाद भी क्षिप्रा नदी प्रदूषण मुक्त क्यों नहीं हो रही है?

जल संसाधन मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** एवं **(ख)** जी हाँ। विभाग में आई.ए.एस. अधिकारियों पर एफ.आई.आर. दर्ज कराने का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं होने के कारण जानकारी दी जाना संभव नहीं है। खान डायवर्सन का निर्माण कार्य कराने वाले जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की **सूची संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार** है। **(ग)** जी हाँ। क्षिप्रा नदी को प्रदूषण के निदान हेतु खान डायवर्सन योजना की परिकल्पना नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा की गई। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा सिंहस्थ मद के अंतर्गत जल संसाधन विभाग को बजट उपलब्ध कराते हुए निर्माण एजेंसी बनाया गया। जल संसाधन विभाग द्वारा मात्र ग्रीष्म कालीन प्रदूषण युक्त जल की निकासी के लिए खान डायवर्सन का कार्य संपादित किया गया है। शेष प्रश्नांश हेतु मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई **जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "1" अनुसार** है।

<u>परिशिष्ट - "ग्यारह"</u>

शिवपुरी जिले में खेल मैदानों एवं खेल गतिविधियों की जानकारी
[खेल और युवा कल्याण]

69. परि.अता.प्र.सं. 65 (क्र. 1441) श्री सुरेश धाकड़ : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** शिवपुरी जिले में कहाँ-कहाँ कितनी-कितनी भूमि पर खेल मैदान निर्मित है? जिले में कहाँ-कहाँ, कितनी कितनी भूमि खेलों के लिये सुनिश्चित की गई है? भूमि का समस्त विवरण जैसे ग्राम, ग्राम पंचायत हल्का नम्बर व तहसीलवार सहित उपलब्ध कराये। **(ख)** शिवपुरी जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कहाँ-कहाँ, कब-कब व कौन-कौन सी खेल आधारित गतिविधियां कराई गई व इन खेलों व खेल

आधारित गतिविधियों से खेलों की किस किस विधाओं में खिलाड़ियों ने जिला, संभाग व प्रदेश के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया? प्रत्येक खिलाड़ी का विवरण दें। **(ग)** जिले में वर्ष 2015-16 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि प्राप्त हुई व कब-कब, किस-किस खेल या गतिविधि व अन्य कार्यों में व्यय की गई? वर्षवार आय-व्यय के विवरण के साथ बिल व्हाऊचरों का विवरण उपलब्ध करायें।

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [(क) से **(ग)** के संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार** है। **(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'द' अनुसार** है।

मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत एप्रोच कैनाल निर्माण
[जल संसाधन]

70. परि.अता.प्र.सं. 90 (क्र. 1700) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** क्या पन्ना जिले में मध्यम सिंचाई परियोजना अन्तर्गत बनने वाले मझगांय बांध में केन नदी से पानी लाए जाने हेतु बनने वाली एप्रोच केनाल की भूमि का आधिपत्य उ.प्र. सरकार के पास है? **(ख)** यदि हाँ, तो उक्त एप्रोच कैनाल के निर्माण कार्य की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु शासन द्वारा पत्राचार के साथ-साथ क्या कार्यवाही की गई? कार्यवाही की प्रति उपलबध करावें एवं उक्त स्वीकृति कब तक प्राप्त कर ली जावेगी? **(ग)** उक्त स्वीकृति के बिना बांध से पेय जल पानी गांव-गांव तक पहुँचाने हेतु पूर्व से ही पाईप लाईन डाले जाना का क्या औचित्य है जबकि बांध में पानी आने की स्थिति ही संदेहास्पद है? इसको कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा?

जल संसाधन मंत्री : [(क) से **(ग)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **] (क)** जी हाँ। **(ख)** विभाग द्वारा प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन सिंचाई विभाग लखनऊ को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदाय करने हेतु लेख किया गया है। पत्र की प्रति **संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर प्रकरण शीघ्र निराकरण कराए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया जाना है, अत: समय-सीमा बताना संभव नहीं है। **(ग)** जल संसाधन विभाग द्वारा आवंटित जल के आधार पर मझगांय समूह जल प्रदाय योजना का क्रियान्वयन मध्यप्रदेश जल निगम द्वारा कराया जाना प्रतिवेदित है। शेष उत्तरांश (ख) अनुसार।

<u>परिशिष्ट - "बारह"</u>

खेल विभाग से प्रदत्त राशि की जानकारी
[खेल और युवा कल्याण]

71. अता.प्र.सं.104 (क्र. 1723) श्री हरदीपसिंह डंग : क्या खेल और युवा कल्याण मंत्री, यह बताने की कृपा करेंगे कि **(क)** जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक खेल विभाग द्वारा म.प्र. में स्टेडियम एवं खेल मैदान निर्माण तथा टूर्नामेंट के आयोजन हेतु कहाँ-कहाँ पर कितनी-कितनी राशि दी गई? **(ख)** विभाग द्वारा मंदसौर जिले को जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि उपरोक्त कार्यों हेतु प्रदान की गई है? पृथक-पृथक जानकारी देवें। **(ग)** दिनांक 30.11.2019 को खेल मंत्री के मंदसौर जिले में प्रवास के दौरान क्या-क्या घोषणाएं की गई थी? **(घ)** उपरोक्त घोषणाओं एवं प्रश्नकर्ता द्वारा की गई मांगों को कब तक पूर्ण कर दिया जावेगा?

खेल और युवा कल्याण मंत्री : [(क) से **(घ)** जानकारी एकत्रित की जा रही है। **]** **(क)** जनवरी 2019 से प्रश्न दिनांक तक खेल विभाग द्वारा म.प्र. में स्टेडियम एवं खेल निर्माण संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है एवं टूर्नामेन्ट के आयोजन हेतु दी गई राशि संबंधित **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। **(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग)** दिनांक 30.11.2019 को खेल मंत्री के मंदसौर जिले में प्रवास के दौरान कोई घोषणा नहीं की गई। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** उत्तरांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।